

# गतिविधियों पर रिपोर्ट

(01 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण





# भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

## गतिविधियों पर रिपोर्ट (1 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक)

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग  
(पुराना मिंटो रोड), नई दिल्ली-110002

टेलीफोन: +91-11-23236308

फैक्स नं.: +91-11-23213294

ई-मेल: ap@trai.gov.in

वेबसाइट: [www.trai.gov.in](http://www.trai.gov.in)



## अनुक्रमणिका

पृष्ठ संख्या

<b>I. उपभोक्ता हित</b>	<b>1.13</b>
- सेवा की गुणवत्ता	1–4
- मोबाइल नम्बर पोर्टिंगिलिटी	4–5
- उपभोक्ता संरक्षण तथा सशक्तिकरण	5–7
- खुदरा तथा थोक प्रशुल्क	7–10
- उपभोक्ता समर्थक समूह तथा शिक्षा	10–11
- अंतर्संयोजन	11–12
<b>II. सिफारिशें</b>	<b>13–40</b>
- ई—केवाईसी	13–14
- दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा भवन के भीतर पड़ुच	14–15
- स्पेक्ट्रम	15–17
- शिकायत निवारण	17–19
- ब्रॉडबैंड	19–20
- लाइसेंसिंग करार	21
- नेट निरपेक्षता	21–23
- कैप्टिव वीसैट सीयूजी नीतिगत मुद्दे	23–25
- मशीन से मशीन संचार	25–28
- टिकाऊ दूरसंचार के लिए पद्धति	28
- इंटरनेट टेलीफोनी हेतु विनियामकारी ढांचा	28–30
- दूरसंचार व्यापार करने में सुगमता	30–31
- वलाउड सर्विस	31–32
- दूरसंचार क्षेत्र की अन्य सिफारिशें	32–38
- प्रसारण क्षेत्र की सिफारिशें	38–40
<b>III. अन्य मुद्दे</b>	<b>41–64</b>
- विनियम	41–44
- निदेश	44–49
- परामर्श	50–58
- अन्य मुद्दे (दूरसंचार क्षेत्र)	58–62
- अन्य मुद्दे (प्रसारण क्षेत्र)	62–63
<b>अनुलूपनक</b>	<b>64–66</b>



भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) पिछले 20 वर्षों से यह सुनिश्चित करने के लिए एक मिशन के साथ काम कर रहा है कि उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं के हित सुरक्षित रहें। दूरसंचार, प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और इसे इस प्रकार विकसित करने के लिए प्रयास किए गए हैं ताकि यह भारत को उभरते हुए वैश्विक सूचना समाज में एक प्रमुख भूमिका निभाने हेतु सक्षम बना सके। इन उपायों से, जैसा कि इन क्षेत्रों में हुई अत्यधिक वृद्धि से स्पष्ट है, उपभोक्ता को सेवाओं के चयन, सस्ते प्रशुल्क, सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता आदि के संदर्भ में समग्र लाभ प्राप्त हुआ है।

प्राधिकरण ने वर्ष 2017 के दौरान दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के अनेक उपाय किए। दूरसंचार के मोर्चे पर, भादूविप्रा ने दूरसंचार अंतर्संयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) का समाधान किया और जनता के लिए दूरसंचार सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने के लिए वॉयरलेस से वॉयरलेस स्थानीय तथा राष्ट्रीय लंबी दूरी कॉलों में और अधिक कमी की गई। इस अवधि के दौरान, “दूरसंचार व्यवसाय करने में सुगमता”, “नेट निरपेक्षता”, “इंटरनेट टेलीफोनी के लिए विनियामक ढांचे” और “सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्कों के माध्यम से ब्रॉडबैंड का प्रसार” आदि पर सरकार को सिफारिशें दी गईं।

प्रसारण क्षेत्र के लिए, वर्ष 2017 एक ऐतिहासिक वर्ष रहा है चूंकि प्राधिकरण ने दिनांक 03 मार्च 2017 को एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए नए और व्यापक विनियामक ढांचे को अधिसूचित किया। इस नए ढांचे में निम्नवत शामिल हैं: (i) अंतर्संयोजन विनियमय; (ii) सेवा की गुणवत्ता संबंधी विनियम; और (iii) प्रशुल्क आदेश। मार्च 2017 में, केबल टेलीविजन नेटवर्क के संबंध में देश में 100 प्रतिशत डिजिटाईजड प्राप्त किया। यह एक शानदार उपलब्धि है जिससे केवल भारत एक ऐसा एकमात्र बड़ा देश बन गया जहां अनिवार्य विनियमों के माध्यम से केबल का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण प्राप्त किया गया।

प्राधिकरण, देश के विभिन्न भागों में स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से, उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रमों (सीओपी) तथा उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने और उपभोक्ता भागीदारी बढ़ाने के लिए और कार्यशालाओं का आयोजन करके क्षेत्र स्तर तक अपनी पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया। इन प्रयासों को भादूविप्रा के उपभोक्ता इंटरफेस को विस्तार देने और प्रणालीगत मुद्दों का शीघ्रता से समाधान करने के लिए किया गया। भादूविप्रा ने अपने आदेशों, दिशानिर्देशों और विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन पर भी ध्यान केंद्रित किया। विनियामकारी अपेक्षाओं के अनुपालन की सूझता से निगरानी करके, गैर-अनुपालन के लिए वित्तीय निरुत्साहन लगाकर और गंभीर दुराचार के मामले में अभियोजन किए जाने के परिणामस्वरूप बेहतर अनुपालन और विनियामक प्रवर्तन सुनिश्चित किया गया।

यह रिपोर्ट कैलेंडर वर्ष 2017 के दौरान प्राधिकरण के क्रियाकलापों का एक सार प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट सभी हितधारकों की जानकारी के लिए सार्वजनिक डोमेन में भी उपलब्ध है। क्रियाकलापों का वर्गीकरण केवल पठन हेतु सुगमता के लिए किया गया है। इस रिपोर्ट में उल्लिखित सभी सिफारिशें, विनियम, आदेश और निदेश आदि भादूविप्रा की वेबसाइट [www.trai.gov.in](http://www.trai.gov.in) पर उपलब्ध हैं और विस्तृत जानकारी के लिए इसका संदर्भ ग्रहण किया जा सकता है। आशा है कि इस रिपोर्ट से हितधारक दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों के विकास के लिए प्राधिकरण द्वारा की गई पहल को एक व्यापक दृष्टिकोण में बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।



(सुनील कुमार गुप्ता)  
सचिव

# गतिविधियों पर रिपोर्ट

## I. उपभोक्ता हित

उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना भादूविप्रा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्राधिकरण ने उपभोक्ता संतुष्टता में सुधार करने वाले विनियामकारी तंत्र में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। भादूविप्रा, उपभोक्ता संगठनों के साथ संपर्क में भी रहता है, ताकि उनमें जागरूकता को बढ़ाया जा सके तथा नीति निर्माण में उनके दृष्टिकोण तथा चिंताओं को शामिल किया जा सके।

### सेवा की गुणवत्ता

भादूविप्रा तिमाही निष्पादन निगरानी रिपोर्टों तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई 'प्वार्इट ऑफ इंटरकनेक्शन' रिपोर्टों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं के निष्पादन की निगरानी करता है। सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, भादूविप्रा निष्पादन निगरानी रिपोर्टों के माध्यम से सेवा की गुणवत्ता बैचमार्कों के समक्ष सेवा प्रदाताओं के निष्पादन की सूक्ष्मता से निगरानी करता है। भादूविप्रा, सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ नियमित रूप से संपर्क करता है। भादूविप्रा, सेवा की गुणवत्ता की लेखापरीक्षा करने तथा उनका मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी की सेवाएं प्राप्त कर रहा है और सेवा के संबंध में उपभोक्ता के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से सर्वेक्षण कराया जा रहा है। हितधारकों की जानकारी के लिए लेखापरीक्षा के परिणाम तथा सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन तथा सर्वेक्षणों को प्रकाशित किया जाता है। भादूविप्रा, सेवा की गुणवत्ता के बैचमार्कों का अनुपालन न करने पर सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय निरुत्साहन भी लगा रहा है।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस तथा आदेशों का व्यौरा नीचे दिया गया है:-

### सेवा की गुणवत्ता बैचमार्कों का अनुपालन नहीं किया जाना :

वर्ष के दौरान, भादूविप्रा ने सेवा की गुणवत्ता के बैचमार्कों पर खरा नहीं उत्तरने के लिए ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं को 32 कारण बताओ नोटिस तथा ब्रॉडबैंड सेवाओं हेतु अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब होने के कारण अथवा ब्रॉडबैंड क्यूओएस बैचमार्कों पर खरा नहीं उत्तरने के कारण 10 कारण बताओ नोटिस तथा मूलभूत सेवाओं हेतु क्यूओएस बैचमार्कों पर खरा नहीं उत्तरने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 10 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इसी प्रकार, 2जी सेवाओं के लिए 33 कारण बताओ नोटिस तथा 3जी सेवाओं के लिए 14 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।

वर्ष के दौरान जारी किए गए उपर्युक्त कारण बताओ नोटिसों के उत्तर में, सेवा की गुणवत्ता विनियमों का अनुपालन नहीं किए जाने और सेवा की गुणवत्ता विनियमों के संबंध में अनुपालन रिपोर्टों को प्रस्तुत करने में विलंब के लिए 50 आदेश जारी किए गए हैं, जो निम्नवत हैं :-

सेवाएं	कुल राशि
2 जी	325.00 लाख रुपए
3 जी	106.50 लाख रुपए
ब्रॉडबैंड	30.35 लाख रुपए
आधारभूत	16.5 लाख रुपए
	<b>478.35 लाख रुपए</b>

### मीटरिंग और बिलिंग के संबंध में सेवा की गुणवत्ता

- (क) वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान दिनांक 21 मार्च, 2016 के सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग तथा बिलिंग स्टीकता हेतु पद्धति संहिता) विनियम, 2006 (वर्ष 2006 का पांचवा) के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दिनांक 08 मई, 2017 को मैं भारती एयरटेल लिमिटेड को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
- (ख) दिनांक 21 मार्च, 2006 का सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग तथा बिलिंग स्टीकता हेतु पद्धति संहिता) संबंधी विनियम, 2006 (2006 का पांचवा) के उपबंधों के उल्लंघन के लिए मैं वोडाफोन को दिनांक 08 मई, 2017 को एक कारण बताओ जारी किया गया था।

उपर्युक्त कारण बताओ नोटिसों के उत्तर में, मीटरिंग तथा बिलिंग विनियमों का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण एक वित्तीय निरुत्साहन का आदेश जारी किया गया था तथा 73 लाख रुपए का वित्तीय निरुत्साहन लगाया गया।

### अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण

जनवरी, 2017 के माह के दौरान 7 टीएसपी अर्थात् एयरसेल, एयरटेल, बीएसएनएल, आइडिया, रिलायंस, टाटा, वोडाफोन को 14 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

फरवरी, 2017 के माह के दौरान 8 टीएसपी अर्थात् एयरसेल, एयरटेल, बीएसएनएल, आइडिया, रिलायंस, टाटा, टेलीनॉर, वोडाफोन को 29 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

अप्रैल, 2017 के माह के दौरान 8 टीएसपी अर्थात् एयरसेल, एयरटेल, बीएसएनएल, आइडिया, रिलायंस, टाटा, टेलीनॉर, वोडाफोन को 23 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

जून, 2017 के माह के दौरान 8 टीएसपी अर्थात् एयरसेल, एयरटेल, बीएसएनएल, आइडिया, रिलायंस, टाटा, टेलीनॉर, वोडाफोन को 35 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

दिनांक 01 दिसम्बर, 2010 के दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 (वर्ष 2010 का छठा) के उपबंधों का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण नवम्बर, 2017 के दौरान मैं क्वार्ड्रेंट टेलीवेंचर्स लि. को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में, 281.645 लाख रुपए की राशि के 26 वित्तीय निरुत्साहन के आदेश जारी किए गए थे।

## **”अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण” के संबंध में दिनांक 14 सितम्बर, 2017 का परामर्श पत्र**

भादूविप्रा ने दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए “अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण” के संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया।

परामर्श पत्र में निम्नवत मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया है :

- ढांचे में उपर्युक्त परिवर्तन हेतु अथवा नई कंपनियों के प्रवेश हेतु अथवा आवश्यक प्रक्रियाओं को लाने हेतु यूसीसी के लिए विनियामकारी ढांचे की समीक्षा करना अपेक्षित है।
- मौजूदा अधिमान पंजीकरण प्रणाली का विश्लेषण और प्रणाली को अधिक प्रभावी और कार्यकुशल बनाने के लिए नए तरीकों और पद्धतियों की खोज करना।
- अधिमान हेतु उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प उपलब्ध करने के लिए विकल्पों की खोज करना।
- संबद्ध कंपनियां हेतु पंजीकरण प्रणाली। यह नई कंपनियों के पंजीकरण की संभाव्यता की तलाश करता है जैसे विषय-वस्तु प्रदाता, एग्रीगेटर तथा मध्यवर्ती कंपनियां।
- हैडर, एसाईनमेंट, सहमति दर्ज करने आदि के लिए नई कंपनियों को लाए जाने हेतु सुझाव।
- यूसीसी शिकायत पर कार्यवाही करने संबंधी मुद्दों तथा समय-सीमा को कम करने प्रणाली को और कुशल बनाने से जुड़े मुद्दे।

## **यूसीसी शिकायतों की निगरानी करने के लिए मोबाइल एप**

चूंकि टीसीसीसीपी विनियम, शिकायत आधारित विनियम हैं; इसलिए, एक अतिरिक्त शिकायत प्रणाली को स्थापित किए जाने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, भादूविप्रा ने सेवा प्रदाताओं के संबंध में यूसीसी शिकायतों के सुलभ पूर्वक पंजीकरण हेतु एक नया आशोधित मोबाइल एप (डीएनडी सेवाओं के लिए) विकसित किया है। इस एप से, उपभोक्ता अपनी शिकायत की स्थिति की जांच भी कर सकता है।

## **ट्राई एनालिटिक्स पोर्टल और “मॉय स्पीड” एप**

दिनांक 05 जून, 2017 को भादूविप्रा ने मॉय स्पीड एप का नया संस्करण जारी किया। एप के इस नए संस्करण से भादूविप्रा, सभी सेवा क्षेत्रों में सभी उपयोगकर्ताओं से ‘टेस्ट डॉटा’ प्राप्त कर सकेगा। यह जांच किसी विशिष्ट उपकरण के लिए अत्यंत संक्षिप्त, अत्यंत असमान होंगी, उपयोगकर्ता तथा किसी तृतीय अन्य पक्ष के लिए निशुल्क होंगी। पूर्व की भाँति, उपयोगकर्ता भी जांच कर सकता है तथा परिणाम दर्ज करवा सकता है।

भादूविप्रा ने दिनांक 05 जून, 2017 को ‘क्रॉउड सोर्सिंग’ के माध्यम से कॉल की गुणवत्ता के मापन के लिए ‘ट्राई मॉय कॉल एप’ जारी किया था। ‘ट्राई मॉय कॉल एप’, क्राउड सोर्स वॉयस कॉल की गुणवत्ता की निगरानी हेतु एक एंड्रायड आधारित एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन से मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को

रीयल टाईम में अपने वॉयस कॉल की गुणवत्ता के अनुभव को रेट करने में मदद मिलेगी तथा यह भादूविप्रा को नेटवर्क डॉटा के साथ उपभोक्ता अनुभव डॉटा एकत्रित करने में मदद करेगा। यह एप गूगल प्ले स्टोर (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trai.mycall>) पर उपलब्ध है। यह एप इंटरैक्टिव होने के साथ— साथ उपयोगकर्ता अनुकूल भी है। कॉल के समाप्त होने के पश्चात् एक 'पॉप—अप' उपयोगकर्ता को कॉल को रेट करने का अनुरोध करता है। (पॉप—अप की बारम्बारता को उपयोगकर्ता द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है)। कॉलर मात्र स्टॉर के रूप में अपनी रेटिंग का चयन करता है और इंगित करता है कि कॉल घर के भीतर, बाहर अथवा यात्रा करते हुए की गई थी। कॉलर अतिरिक्त ब्यौरा यथा शोर अथवा आवाज सुनने में विलम्ब को भी दर्ज कर सकता है अथवा कॉल—ड्रॉप को भी दर्ज कर सकता है, यदि उसे लगता है कि कॉल इस प्रकार से समाप्त हुई थी।

## मोबाइल नम्बर पोर्टिंगिलिटी

### मोबाइल पोर्टिंगिलिटी संबंधी विनियमों का उल्लंघन

यह सुनिश्चित करने के लिए कि एमएनपी विनियमों का उल्लंघन नहीं किया जाए, भादूविप्रा समय—समय पर एकत्रित किए नमूनों अथवा शिकायतों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं द्वारा एमएनपी अनुरोधों को अस्वीकार किए जाने की निगरानी करता है। यदि इस प्रक्रिया के दौरान कोई उल्लंघन पाए जाते हैं तो सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय निरुत्साहन लगाए जाते हैं। वर्ष 2017 के दौरान एमएनपी विनियम, 2009 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए सेवा प्रदाताओं से 42.16 लाख रुपए का उद्ग्रहण किया गया।

#### ➤ मैसर्स क्वार्ड्रेन्ट टेलीवेन्चर्स लिमिटेड को दिनांक 17 फरवरी, 2017 का निदेश

मैसर्स क्वार्ड्रेन्ट टेलीवेन्चर्स लिमिटेड (मै. क्यूटीएल) ने दिनांक 15 फरवरी, 2017 की मध्यरात्रि से पंजाब लाइसेंस सेवा क्षेत्र में अपनी वाणिज्यिक जीएसएस सेवाओं को बंद किए जाने के बारे में जानकारी दी और प्राधिकरण से निम्नवत अनुरोध किया कि (i) एमएनपी सेवा प्रदाताओं को क्यूटीएल नेटवर्क से 90 दिनों की अवधि से कम के एओएन प्राप्त उपभोक्ताओं को पोर्ट ऑउट करने की अनुमति दी जाए; और (ii) दिनांक 15 फरवरी, 2017 की मध्यरात्रि को समाप्त हो रहे यूपीसी कोड की वैधता को अगले 60 दिनों के लिए बढ़ाने की अनुमति दी जाए।

विस्तृत जांच के बाद, भादूविप्रा ने दिनांक 17 फरवरी 2017 को मैसर्स क्यूटीएल, अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं तथा एमएनपीएसपीएस को मैसर्स क्यूटीएल के सबसक्राइबरों के लिए मोबाइल नम्बर पोर्टिंगिलिटी की सुविधा प्रदान करने का निदेश दिया।

#### ➤ प्रारूप ”दूरसंचार मोबाइल पोर्टिंगिलिटी प्रति पोर्ट लेन— देन प्रभार तथा डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2017“

प्रारूप ”दूरसंचार मोबाइल पोर्टिंगिलिटी प्रति पोर्ट लेन— देन प्रभार तथा डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2017“ को भादूविप्रा की वेबसाईट पर दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 तक हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए जन परामर्श हेतु दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 को जारी किया गया था।

भादूविप्रा ने दिनांक 20 नवम्बर, 2009 को प्रारूप “दूरसंचार मोबाइल पोर्टिबिलिटी प्रति पोर्ट लेन—देन प्रभार तथा डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2009” को अधिसूचित किया था जहां भादूविप्रा ने ‘प्रति पोर्ट लेनदेन प्रभार’ को 19/- रुपए पर निर्धारित किया था और दिनांक 20 नवम्बर, 2009 के दूरसंचार प्रशुल्क आदेश (उनचासवां संशोधन) आदेश, 2009 की अधिसूचना के साथ, भादूविप्रा ने प्रति पोर्ट लेन—देन प्रभार की अधिकतम राशि को 19/- रुपए निर्धारित किया गया।

“दूरसंचार मोबाइल पोर्टिबिलिटी प्रति पोर्ट लेन—देन प्रभार तथा डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2009” के विनियम 6(2) के अनुसार, भादूविप्रा प्रति पोर्ट लेन—देन प्रभार तथा डिपिंग प्रभार की समीक्षा कर सकता है तथा उनमें संशोधन कर सकता है।

दिनांक 03 जुलाई, 2015 से पोर्टिंग अनुरोधों में हुई तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए (जब संपूर्ण देश में मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी को अनुमति प्रदान की गई थी) तथा पिछले दो उपलब्ध वर्षों के लिए मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाताओं (एमएनपीएसपी) के वित्तीय परिणामों को ध्यान में रखते हुए, भादूविप्रा का मत है कि इसमें शामिल लागत तथा लेन—देन की संख्या के महेनजर 19/- रुपए की मौजूदा राशि की अधिकतम सीमा बहुत अधिक है। इसलिए, भादूविप्रा ने निर्णय लिया कि प्रतिपोर्ट लेन—देन प्रभार की अधिकतम सीमा में कमी की जाए क्योंकि एमएनपीएसपी के प्रचालनों की लागत में काफी कमी हुई है।

प्रारूप “दूरसंचार मोबाइल पोर्टिबिलिटी प्रति पोर्ट लेन—देन प्रभार तथा डिपिंग प्रभार (संशोधन) विनियम, 2018” को दिनांक 31 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था।

## उपभोक्ता संरक्षण तथा सशक्तीकरण

विगत के वर्षों के दौरान, भादूविप्रा की नीतिगत पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना रहा है। भादूविप्रा, न केवल उपभोक्ताओं को उनके हितों के संरक्षण के लिए किए गए उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए बल्कि उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के साथ—साथ उन्हें भादूविप्रा के निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने के महत्व को स्वीकार करता है।

डिजिटल इंडिया के विजन के अनुरूप, भादूविप्रा व्यापक भौगोलिक भू—भाग में फैले एक बिलियन से अधिक उपभोक्ता आधार के साथ संपर्क बनाने के लिए प्रौद्योगिकी पर अधिक विश्वास करता है। इस विजन को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष भादूविप्रा ने कुछ एप चालू किए। उनकी सफलता तथा उपभोक्ताओं द्वारा उनकी स्वीकार्यता से प्रोत्साहित होकर, भादूविप्रा ने कुछ और उपभोक्ता उन्मुखी एप्लीकेशन विकसित की हैं साथ ही एक नया पोर्टल और एक वेबसाईट विकसित की है। नए प्रौद्योगिकीय प्लेटफार्म की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नवत हैं:-

## ट्राई मॉय कॉल एप

ट्राई मॉय कॉल एप, क्रॉउड सोर्सड वॉयस कॉल की गुणवत्ता की निगरानी करने हेतु एक एंड्रायड तथा आईओएस का एक एप है। इस एप्लीकेशन से मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को रीयल टाईम में अपने वॉयस कॉल की

गुणवत्ता के अनुभव को रेट करने में मदद मिलेगी तथा यह भादूविप्रा को नेटवर्क डॉटा के साथ उपभोक्ता अनुभव डॉटा एकत्रित करने में मदद करेगा।

यह एप इंटरैक्टिव होने के साथ— साथ उपयोगकर्ता अनुकूल भी है। कॉल के समाप्त होने के पश्चात् एक ‘पॉप—अप’ उपयोगकर्ता को कॉल को रेट करने का अनुरोध करता है। (पॉप—अप की बारम्बारता को उपयोगकर्ता द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है)।

कॉलर मात्र स्टॉर के रूप में अपनी रेटिंग का चयन करता है और इंगित करता है कि कॉल घर के भीतर, बाहर अथवा यात्रा करते हुए की गई थी। कॉलर अतिरिक्त ब्यौरा यथा शोर अथवा आवाज सुनने में विलम्ब को भी दर्ज कर सकता है अथवा कॉल—झॉप को भी दर्ज कर सकता है, यदि उसे लगता है कि कॉल इस प्रकार से समाप्त हुई थी।

### **ट्राई मॉय स्पीड एप (स्व- जांच)**

मॉय स्पीड एप प्ले स्टोर में उपलब्ध एक लोकप्रिय एप है जिसके एक मिलियन से भी अधिक डॉउनलोड किए गए हैं। यह उपभोक्ताओं को 3जी / 4जी सेल्युलर डॉटा स्पीड को मापने तथा इसे भादूविप्रा को भेजने में सक्षम बनाता है। यह एप उपयोगकर्ता की कोई व्यक्तिगत जानकारी संग्रहित नहीं करता है।

ट्राई मॉय स्पीड एप का नया संस्करण जारी किया जा रहा है तथा यह भादूविप्रा को सभी सेवा क्षेत्रों में बिना उपयोगकर्ता द्वारा कार्यवाही किए जांच के आंकड़े प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह जांच अत्यंत संक्षिप्त होगी तथा किसी भी विशिष्ट उपकरण में लगातार नहीं की जाएगी, उपयोगकर्ता तथा किसी अन्य पक्ष के लिए निशुल्क होगी। पूर्व की भाँति, उपयोगकर्ता स्वयं जांच कर परिणाम प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस प्रकार एकत्रित किए गए क्रॉउड सोर्स डॉटा को इंटरैक्टिव मानचित्र आधारित पोर्टल ([www.myspeed.trai.gov.in](http://www.myspeed.trai.gov.in)) पर एकत्रित रूप में देखा जा सकता है।

### **डीएनडी एप**

डीएनडी (डू नॉट डिस्टर्ब) सेवा एप, स्मार्ट फोन उपयोगकर्ताओं को डीएनडी के तहत अपने मोबाइल नम्बर को पंजीकृत करने में सक्षम बनाता है ताकि अवांछित वाणिज्यिक सम्प्रेषण (यूसीसी) / टेलीमार्केटिंग कॉल / एसएमएस से बचा जा सके। यह भादूविप्रा के ‘दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010’ पर आधारित है। यह एप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।

नए संस्करण (बिल्ड ग्रॉउंड अप) में निम्नवत् अतिरिक्त विशेषताएं हैं :-

- जानकारी प्रस्तुत करने में सब्सक्राईबर को सहायता प्रदान करने के लिए एक इंटेलीजेंट स्पैम डिटेक्शन इंजन (केवल एसएमएस के लिए)
- पंजीकृत टेलीमार्केटिर्स का तेजी से पता लगाने के लिए परेशान करने वाले संदेशों तथा कॉलों के बारे में क्रॉउडसोर्सिंग करना।
- एप के भीतर शिकायतों पर की गई कार्यवाही के बारे में अद्यतन।
- सुगम इंटरफेस तथा ढांचा।

## सेवा प्रदाता पोर्टल

भादूविप्रा, प्रसारण तथा केबल क्षेत्र को भी विनियमित करता है, जिसमें प्रसारक, डीटीएच ऑपरेटर, एचआईटी आपरेटर, बहु- प्रणाली आपरेटर तथा स्थानीय केबल आपरेटरों सहित बड़ी संख्या में सेवा प्रदाता शामिल हैं। भादूविप्रा द्वारा प्रसारण तथा केबल सेवाओं के लिए विहित किए गए विनियामककारी ढांचे में इप सेवा प्रदाताओं द्वारा विभिन्न रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट किया गया है। सेवा प्रदाताओं तक विनियामककारी ढांचे के बारे में प्रभावी ढंग से बात पहुंचाने तथा उन्हें इस संबंध में शिक्षित करने के लिए इस सेवा प्रदाता पोर्टल को आरंभ किया गया है। यह पोर्टल प्रसारण तथा केबल क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं का समेकित डाटाबेस तैयार करने के लिए आईसीटी का लाभ प्राप्त करेगा।

### भादूविप्रा की नई वेबसाइट ([www.trai.gov.in](http://www.trai.gov.in))

भादूविप्रा प्रौद्योगिकियों तथा विशेषताओं के संबंध में आवधिक रूप से अपनी वेबसाइट को अद्यतन करता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वेबसाइट भादूविप्रा की विनियामककारी कार्यवाहियों के लिए प्रभावी जन परामर्श प्रक्रिया को सक्षम बनाता है। यह देश में दूरसंचार तथा प्रसारण क्षेत्रों से संबंधित नीतियों, विधानों तथा परिनियमों, सांख्यिकीय, विश्लेषणों तथा रुझानों के बारे में देश के भीतर तथा अन्यत्र जनसाधारण, हितधारकों, शोधकर्ताओं तथा अन्य इच्छुक पक्षों को प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराता है। नई वेबसाइट में निम्नवत अतिरिक्त विशेषताएं हैं।

- भादूविप्रा की विज्ञापियों का निशुल्क ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन।
- भादूविप्रा के परामर्श पत्रों पर ऑनलाइन टिप्पणियां प्रस्तुत करना।
- ब्लॉग सहित पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को टिप्पणियां करने की सुविधा प्रदान करना।
- आगामी घटनाक्रम के बारे में जानकारी को प्रकाशित करता है।
- खुला मंच चर्चा में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण।

### खुदरा तथा थोक प्रशुल्क

भादूविप्रा प्रशुल्क विनियमों के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है तथा ऐसी दरों का निर्धारण करता है जिस पर उपभोक्ताओं को दूरसंचार तथा प्रसारण सेवाओं की पेशकश की जाती है। प्रशुल्क विनियम को उपभोक्ताओं को की जानी वाली प्रशुल्क पेशकशों में स्पष्टता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा ऐसी स्थिति में प्रशुल्क निर्धारण करने, जहां बाजार प्रतिस्पर्धी प्रशुल्क दरें मुहैया नहीं करवा पाता है, के लिए लाया जाता है। दूरसंचार क्षेत्र में प्रचंड प्रतिस्पर्धा के महेनजर प्राधिकरण ने अधिकांश दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रशुल्क के संबंध में 'फारबीयरेस' की नीति अपनाई है। अवधि के दौरान प्रशुल्क से संबंधित निम्नवत क्रियाकलाप किए गए :

- दिनांक 3 मार्च, 2017 का दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) प्रशुल्क आदेश, 2017

भादूविप्रा ने दिनांक 3 मार्च, 2017 को दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (आठवा) (एड्सेबल प्रणालियां) प्रशुल्क आदेश, 2017 अधिसूचित किया। प्रशुल्क आदेश की मुख्य विशेषताएं निम्नवत थी :—

- प्रसारकों को सब्सक्राइबर हेतु अपने अलाकार्ट पे—चैनलों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) (कर रहित) प्रतिमाह की घोषणा करनी होगी।
- प्रसारक, सब्सक्राइबर हेतु बुके की पेशकश भी कर सकते हैं। तथापि, पे—चैनलों के ऐसे बुके का अधिकतम खुदरा मूल्य उस बुके का भाग बनने वाले अलाकार्ट पे—चैनलों के अधिकतम खुदरा मूल्य के योग के 85 प्रतिशत से कम नहीं होगा।
- पे—चैनलों तथा फ्री—टू—एयर चैनलों के लिए पृथक बुके होंगे।
- सब्सक्राइबर द्वारा संवितरण नेटवर्क क्षमता तथा चैनलों के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रभारों को पृथक किया गया है।
- प्रारंभिक एक सौ स्टैंडर्ड डेफिनिशन (एसडी) चैनलों हेतु अपेक्षित संवितरण नेटवर्क क्षमता को सब्सक्राइबर द्वारा किसी टेलीविजन चैनलों के डिस्ट्रीब्यूटर को अधिकतम 130/- रुपए (कर रहित) प्रतिमाह की राशि का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है।
- केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित और सब्सक्राइबरों को अनिवार्य रूप से मुहैया करवाए जाने वाले चैनलों के अलावा 100 एसडी चैनलों की क्षमता के भीतर कोई सब्सक्राइबर प्रसारक द्वारा पेशकश किए जाने वाले किसी फ्री—टू—एयर चैनल, पे—चैनल अथवा पे चैनलों के बुके अथवा टेलीविजन चैनलों के वितरक द्वारा पेशकश किए जाने वाले चैनलों अथवा फ्री—टू—एयर चैनलों के बुके अथवा तत्संबंधी संयोजन का चयन कर सकता है।
- सब्सक्राइबर द्वारा फ्री—टू—एयर चैनलों अथवा फ्री—टू—एयर चैनलों के बुके को सब्सक्राइब करने के लिए नेटवर्क क्षमता शुल्क के अलावा किसी पृथक प्रभार का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- प्रारंभिक एक सौ चैनलों की क्षमता से इतर अतिरिक्त क्षमता के लिए सब्सक्राइबर द्वारा ऐसी 25 एसडी चैनलों की स्लैब में प्रति स्लैब, कर रहित, प्रतिमाह अधिकतम 20/- रुपए की राशि का भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है।
- टेलीविजन चैनलों का प्रत्येक वितरक, अपने नेटवर्क पर उपलब्ध सभी चैनलों की पेशकश अलाकार्ट आधार पर सभी सब्सक्राइबरों को करेगा।
- टेलीविजन चैनलों का प्रत्येक वितरक, सब्सक्राइबर द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक पे—चैनल तथा पे—चैनल के बुक के 'वितरक खुदरा मूल्य' की घोषणा करेगा।

- काई भी सब्सक्राइबर अपनी पसंद के अलाकार्ट चैनल का चयन कर सकता है।
- टेलीविजन चैनलों के वितरकों को अलाकार्ट पे—चैनलों से बुके बनाने की अनुमति है तथा पे—चैनलों के बुके का मूल्य अलाकार्ट पे—चैनलों के वितरक खुदरा मूल्य तथा उस बुके का भाग बनने वाले प्रसारक के पे—चैनलों के बुके के योग के 85 प्रतिशत से कम नहीं होगा।
- सब्सक्राइबर को पे—चैनलों अथवा पे—चैनलों के बुके को सब्सक्राइब करने के लिए नेटवर्क क्षमता शुल्क के अलावा पृथक प्रभारों का भुगतान करना होगा।
- टेलीविजन चैनलों के वितरकों को केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित सब्सक्राइबर को उपलब्ध कराए जाने वाले सभी अनिवार्य चैनलों सहित 100 फ्री—टू—एयर चैनल जिन्हें मूलभूत सेवा टीयर कहा गया है, के कम—से—कम एक बुके की पेशकश करनी होगी। यह बुके उपभोक्ताओं को सब्सक्रिप्शन हेतु उपलब्ध एक विकल्प होगा। सब्सक्राइबर इस विकल्प को अपनाने के लिए स्वतंत्र होगा।
- कोई भी पे—चैनल जिसमें 19/- रुपए (कर रहित) से अधिक के अधिकतम खुदरा मूल्य वाले अलाकार्ट चैनल हों, ऐसे चैनल को प्रसारण अथवा टेलीविजन चैनलों के वितरण द्वारा किसी बुके का भाग नहीं बनाया जाएगा।
- किसी प्रसारक अथवा टेलीविजन चैनलों के किसी वितरक द्वारा तैयार किए गए बुके में समान चैनल के एचडी तथा एसडी संस्करण अंतर्विष्ट नहीं होंगे।

➤ **दिनांक 30 मार्च, 2017 का दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) प्रशुल्क (संशोधन) आदेश, 2017**

भादूविप्रा ने दिनांक 30 मार्च, 2017 को दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) प्रशुल्क (संशोधन) आदेश, 2017 अधिसूचित किया। भादूविप्रा ने दिनांक 3 मार्च, 2017 को दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) प्रशुल्क आदेश, 2017 जारी किया था ताकि सब्सक्राइबरों को देशभर में एड्रेसेबल प्रणालियों के माध्यम से टेलीविजन से संबंधित प्रसारण सेवाओं पर लागू प्रशुल्क ढांचे को विहित किया जा सके। प्रशुल्क आदेश की खंड 3 को अधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन के तीस दिनों पश्चात् लागू किया जाना अपेक्षित था।

भादूविप्रा को कुछ हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें उन्होंने प्राधिकरण से दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (एड्रेसेबल प्रणालियां) अतर्संयोजन विनियम, 2017 के अनुसार आरआईओ के प्रकाशन तथा दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) प्रशुल्क आदेश, 2017 की खंड 3 के अनुसार अनेक चैनलों के स्वरूप की घोषणा की अनूसूची के संबंध में संदिग्धता को दूर करने का अनुरोध किया था।

प्रशुल्क आदेश की खंड 3 तथा दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (एड्रेसेबल प्रणालियाँ) अंतर्संयोजन विनियम, 2017 के विनियम 7(1) के कार्यान्वयन से संबंधित उपबंधों में सांमजस्य स्थापित करने के लिए भादूविप्रा ने दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियाँ) प्रशुल्क आदेश, 2017 में संशोधन किया है।

## उपभोक्ता समर्थक समूह तथा शिक्षा

भादूविप्रा में उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए उपभोक्ता हित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अनेक मीडिया अभियान आरंभ किए हैं। अपने मीडिया अभियान को आगे बढ़ाते हुए क्रमशः दिनांक 14 नवम्बर, 2017, 19 नवम्बर, 2017 तथा 26 नवम्बर, 2017 को देशभर में विभिन्न भाषाओं में प्रख्यात समाचारपत्रों में 'डीएनडी 2.0 एप' तथा 'टावर संबंधी धोखाधड़ी' तथा 'मॉय स्पीड एप' पर विज्ञापन प्रकाशित किए गए। इसके अलावा दिनांक 21 से 27 नवम्बर, 2017 के बीच अनेक शहरों में विभिन्न भाषाओं में एफएम रेडियो चैनलों पर "मॉय कॉल एप" पर रेडियो स्पॉट / जिंगल प्रसारित किए गए।

## उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम (सीओपी)

वर्ष 2017 के दौरान भादूविप्रा ने देशभर में 79 उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित किए ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भादूविप्रा द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा की जा सके। भादूविप्रा द्वारा आयोजित / सूचीबद्ध की गई सीओपी इस रिपोर्ट के इस भाग के अंत में अनुबंध के रूप में दी गयी है।

उपभोक्ता समर्थक समूहों (सीएजी) की क्षमता निर्माण करने और उपभोक्ता शिक्षा हेतु दिनांक 08 सितम्बर, 2017 तथा 22 सितम्बर, 2017 को क्रमशः भोपाल तथा जोधपुर में आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य इस क्षेत्र में हो रहे बड़े घटनाक्रम तथा भादूविप्रा की उपभोक्ता केन्द्रीत पहल के बारे में सीएजी को पर्याप्त ज्ञान से प्रदान करना था। यह कार्यशालाएं सीएजी, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं तथा भादूविप्रा के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करती हैं ताकि उपभोक्ता सेवा सुपुर्दर्गी को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा उसमें सुधार करने के लिए अन्य द्वारा अपनाई जा रही सर्वोत्तम पद्धतियों के बारे में जानकारी को साझा किया जा सके तथा आदान-प्रदान किया जा सके। इन कार्यशालाओं में सीओएआई, एनपीसीआई तथा आरबीआई के सहयोग से दो महत्वपूर्ण मुद्दों अर्थात् "मोबाइल सब्सक्राईबरों के ई- केवाईसी सत्यापन" तथा 'डिजिटल भुगतान प्रणाली' पर कार्यशालाएं आयोजित की गई ताकि सीएजी और अन्य हितधारकों को इन दो मामलों पर शिक्षित किया जा सके।

दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 को विशाखापत्तनम में "स्मार्ट 'सिटी तथा आईओटी'" पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी ताकि इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जा सके। संगोष्ठी में सार्वजनिक क्षेत्र के विख्यात उपक्रमों, नौसेना अकादमिक संस्थानों तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों आदि से

प्रतिनिधियों द्वारा भागीदारी की गई। स्मार्ट सिटी के कार्यान्वयक (जैसे एलएंडटी, फ्लूएंट ग्रिड), सरकारी निकाय, यूटीलिटी विभाग (विद्युत संवितरण, जल बोर्ड, नागरिक प्राधिकरण), मुख्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने भी कार्यक्रम में भागीदारी की।

संगोष्ठी में वक्ताओं ने एकत्रित महानुभावों के साथ ज्ञान साझा किया यथा स्मार्ट सिटी के चयन तथा मूल्यांकन के लिए मानदंड, कार्यान्वयन रणनीति, इसके कार्यान्वयन में मुख्य चुनौतियां, आईओआई का नयाचार, वॉयरलैस नेटवर्कों की सुरक्षा की चुनौतियां, समेकित जल प्रबंधन प्रणाली (आईडब्ल्यूएम) आईओटी बिल्डिंग ब्लॉक, आईओटी सक्षमकारी स्टैक आदि विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। वक्ताओं द्वारा 'स्मार्ट सिटी के मुख्य पहलू', 'भारत सरकार द्वारा 100 स्मार्ट शहरों के कार्यान्वयन में आईओटी के आकार' विषय पर भी संक्षेप में चर्चा की गई। "गुणवत्तायुक्त तथा भरोसेमंद स्मार्ट सिटी का निर्माण करने हेतु आईसीटी अवसरंचना तथा आईओटी" विषय पर सभी वक्ताओं द्वारा पेनल चर्चा की गई जिसमें भागीदारों के वक्ताओं के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करने का अवसर प्रदान किया गया।

### **उपभोक्ता समर्थक समूहों का पंजीकरण**

भादूविप्रा में पंजीकृत उपभोक्ता समर्थक समूह (सीएजी) उपभोक्ता शिक्षा में भादूविप्रा को सहायता देने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने व प्रचार-प्रसार करने के लिए कार्य करने हेतु भादूविप्रा के क्रियाकलापों को समन्वय करते हैं और उपभोक्ता के अनुभव को आवाज देते हैं। भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय सेवा प्रदाताओं के क्रियाकलापों को समन्वित करते हुए और उपभोक्ता से जुड़े मुद्दों का सुलझाते हुए सीएजी के साथ परस्पर बातचीत कर रहे हैं। सीएजी सक्रिय रूप से अपने क्षेत्रों में आयोजित सीओपी और कार्यशालाओं में भागीदारी कर रहे हैं। इस अवधि के दौरान छह नए सीएजी पंजीकृत हुए हैं।

### **अंतर्संयोजन**

विभिन्न दूरसंचार नेटवर्कों के अंतर्संयोजन से विभिन्न नेटवर्कों के उपभोक्ताओं को अलग-अलग नेटवर्कों पर सञ्चाराइब किए बिना एक-दूसरे के साथ जुड़ने की सुविधा प्राप्त होती है। रिपोर्टार्डीन अवधि के दौरान, प्राधिकरण ने अंतर्संयोजन प्रणाली में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

- **दिनांक 03 मार्च, 2017 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणाली) विनियम, 2017**

दिनांक 03 मार्च, 2017 को भादूविप्रा ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणाली) विनियम, 2017 जारी किया जो एड्रेसेबल प्रणाली के माध्यम से दी जाने वाली टेलीविजन से संबंधित प्रसारण सेवाओं के लिए अंतर्संयोजन की व्यवस्था को विनियमित करेगा। इन विनियमों की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं:-

## लाइसेंसिंग तथा स्पेक्ट्रम से संबंधित पहलू :

- सभी पहुंच सेवा प्रदाता अर्थात् सीएमटीएस, यूएसएल, यूएल(एएस) तथा यूएल धारक, जो लाइसेंस पहुंच स्पेक्ट्रम का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें अपने मौजूदा प्राधिकार के क्षेत्र के भीतर एम 2 एम कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की अनुमति होगी। साथ ही, सभी मूलभूत लाइसेंसधारियों तथा आईएसपी लाइसेंसधारियों को उनके मौजूदा प्राधिकारों के क्षेत्र के भीतर एम 2 एम सेल्यूलर सेवाओं के अलावा लाइसेंसरहित बैंड सहित एम 2 एम कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की अनुमति होगी। दूरसंचार विभाग संबंधित लाइसेंसों में लाइसेंस की शर्तों में उपर्युक्त संशोधन करेगा।
- सभी यूएल (वीएनओ) धारकों को उनके मौजूदा प्राधिकारों में यथा प्राधिकृत एम 2 एम कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की अनुमति दी जाएगी। दूरसंचार विभाग, यूएल नामतः यूएल (एम2एम) के तहत नए प्राधिकार के माध्यम से लाइसेंसरहित स्पेक्ट्रम में चल रही एलपीडब्ल्यूएन प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर यूएल (वीएनओ) कनेक्टिविटी प्रदाता की लाइसेंस की शर्तों को उपर्युक्त रूप से संशोधित करे। ऐसे लाइसेंसधारियों को विशिष्ट रूप से एम 2 एम सेवाएं मुहैया करवाने के लिए लाइसेंसशुदा स्पेक्ट्रम हेतु बोली लगाने की अनुमति दी जाएगी।
- यूएल (एम2एम) प्राधिकार में तीन श्रेणियां शामिल होंगी अर्थात् यूएल (एम2एम) श्रेणी –क–राष्ट्रीय क्षेत्र, यूएल (एम2एम) श्रेणी–ख–दूरसंचार सर्किल/महानगर क्षेत्र, यूएल (एम2एम) श्रेणी–ग–एसएसए/जिला क्षेत्र।
- राष्ट्रीय क्षेत्र हेतु यूएल (एम2एम) श्रेणी 'क', दूरसंचार सर्किल/महानगर क्षेत्र हेतु यूएल (एम2एम) श्रेणी 'ख' तथा एसएसए क्षेत्र हेतु यूएल (एम2एम) श्रेणी 'ग' के तहत प्राधिकार प्राप्त करने के लिए प्रवेश शुल्क, पीबीजी, एफबीजी के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि, आईएसपी श्रेणी के लिए यूएल में मौजूदा उपबंधों के समान होगी।
- डीओटी के माध्यम से सरकार को एम2एम क्षेत्र में महत्वपूर्ण सेवाओं की पहचान करनी चाहिए और इन सेवाओं को लाइसेंसशुदा स्पेक्ट्रम का उपयोग कर कनेक्टिविटी प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए जाने हेतु अधिदेशित किया जाना चाहिए।
- विनियामककारी प्राधिकरण, जिनके क्षेत्र एम2एम सम्प्रेषण से प्रभावित होंगे जैसे भाद्रविप्रा, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण आयोग आदि तथा विधि और न्याय मंत्रालय को भी दूरसंचार विभाग द्वारा गठित एम2एम शीर्ष निकाय में सदस्य बनाया जाना चाहिए।
- एम2एम सेवा प्रदाताओं (एमएसपी) को दूरसंचार विभाग के साथ एम2एम सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। यह पंजीकरण एमएसपी के लिए विशिष्ट होगा तथा मौजूदा ओएसपी पंजीकरण का भाग नहीं होगा।

## परामर्श

### ➤ “नेट न्यूट्रैलिटी” पर 4 जनवरी, 2017 का परामर्श पत्र

भादूविप्रा ने 4 जनवरी, 2017 को नेट न्यूट्रैलिटी पर एक परामर्श पत्र जारी किया था, जिसके तहत हितधारकों से उनकी टिप्पणियां मांगी गई थीं। विषय की जटिलता को देखते हुए भादूविप्रा ने नेट न्यूट्रैलिटी पर परामर्श प्रक्रिया दो चरणों में शुरू की।

पहले चरण में, पूर्व-परामर्श के तहत सभी क्षेत्रों में उन सभी प्रासंगिक मुद्दों की पहचान करने का प्रयास किया गया था, जिन पर दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से सिफारिशें मांगी थीं, इनके लिए पूर्व-परामर्श पत्र मई, 2016 में जारी किया गया था।

दूसरे चरण में, भादूविप्रा ने पूर्व-परामर्श प्रक्रिया के दौरान पहचाने गए सभी प्रासंगिक मुद्दों पर विचार किया, इन मुद्दों पर हितधारकों से प्रारंभिक सूचना एकत्रित की गई और एक विस्तृत परामर्श पत्र तैयार किया गया था। परामर्श के इस चरण का मकसद नीति या विनियामक हस्तक्षेपों पर अंतिम राय कायम करने की दिशा में आगे बढ़ना था, जो नेट न्यूट्रैलिटी के मुद्दे पर अपेक्षित थे। हितधारकों द्वारा लिखित टिप्पणियों प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 12 अप्रैल, 2017 रखी गई थी और प्रति-टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 26 अप्रैल, 2017 रखी गई थी। इस विषय पर खुला मंच चर्चा मुंबई में 26 मई, 2017 को आयोजित की गई थी।

### ➤ “दीर्घकालिक दूरसंचार के लिए दृष्टिकोण” पर 16 जनवरी, 2017 का परामर्श पत्र

भादूविप्रा को 23 नवंबर, 2015 को दूरसंचार विभाग से एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें कार्बन उत्सर्जन को मापने की पद्धति और 2012 में दूरसंचार विभाग द्वारा जारी निदेशों के कैलीब्रेशन के लिए ‘दूरसंचार क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी (आरईटी) के कार्यान्वयन’ और इसके कार्यान्वयन के दृष्टिकोण पर सिफारिशें मांगी गई थीं।

यह परामर्श पत्र आधुनिक दूरसंचार नेटवर्कों में ऊर्जा की कुशलता के महत्व को दर्शाता है और ऊर्जा की मांग के संदर्भ में नेटवर्क के प्रदर्शन को अधिकतम करने के निदेश के लिए सुझाव प्रस्तुत करता है। नेटवर्क के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने की पद्धति पर विस्तार से चर्चा की गई है। दूरसंचार नेटवर्कों में ऊर्जा कुशलता के विभिन्न पहलुओं को देखते हुए दूरसंचार क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पाने के लिए आगे की योजना पर चर्चा की गई है।

इस परामर्श पत्र के माध्यम से भादूविप्रा ने विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों यथा कार्बन फुटप्रिंट की आकलन करने की पद्धति, तृतीय पक्ष के लेखापरीक्षकों द्वारा दूरसंचार नेटवर्क के कार्बन फुटप्रिंट की लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता और इसकी व्यवस्था, ग्रिड सप्लाई और डीजी सेट से कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए उपयुक्त फार्मुले,

- एड्रेसेबल प्रणाली से सेवाएं प्रदान करने वाले सभी प्रकार के टेलीविजन वितरण प्लेटफार्म के लिए सामान्य विनियमक फ्रेमवर्क।
- गैर विशिष्ट और गैर- विभेदक आधार पर सेवा प्रदाताओं को सिग्नल की उपलब्धता।
- गैर- विशिष्ट और गैर- विभेदक आधार पर सभी प्रकार के वितरण प्लेटफार्म पर टीवी चैनलों के पुनः पारेषण के लिए वितरण नेटवर्क तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमनों और टैरिफ आदेशों के अनुरूप प्रसारक और वितरण क्रमशः टेलीविजन चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराने के लिए और वितरण नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करने के लिए अपना 'रेफरेंस इंटरकनेक्शन ऑफर' (आरआईओ) तैयार करेगा और उसे डिजाइन करेगा तथा इसकी घोषणा करेगा।
- पारदर्शी आरआईओ ढांचे के आधार पर टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों की समयबद्ध उपलब्धता और नेटवर्क तक पहुंच।
- आरआईओ के आधार पर प्रसारण और वितरक के बीच हस्ताक्षर हेतु अतर्स्योजन समझौते।
- अधिकतम छूट पर सीमा निर्धारण जिसे प्रसारक द्वारा वितरक को दिया जा सकता है ताकि सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रसारकों द्वारा सब्सक्राइबरों के लिए अलाकार्ट चैनलों और बुके की अवास्तविक मूल्य घोषित नहीं किया जाए।
- डीपीओ द्वारा घोषित वहन शुल्क की दर पर सीमा निर्धारण करने के साथ अधिकतम छूट पर सीमा निर्धारण जिसे वहन शुल्क की दर पर प्रसारकों के लिए दिया जा सकता है ताकि समान अवसर सुनिश्चित किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वितरकों द्वारा प्रसारकों के लिए वहन शुल्क का अवास्तविक मूल्य घोषित नहीं किया जाए।
- इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी) में टेलीविजन चैनलों के स्थान नियतन हेतु ढांचे का निर्धारण।
- सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट और लेखापरीक्षा हेतु ढांचे का निर्धारण।

प्राधिकरण का यह मत है कि यह विनियमन मूल्य श्रृंखला पर पारदर्शी, दक्षता और साम्यता में सुधार लाने में सहायक होगा। यह सभी सेवा प्रदाताओं के लिए समान अवसर भी सुनिश्चित करेगा तथा इस क्षेत्र में ज्यादा प्रतिस्पर्धा लाकर नये सेवा प्रदाताओं के लिए प्रवेश अवरोधों को कम करने में सहायक होगा जिससे उपभोक्ताओं को ज्यादा विकल्प मिलेंगे।

## II. सिफारिशें

सरकार को विविध विषयों जिसमें दुर्लभ स्रोतों जैसे स्पेक्ट्रम का प्रबंधन, इंटरकनेक्शन क्लॉड सर्विसेज, नेट निरपेक्षता तथा दूरसंचार सेवाओं में सुधार के विषयों पर सिफारिशें दी गई। इस अधिदेश के तहत, भादूविप्रा ने अवधि के दौरान निम्नवत मामलों पर कार्यवाही की:

### दूरसंचार क्षेत्र

#### ई- केवाईसी

- मोबाइल सब्सक्राइबरों के ई- केवाईसी हेतु ऑउट स्टेशन आधार कार्ड फोल्डरों को अनुमति देना” संबंधी सिफारिशों की दिनांक 20 जनवरी, 2017 की सिफारिशों तथा “आधार आधारित ई- केवाईसी सेवाओं के माध्यम से मौजूदा मोबाइल सब्सक्राइबरों का सत्यापन” करने संबंधी दिनांक 20 जनवरी, 2017 की सिफारिश।

भादूविप्रा ने दिनांक 06 जनवरी, 2016 को आधार आधारित ई-केवाईसी सेवा को साथ-साथ आधार आधारित ई-हस्ताक्षर को एक वैध वैकल्पिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करने तथा अंगीकार करने की सिफारिश की। इसके उपरांत दिनांक 16 अगस्त, 2016 को दूरसंचार विभाग ने उपभोक्ताओं को मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की ‘आधार’ आधारित ई-केवाईसी सेवा का उपयोग करने की अनुमति दी। यह अनुदेश केवल नए सिम कार्ड जारी करने के लिए लागू थे परंतु इससे मौजूदा मोबाइल सब्सक्राइबर का एक बड़ा भाग ई-केवाईसी के दायरे से बाहर रह गया। इसके अलावा, दूरसंचार विभाग द्वारा ऑउट स्टेशन उपभोक्ताओं हेतु ई केवाईसी प्रक्रिया के उपयोग की अनुमति नहीं थी।

बहुत बड़ी संख्या में चल रहे ‘सिम’ हेतु मौजूदा कागज आधारित केवाईसी प्रक्रिया सुदृढ़ नहीं थी जिन्हें नकली/ जाली पहचान के आधार पर प्राप्त किया जा सकता था, इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्राधिकरण को राज्य पुलिस (अपराध शाखा) से ऐसे अनेक मामले प्राप्त हुए हैं जहां यह पाया गया कि जाली दस्तावेजों के आधार पर हजारों सिम कार्ड प्राप्त किए गए थे। ऐसे सिम कार्डों की मौजूदगी वास्तव में सुरक्षा को एक बड़ी चुनौती है। यह अनिवार्य है कि ई-केवाईसी के माध्यम से न केवल नए सब्सक्राइबरों का नामांकन हो परंतु एक निश्चित समयावधि के भीतर चरणबद्ध तरीके से ई- केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से उनका सत्यापन भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ऑउट स्टेशन उपभोक्ताओं के लिए ई- केवाईसी प्रक्रिया को अवरुद्ध करने से अवरोध तथा असुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है जिससे बचा जा सकता है।

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भादूविप्रा ने दिनांक 20 जनवरी, 2017 को दूरसंचार विभाग को अपनी सिफारिशें दी। मुख्य सिफारिशें निम्नवत हैं :-

- ‘आधार’ आधारित ई- केवाईसी सेवाओं के माध्यम से एक निश्चित समयावधि में चरणबद्ध तरीके से मौजूदा मोबाइल सब्सक्राइबरों का सत्यापन करने के लिए दूरसंचार विभाग टीएसपी के साथ कार्य करे। तथापि,

यह प्रक्रिया सेवा प्रदाताओं तथा मोबाइल सब्सक्राइबरों के लिए वैकल्पिक होना चाहिए। सब्सक्राइबरों को निःशुल्क टॉक टाइम अथवा निःशुल्क डॉटा के संदर्भ में कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि उन्हें ई-केवाईसी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

ऑउट स्टेशन उपभोक्ताओं को सेवा क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर 'आधार' आधारित ई-केवाईसी की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

इन सिफारिशों को भादूविप्रा की वेबसाइट [www.trai.gov.in](http://www.trai.gov.in) पर डाला गया है।

- “फिक्स लाइन, इंटरनेट तथा ब्रॉडबैंड कनेक्शनों के लिए यूआईडीएआई की ई-केवाईसी सेवा को अंगीकार करने” संबंधी दिनांक 16 मई, 2017 की सिफारिशें

भादूविप्रा दिनांक 16 मई, 2017 को फिक्स लाइन, इंटरनेट तथा ब्रॉडबैंड कनेक्शनों के लिए यूआईडीएआई की ई-केवाईसी सेवा को अंगीकार करने हेतु सिफारिशें की। दूरसंचार विभाग ने ई-केवाईसी सेवाओं का उपयोग करके नए मोबाइल का सत्यापन करने तथा मौजूदा मोबाइल सब्सक्राइबर के पुनः सत्यापन हेतु उपभोक्ता आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) विहित किया है। अब तक इस अपेक्षा को इंटरनेट ब्रॉडबैंड के साथ ही फिक्स लाइन के उपभोक्ताओं के लिए विहित नहीं किया गया है।

चूंकि आधार आधारित ई-केवाईसी प्रमाणन न केवल तीव्र है बल्कि भरोसेमंद है परंतु इसके परिणामस्वरूप उद्योग जगत के लिए पर्याप्त बचत हो सकती है, इसलिए प्राधिकरण सभी सब्सक्राइबरों (फिक्स लाइन सहित), जो इंटरनेट तथा ब्रॉडबैंड सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, के सत्यापन/पुनः सत्यापन हेतु मोबाइल कनेक्शनों की भाँति ही आधार आधारित ई-केवाईसी सेवा को अंगीकार करने के लिए एक उपर्युक्त प्रपत्र (सीएएफ) विहित करने की सिफारिश करता है।

## भवन के भीतर कवरेज

- “दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा भवन के भीतर पहुंच” के संबंध में दिनांक 20 जनवरी, 2017 की सिफारिशें

भवन के भीतर कवरेज में सुधार करने के लिए वायरलैस सेवाओं हेतु इन-बिल्डिंग सॉल्युशन्स (आईबीएस) तथा तार बिछाना जैसे तांबे की तारें, आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी), एलएएन केबल आदि अपेक्षित होता है जिसके लिए भवन के स्वामी की अनुमति अपेक्षित होती है। तथापि, यह पाया गया है कि सामान्यतः भवन स्वामियों द्वारा इससे बचा जाता है और केवल चुनिंदा टीएसपी को ही पहुंच प्रदान की जाती है। इस प्रकार की पद्धतियों से न केवल प्रतिस्पर्धा सीमित होती है, बल्कि इससे उपभोक्ताओं के पास ऐसे टीएसपी की सेवाएं प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता जिसके साथ यह संविदा की गई हो।

इस मुद्दे का समाधान करने लिए प्राधिकरण ने स्वतः ही दिनांक 20 जनवरी, 2017 को “दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा भवन के भीतर पहुंच प्रदान करने” संबंधी अपनी सिफारिशें जारी की। इन सिफारिशों में, प्राधिकरण ने

अन्य बातों के साथ— साथ यह सिफारिश की कि टीएसपी / आईपी—आईएस को भवन के भीतर की अवसंरचना को अन्य टीएसपी के साथ बड़े सार्वजनिक स्थलों पर, वाणिज्यिक काम्प्लेक्सों तथा आवासी काम्प्लेक्सों में पारदर्शी, उचित तथा बिना भेदभाव के सहभागी करने को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। अन्य टीएसपी की पहुंच को बाधित करने के लिए भवन स्वामियों के साथ किये गये विशिष्ट करार को लाइसेंस करार / पंजीकरण का उल्लंघन माना जा सकता है। प्राधिकरण यह भी सिफारिश करती है कि भवन के भीतर सामान्य दूरसंचार अवसंरचना (सीटीआई) के सृजन हेतु उपर्युक्त उपबंध आदर्श भवन उप विधि का भाग बनना चाहिए तथा टीएसपी को उचित पारदर्शिता गैर— विभेदकारी तरीके से सीटीआई सुविधाओं सहित भवन में पहुंच उपलब्ध कराई जानी चाहिए और कम से कम तीन टीएसपी / आईपी—आईएस की भवन में मौजूदगी होनी चाहिए।

इन सिफारिशों को भाद्रविप्रा की वेबसाइट [www.trai.gov.in](http://www.trai.gov.in) पर डाला गया है।

## स्पेक्ट्रम

- “इंटरनेट सेवा प्रदाताओं तथा ‘कमर्शियल वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल सर्विस प्रोवाईडरों’ हेतु स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार तथा अनुमानित समायोजित सकल राजस्व” के संबंध में दिनांक 7 मार्च, 2017 की सिफारिशें

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 25 जून, 2014 के माध्यम से एसयूसी हेतु दरों, न्यूनतम एजीआर सहित एजीआर के प्रतिशत, संबंद्ध मुद्दों जैसे भुगतान की अनुसूची, ब्याज प्रभार, शास्ति तथा आईएसपी लाइसेंस हेतु वित्तीय बैंक गारंटी (एफबीजी), वाणिज्यिक वीएसएटी ऑपरेटरों के पास मौजूद स्पेक्ट्रम की राशि पर फ्लोर लेवल (न्यूनतम) एजीआर पर सिफारिशें मांगी थी।

इस संबंध में दिनांक 19 अगस्त, 2016 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया तथा दिनांक 19 जनवरी, 2017 को एक खुला मंच चर्चा की गई। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने दिनांक 07 मार्च, 2017 को “इंटरनेट सेवा प्रदाताओं तथा स्मॉल एपर्चर टर्मिनल सेवा प्रदाताओं हेतु स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार तथा अनुमानित समायोजित सकल राजस्व” के संबंध में अपनी सिफारिशों दी। सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं :—

- विनिर्दिष्ट बैंक (अर्थात् 2.7 गीगाहर्टज, 3.3 गीगाहर्टज, 5.7 गीगाहर्टज और 10.5 गीगाहर्टज) में लोकेशन / लिंक— बॉय— लिंक आधार पर प्रशासनिक आधार पर आईएसपी लाइसेंसधारियों को स्पेक्ट्रम प्रदान करने के संबंध में मौजूदा प्रणाली जारी रहेगी।
- न्यूनतम अनुमानित एजीआर को आईएसपी लाइसेंसधारियों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।
- एसयूसी को एजीआर के प्रतिशत के रूप में उद्गृहित नहीं किया जाना चाहिए तथा एसयूसी प्रभार की मौजूदा सूत्र आधारित प्रणाली जारी रहेगी साथ ही आईएसपी लाइसेंसधारियों द्वारा वार्षिक आधार पर एसयूसी प्रभार का भुगतान करने की मौजूदा प्रणाली जारी रहनी चाहिए।

- आईएसपी लाइसेंसधारकों द्वारा विलंबित भुगतान के लिए ब्याज प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के आरंभ में विद्यमान एसबीआई के पीएलआर दर से 2 प्रतिशत अधिक होनी चाहिए और फार्मूला आधारित देय एसयूसी के संबंध में आईएसपी लाइसेंसधारी हेतु एफबीजी की कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए।
- न्यूनतम अनुमानित एजीआर को वाणिज्यिक वीएसएटी लाइसेंस के लिए प्रयोज्य नहीं बनना चाहिए।
- डॉटा दर की अनपेक्षतः स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क एजीआर का 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
- अंतरिक्ष विभाग के साथ मिलकर दूरसंचार विभाग को एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए जहां वी—सैट लाइसेंसधारकों को अपनी सेवाएं सक्रिय करने के लिए यहां—वहां नहीं भागना पड़े। उनका समय उस दिन से शुरू हो जाना चाहिए जब अंतरिक्ष विभाग ने बैंडविड्थ का आवंटन कर दिया हो और अंतरिक्ष विभाग द्वारा स्टेक्ट्रम का आवंटन करने के 3 माह के अंदर दूरसंचार विभाग को आवृति का आवंटन करना चाहिए। दोनों विभागों को अपने कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए सम्पूर्ण प्रक्रिया के स्वचालन के लिए ऑन—लाइन आवेदन करने की संभावना तलाशनी चाहिए।
- दूरसंचार विभाग को लाइसेंसधारियों द्वारा दूरसंचार विभाग से अनुमोदन/ स्वीकृति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए की जाने वाली भुगतान यथा लाइसेंस शुल्क (एलएफ), स्पेक्ट्रम प्रयोग प्रभार (एसयूसी) और अन्य शुल्क जैसे वित्तीय करों/ बकायों के ऑनलाइन स्वीकार करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
- दूरसंचार विभाग को एक व्यापक, समेकित ऑनलाइन प्रणाली बनानी चाहिए जो लाइसेंसधारकों के लिए आवंटन/ अनुमति/ अनुमोदन/ अनुमोदन जारी करना/ अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने और अन्य अनुमति के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करे।

➤ **दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 की स्पेक्ट्रम व्यापार संबंधी दिशा निर्देशों में संशोधन पर भाद्रविप्रा की टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु दूरसंचार विभाग के संदर्भ पर भाद्रविप्रा का दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 का उत्तर**

दूरसंचार विभाग ने अपने दिनांक 24 नवम्बर, 2017 के पत्र के माध्यम से प्राधिकरण से इस मुद्दे पर स्पष्ट मत देने को कहा था कि भाद्रविप्रा की दिनांक 28 जनवरी, 2014 की पिछली सिफारिशों के साथ दिनांक 21 मई, 2015 के उत्तर तथा दिनांक 31 अगस्त, 2017 की आईएमजी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए क्या लाइसेंस शुल्क/ एसयूसी प्रभारित करने के लिए स्पेक्ट्रम व्यापार से प्राप्त संपूर्ण राशि एजीआर का भाग होनी चाहिए अथवा स्पेक्ट्रम व्यापार से प्राप्त लाभ/ आय को एजीआर का भाग मानना चाहिए।

इस मुद्दे की जांच करने के उपरांत, भाद्रविप्रा ने दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को दूरसंचार विभाग के के उपर्युक्त संदर्भ के विषय में अपना उत्तर भेज दिया।

## शिकायत निवारण

- ”दूरसंचार क्षेत्र में शिकायत/ परिवाद के निवारण” के संबंध में दिनांक 10 मार्च, 2017 की सिफारिशें

मौजूदा शिकायत प्रणाली में सुधार करने का उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायतों को अधिक कुशल, पारदर्शी तथा लागत प्रभावी तरीके से निपटाना है। भादूविप्रा ने स्वतः ”दूरसंचार क्षेत्र में शिकायतों / परिवाद के समाधान” पर परामर्श प्रक्रिया आरंभ की। दिनांक 28 जुलाई, 2016 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया था। इस विषय पर दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 को एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आरंभ की गई थी।

प्राधिकरण ने मौजूदा विधिक तथा विनियामकारी ढांचे तथा मौजूदा शिकायत निवारण प्रणाली तथा हितधारकों के दृष्टिकोणों / सुझावों पर विचार करने के उपरांत दिनांक 10 मार्च, 2017 को सिफारिशें जारी की।

सरकार को दी गई सिफारिशें की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:

- दूरसंचार उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए एक स्वतंत्र तथा उपर्युक्त रूप से शक्ति प्राप्त ढांचे का सृजन करने की आवश्यकता है। दूरसंचार लोकपाल का गठन किए जाने की आवश्यकता है।
- केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किए गए नियमों के तहत दूरसंचार लोकपाल के कार्यालय की स्थापना जन शिकायत निवारण नियम, 1998 (आरपीजी नियम) के तहत बीमा लोकपाल के संस्थान के अनुरूप की जा सकती है। विकल्प स्वरूप, सरकार, संसद द्वारा पारित किए गए विधान के माध्यम से लोकपाल के कार्यालय का सृजन कर सकती है।
- दूरसंचार क्षेत्र के लिए त्रिस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली निमानुसार प्रस्तावित है :
  - दूरसंचार से प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा समाधान
  - उपभोक्ता शिकायत निवारण मंत्र (सीजीआरएफ) द्वारा समाधान
  - दूरसंचार लोकपाल द्वारा विनिर्धारण
- सर्वप्रथम, उपभोक्ता को समाधान के लिए टीएसपी से संपर्क साधना चाहिए। अनुरोध का समाधान करना तथा उपभोक्ताओं की चिंताओं का प्राधिकरण द्वारा विनिर्धारित समय-सीमा में समाधान करना टीएसपी का कर्तव्य होगा।
- यदि टीएसपी उपभोक्ता की संतुष्टि के अनुसार शिकायत का समाधान करने में असफल रहता है; अथवा अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता; अथवा भादूविप्रा द्वारा विहित समय के भीतर ऐसा करने में असफल रहता

है तो उपभोक्ता के पास प्राधिकरण द्वारा संस्तुत एक नए स्वतंत्र तंत्र द्वारा आगे अपनी शिकायत का समाधान करने का विकल्प होगा। इसमें सीजीआरएफ द्वारा तथ्य अन्वेषण के आधार पर समाधान की प्रक्रिया शामिल होगी जिसके पश्चात् यदि आवश्यकता हो तो, दूरसंचार लोकपाल द्वारा निर्धारण करना शामिल होगा।

- केवल ऐसी शिकायतें जो टीएसपी के साथ सेवा की संविदा के फलस्वरूप पैदा हों, स्पष्टतया पहचान योग्य तथा मापन योग्य व्यक्ति विशेष के अधिकार, प्राधिकरण अथवा लाइसेंस प्रदाता द्वारा निर्धारित नियमों/विनियमों/अपेक्षाओं से सबद्ध हो, जिनका प्रभाव टीएसपी तथा व्यक्ति विशेष के साथ संबंध पर पड़ता हो, पर ही कार्यवाही की जाएगी।
- दूरसंचार विभाग के मौजूदा फील्ड फार्मेशन, जिनकी देशभर में उपर्युक्त मौजूदगी है जैसे जन शिकायत (पीजी) प्रकोष्ठ, दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन तथा निगरानी प्रकोष्ठ (टीईआरएम) प्रकोष्ठ आदि का लाभ उठाकर लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र/राज्य स्तर पर सीजीआरएफ प्रस्तावित है। सीजीआरएफ प्राथमिक रूप से तथ्यान्वेषण, मध्यस्था करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होगा साथ ही यदि पक्ष स्वयं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते तो उन्हें समाधान की पेशकश करेगा।
- किसी भी विशिष्ट मामले की जटिलता, तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर सीजीआरएफ अन्य समूहों अथवा संस्थाओं अथवा स्वतंत्र विशेषज्ञों से सहायता अथवा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है जो उपभोक्ता के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हों। इसमें भादूविप्रा द्वारा पैनलबद्ध सीएजी, केन्द्र/राज्य सरकार के विभाग, कानूनी सहायता केन्द्र, राष्ट्रीय और राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन केन्द्र, कानून के क्षेत्र के प्रमुख संस्थान यथा राष्ट्रीय विधि विद्यालय और विभिन्न अन्य निकाय शामिल होंगे, जिन्हें केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा इस उद्देश्य के लिए चिह्नित किया जा सके।
- यदि उपभोक्ता, सीजीआरएफ के स्तर पर की गयी प्रक्रिया से संतुष्ट न हो तो वह इसके निपटारे के लिए लोकपाल से संपर्क कर सकता है। यह अपेक्षित होगा कि लोकपाल नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करे। उसे उपभोक्ता को मुआवजा, लागत की भरपाई करने और विशिष्ट दायित्वों के कार्यनिष्पादन के लिए टीएसपी को निर्देश जारी करने का अधिकार होगा। लोकपाल का निर्णय अंतिम और सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।
- एक प्रभावी निकाय के रूप में कार्य करने के लिए लोकपाल के पास टीएसपी पर शास्ति लगाने का अधिकार होना चाहिए।
- प्रत्येक राज्य को कवर करते हुए लोकपाल के राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर कार्यालय होंगे।
- यह नई प्रणाली प्रौद्योगिकी चालित समाधान आधारित होनी चाहिए जो फोन, इंटरनेट आदि का इस्तेमाल कर रहे उपभोक्ताओं को दूरस्थ पद्धति से समाधान उपलब्ध करा सके। टीएसपी को अपने स्थानीय कार्यालयों में वीडियो कॉलिंग अथवा इसी प्रकार की सुविधाओं को बनाए रखने की आवश्यकता होगी जिसे

उपभोक्ता द्वारा आवश्यकता पड़ने पर सीजीआरएफ अथवा लोकपाल के साथ परस्पर बातचीत के लिए इस्तेमाल किया जा सके।

- एक केन्द्रीकृत वेब आधारित प्रणाली स्थापित की जाए जो लोकपाल को शिकायत निवारण तंत्र के प्रत्येक स्तर पर सूचना प्रदान करे जिससे विभिन्न स्तरों पर पुनः उसी सूचना को देने की आवश्यकता न पड़े।
- सीजीआरएफ और लोकपाल के लिए वित्तपोषण तंत्र के रूप में विद्यमान लाइसेंस शुल्क, न कि पृथक शुल्क, के एक भाग की सिफारिश की जाती है। इस निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त प्रत्येक टीएसपी द्वारा देय एक परिवर्तनीय संघटक होगा जो उसके विरुद्ध दायर और लोकपाल के कार्यालय में स्वीकृत शिकायतों की संख्या पर आधारित होगा।

## ब्रॉडबैंड

- “सार्वजनिक वाई- फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड का प्रसार” विषय पर दिनांक 09 मार्च, 2017 की सिफारिशें

भादूविप्रा ने दिनांक 09 मार्च, 2017 को ‘सार्वजनिक वाई- फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड के प्रसार’ पर अपनी सिफारिशें दी हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं:-

- दूरसंचार विभाग एकीकृत लाइसेंस (यूएल) की तर्ज पर सक्रिय अवसंरचना का मिलकर उपयोग करने के लिए अनुमति देने हेतु इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस की शर्तों को संशोधित कर सकती है।
- दूरसंचार विभाग भादूविप्रा की सिफारिशों की समीक्षा और बाह्य प्रयोग के लिए 5.725– 5.825 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम का लाइसेंस रद्द करने पर विचार कर सकती है।
- प्राधिकरण के निर्वचन के साथ दूरसंचार विभाग के समझौतों के अध्यधीन दूरसंचार विभाग यूएल वीएनओ दिशा-निर्देशों के खंड (1) (xxii) के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करती है जिसमें विशेष रूप से यह स्पष्ट किया जाता है कि इंटरनेट सेवाओं के लिए यूएलवीएनओ लाइसेंसधारकों पर कोई विशिष्ट अपेक्षा नहीं है।
- पहुंच प्रदान करने के प्रत्येक मामले के लिए ओटीपी के माध्यम से सत्यापन की मौजूदा शर्त को हटाया जा सकता है। ‘अपने ग्राहक को पहचानिए’ दायित्वों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ई- केवाईसी, ई- केएएफ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों के माध्यम से सत्यापन करने की अनुमति दी जा सकती है। सुरक्षा एजेंसियों के साथ परामर्श करके दूरसंचार विभाग उपकरण की एमएसी आईडी द्वारा या मोबाइल एप्प के माध्यम से सत्यापन पर विचार कर सकता है जिसमें सब्सक्राइबर का ई- केवाईसी डॉटा होता है और सब्सक्राइबर को स्वतः सत्यापित करता है।

- वाणिज्य मंत्रालय के समन्वय से वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट इविपमेंट पर प्रयोज्य आयात शुल्क की पुनः समीक्षा की जाएगी। इससे देश में वाई-फाई सेवा प्रदान करने की लागत में कमी आएगी जिससे बॉडबैंड सेवाओं का प्रसार बढ़ेगा।
- सार्वजनिक डॉटा कार्यालयों (पीडीओ) की स्थापना करने के लिए एक नया ढांचा बनाना चाहिए। इस ढांचे के तहत सार्वजनिक डॉटा कार्यालय संग्रहकों (पीडीओए) के साथ समझौता करके पीडीओ को सार्वजनिक वाई-फाई सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे देश में न केवल पब्लिक हॉट्स्पॉट्स की संख्या बढ़ेगी, साथ ही इंटरनेट सेवा ज्यादा सस्ती होगी।
- इस प्रयोजन हेतु पीडीओए को कोई विशिष्ट लाइसेंस प्राप्त किए बिना ही पब्लिक वाई-फाई सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी जा सकती है। तथापि, यह विशिष्ट पंजीकरण शर्तों (दूरसंचार विभाग द्वारा विहित) के अध्यधीन होगा जिसमें यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि पीडीओए द्वारा ई-केवाईसी, सत्यापन और रिकार्ड-अनुरक्षण अपेक्षाएं (पीडीओए में सूचीबद्ध उपभोक्ताओं, उपकरणों और पीडीओ के लिए) पूरी की जाएगी। इससे ग्राम स्तर पर उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा और अत्यधिक रोजगार अवसर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध होंगे।
- पीडीओए पर अधिरोपित केवाईसी संबंधी दायित्वों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ई-केवाईसी, ई-केएफ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों के माध्यम से सत्यापन की अनुमति दी जाएगी। इससे पीडीओए ईकेवाईसी सूचना प्राप्त करने में सक्षम होंगे तथा सब्सक्राइबर के सत्यापन के लिए अपेक्षित डॉटा रखने वाले उपकरणों के एमएसी आईडी या मोबाइल एप के माध्यम जैसे मानदंडों पर आधारित प्रयोक्ता उपकरण को स्वतः प्रमाणित करेगा। इससे उपयोगकर्ता के अनुभव में और अधिक सुधार होगा।
- सत्यापन और भुगतान प्रक्रियाओं के प्रबंधन के उद्देश्य से पीडीओए को तृतीय पक्ष आवेदन / सेवा प्रदाताओं के साथ समझौता करने की अनुमति होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश बनाए जाएंगे कि उपभोक्ता सहमति प्राप्त की जाए और संवेदनशील व्यक्तिक सूचना की निजता और संरक्षण संबंधी मुद्दों का समाधान हो। इससे सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया में नवीन शोध को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे वाई-फाई सेवाओं की पहुंच में आसानी होगी।

## लाइसेंसिंग करार

- मैसर्स भारती एयरटेल, मैसर्स वोडाफोन इंडिया लि. तथा मैसर्स आइडिया सेल्यूलर लि. द्वारा लाइसेंस करारों तथा आधारभूत टेलीफोन सेवा (वॉययरलाइन) और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन की सेवा की गुणवत्ता विनियम, 2009 के उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में ग्राहिकरण की दिनांक

## **21 अक्तूबर, 2016 की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग के दिनांक 05 अप्रैल, 2017 के संदर्भ पर प्राधिकरण का उत्तर**

दूरसंचार विभाग ने मैसर्स भारती एयरटेल, मैसर्स वोडाफोन इंडिया लि. तथा मैसर्स आइडिया सेल्यूलर लि. द्वारा लाइसेंस करारों तथा आधारभूत टेलीफोन सेवा (वॉयरलाइन) और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन की सेवा की गुणवत्ता विनियम, 2009 के उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में प्राधिकरण की दिनांक 21 अक्तूबर, 2016 की सिफारिशों को पुनः दिनांक 05 अप्रैल, 2017 को विचार करने तथा दूरसंचार विभाग की टिप्पणियों / प्रेक्षणों के आलोक में अपना स्पष्ट मत प्रकट करने के लिए इसे प्राधिकरण के पास वापस भेजा।

प्राधिकरण ने विधिवत्‌रूप से विचार—विमर्श करने के उपरांत अपने उत्तर को अंतिम रूप देकर इसे दिनांक 24 मई, 2017 को अग्रेषित किया।

- “भारत में विदेशी आपरेटरों के अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्ड/ग्लोबल कॉलिंग कार्ड की बिक्री/किराए पर देने” संबंधी दिनांक 14 जून, 2017 की अतिरिक्त सिफारिशों

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 10 मार्च, 2017 को प्राधिकरण को यह जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया था कि क्या दिनांक 09 मई, 2016 को दूरसंचार विभाग को अग्रेषित ‘भारत में विदेशी आपरेटरों के अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्ड/ ग्लोबल कॉलिंग कार्ड की बिक्री/ किराए पर देने’ संबंधी कोई अतिरिक्त सिफारिशों को प्रस्तुत करने की कोई योजना है।

प्राधिकरण ने विधिवत्‌रूप से विचार—विमर्श के उपरांत ‘भारत में विदेशी आपरेटरों के अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्ड/ ग्लोबल कॉलिंग कार्ड की बिक्री/ किराए पर देने’ संबंधी अतिरिक्त सिफारिशों को अंतिमरूप दिया तथा इन्हें दिनांक 14 जून, 2017 को अग्रेषित कर दिया।

### **नेट निरपेक्षता**

- “नेट निरपेक्षता” विषय पर दिनांक 28 नवम्बर, 2017 की सिफारिशों

भादूविप्रा ने ‘नेट निरपेक्षता’ विषय पर हितधारकों के विचार जानने के लिए दिनांक 04 जनवरी, 2017 को परामर्श पत्र जारी किया। विषय की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, भादूविप्रा ने ‘नेट निरपेक्षता’ विषय पर द्वितीय परामर्श प्रक्रिया आरंभ की। पहले चरण में सभी क्षेत्रों में प्रासंगिक मुद्दों की पहचान करने के लिए पूर्व—परामर्श आरंभ किया गया जिसमें दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से सिफारिश मांगी। द्वितीय चरण में, पूर्व—परामर्श प्रक्रिया के दौरान भादूविप्रा ने सभी प्रासंगिक मुद्दों की पहचान कर एक वृहद परामर्श पत्र तैयार किया गया। प्राप्त की गई प्रतिक्रियाओं तथा मुद्दों के आंतरिक विश्लेषण के उपरांत प्राधिकरण ने ‘नेट निरपेक्षता’ विषय पर अपनी सिफारिशों दिनांक 28 नवम्बर, 2017 को सरकार को अग्रेषित कर दी। सिफारिशों की कुछ मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं :-

- लाइसेंस की शर्तों को व्यापक बनाया जाना चाहिए ताकि जिस विषयवस्तु तक पहुंच बनाई जा रही है, उपयोग किए जा रहे प्रोटोकाल अथवा उपयोगकर्ता उपकरण जिनका उपयोग किया जा रहा है, उसके आधार पर इंटरनेट के उपयोग में किसी प्रकार के भेदभाव पर स्पष्ट रूप से रोक लगाई जा सके। विषयवस्तु में सभी प्रकार की विषयवस्तु, अनुप्रयोग, सेवाएं तथा इसकी एंड-प्याइंट जानकारी सहित कोई अन्य डॉटा शामिल हैं जिसे इंटरनेट पर पहुंचा जा सकता है अथवा इंटरनेट पर पारेषित किया जा सकता है।
- विषय-वस्तु के संदर्भ में “भेदभावपूर्ण व्यवहार” में किसी विषयवस्तु को अवरुद्ध करना, खराब करना, प्राथमिकता से गति देना अथवा व्यवहार करने की पद्धतियों सहित विषयवस्तु के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव, रोक लगाना, अथवा विषयवस्तु से किए जाने वाले व्यवहार में हस्तक्षेप करना शामिल है।
- सेवा प्रदाताओं को किसी व्यक्ति चाहे वह नैसर्जिक अथवा विधिक हो के साथ किसी भी व्यवस्था, करार, संविदा चाहे इसे किसी भी नाम से जाना जाए, द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने से रोक लगाई जानी चाहिए जिसका विषयवस्तु, भेजने वाले अथवा प्राप्तकर्ता, नयाचार अथवा उपयोगकर्ता उपस्कर के आधार पर विभेदककारी व्यवहार दिखाई दे।
- गैर विभेदककारी व्यवहार के संबंध में प्रस्तावित सिद्धांतों का विस्तार विशिष्ट रूप से ‘इंटरनेट पहुंच सेवाओं पर ही लागू होता है, जो कि सामान्यतः जनसाधारण को ही उपलब्ध हैं।
- किसी भी प्रकार की संदिग्धता को दूर करने के लिए इंटरनेट पहुंच सेवाओं को परिभाषित किया गया है।
- विशिष्ट सेवाएं, अर्थात् इंटरनेट पहुंच सेवाओं से इतर सेवाएं, जिन्हें विशेष विषयवस्तु, प्रोटोकाल अथवा उपयोगकर्ता उपकरणों के लिए इष्टतम बनाया गया है, और जिन्हें विशिष्ट सेवा संबंधी अपेक्षाओं पर खरा उत्तरने के लिए इष्टतम बनाया जाना अनिवार्य है, उन्हें विभेदकारी व्यवहार के सिद्धांतों से छूट प्राप्त होगी।
- दूरसंचार विभाग विशिष्ट सेवाओं की पहचान कर सकता है। तथापि, सेवा प्रदाताओं द्वारा विशिष्ट सेवाओं की केवल उस स्थिति में ही पेशकश की जाए यदि उनकी इंटरनेट पहुंच सेवाओं के स्थान पर उपयोग योग्य (अथवा पेशकश) नहीं हो और ऐसी सेवाओं को उपलब्ध कराया जाना इंटरनेट पहुंच सेवाओं की उपलब्धता तथा समग्र गुणवत्ता के लिए अहितकर न हों।
- एक विशिष्ट सेवा वर्ग के रूप में इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), गैर विभेदकारी व्यवहार प्रतिबंध के दायरे से छूट प्राप्त नहीं है। तथापि, महत्वपूर्ण आईओटी सेवाएं जिनकी डीओटी द्वारा पहचान की गई हैं और जो विशेषीकृत सेवाओं की परिभाषा पर खरे उत्तरते हैं उन्हें स्वतः ही इससे छूट प्राप्त हो जाएगी।

- कन्टेंट डिलीवरी नेटवर्क (सीडीएन) जो किसी दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) को बिना सार्वजनिक नेटवर्क का सहारा लिए अपने नेटवर्क के भीतर विषयवस्तु प्रदान में सक्षम बनाता है उन्हें गैर- विभेदकारी व्यवहार पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध के दायरे से छूट प्राप्त है।
- इंटरनेट पहुंच सेवा प्रदाता, ट्रैफिक मेनेजमेंट के लिए उपर्युक्त प्रबंध कर सकते हैं बशर्ते कि यह संतुलित, अस्थायी तथा पारदर्शी हों। वे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराने, न्यायालय का आदेश अथवा सरकार के निदेश के कार्यान्वयन, अथवा अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुपालन में नेटवर्क की अखंडता तथा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यथोचित उपाय भी कर सकते हैं।
- टीएसपी द्वारा जब कभी भी तैनाती की जाए अपने ट्रैफिक मेनेजमेंट पद्धतियों (टीएमपी) की घोषणा तथा उपयोगकर्ताओं पर उनके पड़ने वाले प्रभाव के बारे में घोषणा करनी होगी। उद्घटन संबंधी अपेक्षाओं में विशिष्ट सेवाओं के बारे में जानकारी, उनके द्वारा की गई प्रत्यक्ष अथव अप्रत्यक्ष व्यवस्थाएं शामिल होंगी।
- उल्लंघनों की जांच और निगरानी करने के लिए, बह-हितधारक निकाय के रूप में एक सहयोगात्मक प्रणाली की स्थापना करने की सिफारिश की गई है जिसमें टीएसपी तथा आईएसपी की विभिन्न श्रेणियों से प्रतिनिधि, बड़े व छोटे विषयवस्तु प्रदाता, शोध तथा शिक्षण से जुड़े प्रतिनिधिगण, सिविल समाज के संगठन तथा उपभोक्ता प्रतिनिधिगणों का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न श्रेणियों के सदस्यगण शामिल होंगे। यह निकाय, जो टीएमपी की निगरानी करने से संबंधित तकनीकी मानदंड विकसित करने तथा गैर- विभेदकारी व्यवहार के सिद्धांतों को लागू करने तथा प्राधिकरण को उपर्युक्त सिफारिशों करने के लिए उत्तरदायी होगी। सरकार / प्राधिकरण का समिति से कोई जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, इसके सभी सदस्यों के प्रति पारदर्शिता तथा उनके प्रति उपर्युक्त व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए इसके आचरण की जांच करने, जब कभी भी आवश्यक हो उपर्युक्त विनिमय, निदेश, आदेश, अथवा दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- यह सिफारिशें, भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के अनुसार प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों तथा कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभार डाले बिना तैयार किए जा रहे हैं। इसलिए, उन सिफारिशों के लंबन के दौरान जिस तरीके से इंटरनेट पर सभी विषयवस्तु तक अबाधित पहुंच हेतु मौजूदा लाइसेंसिंग अपेक्षाओं को कार्यान्वित तथा लागू किया जाता है, प्राधिकरण उनके लिए मौजूदा लाइसेंसिंग अपेक्षाओं को विनियमित कर सकता है। प्राधिकरण, जब कभी भी आवश्यक समझे, विनिमय तैयार कर सकता है अथवा अन्य उपाय भी कर सकता है।

## कैटिव वीएसएटी सीयूजी नीतिगत मुद्दे

- “कैटिव वीएसएटी सीयूजी नीतिगत मुद्दे” विषय पर दिनांक 18 जुलाई, 2017 की सिफारिशें

- भादूविप्रा को दिनांक 17 मार्च, 2016 को दूरसंचार विभाग (डीओटी) से एक संदर्भ प्राप्त हुआ। इस संदर्भ के माध्यम से दूरसंचार विभाग ने 'कैप्टिव वीएसएटी क्लोज यूजर ग्रुप (सीयूजी) नेटवर्क में द्वितीय हब के संबंध में न्यूनतम लाइसेंस शुल्क और कैप्टिव वीएसएटी सीयूजी लाइसेंस की निबंधन और शर्तों' विषय पर भादूविप्रा की सिफारिशों आमंत्रित की।
- संदर्भ प्राप्त करने के उपरांत प्राधिकरण ने कुछ कैप्टिव वीएसएटी लाइसेंसधारकों से परामर्श किया जो कैप्टिव वीएसएटी के लिए रॉयल्टी प्रभारों की प्रयोजनीयता और बैंडविड्ड में वृद्धि के अनुमोदन में विलंब संबंधी कुछ अतिरिक्त मुद्दे उठाए। प्राधिकरण ने परामर्श के लिए इन मुद्दों को भी शामिल करने का निर्णय लिया ताकि कैप्टिव वीएसएटी लाइसेंसधारकों से संबंधित मुद्दों पर बृहद सिफारिशों दी जा सकें।
- प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए "कैप्टिव वीसेट सीयूजी नीतिगत मुद्दों" पर दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 को एक परामर्श पत्र जारी किया।
- प्राधिकरण ने दिनांक 18 जुलाई, 2017 को हितधारकों से प्राप्त जानकारियां तथा खुला मंच चर्चा में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण तथा उनके स्वयं में आंतरिक विश्लेषण के आंतरिक विश्लेषण के आधार पर दिनांक 18 जुलाई, 2017 को दूरसंचार विभाग को "कैप्टिव वीसेट सीयूजी नीतिगत मुद्दों" पर अपनी सिफारिशों तैयार की हैं। सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं :
  - कैप्टिव वीसेट हेतु द्वितीय हब के लिए पृथक लाइसेंस के उद्ग्रहण को समाप्त करना चाहिए;
  - प्रथम हब से जुड़े वीसेट टर्मिनलों के लिए मौजूदा लाइसेंस शुल्क को प्रति वीसेट टर्मिनल 10,000 रुपए की दर से प्रभारित किया जा रहा है। इसे प्रथम तथा द्वितीय हब के लिए न्यूनतम लाइसेंस शुल्क उद्ग्रहित किए बिना अनुरक्षित किया जाएगा।
  - कैप्टिव वीसेट लाइसेंस के लिए प्रवेश शुल्क को वर्तमान में 30 लाख से 50 प्रतिशत कम करके 15 लाख किया जाएगा।
  - दो तिमाहियों के लिए लाइसेस शुल्क के समकक्ष एफबीजी को कैप्टिव वीसेट लाइसेसधारियों से प्रभारित किया जा सकता है।
  - कैप्टिव वीसेट टर्मिनलों के लिए रॉयल्टी प्रभार को दिनांक 22 मार्च, 2012 के दूरसंचार विभाग के परिपत्र में दिए गए सूत्र के अनुरूप परिकल्पित किया जाएगा। रायल्टी प्रभार के परिकलन हेतु सूत्र में वार्षिक रायल्टी कारक को बैंडविड्ड कारक तथा सुपुर्द किए गए कैरियरों की संख्या से गुणा किया जाएगा।
  - अतिरिक्त 25 प्रतिशत राशि को प्रभारित किए जाने का कोई औचित्य नहीं है चूंकि अनेक वीसैट्स के लिए पुर्नउपयोग कारक कैरियरों की संख्या से अधिक है। रायल्टी प्रभारों के परिकलन के लिए इन प्रभारों की समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, दूरसंचार विभाग इस संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

- डब्ल्यूपीसी समर्ती ग्राउंड सेमेंट फ्रीक्वेंसी आवंटन में डीओएस द्वारा स्पेस सेगमेंट के आवंटन की तिथि से 3 माह से अधिक की अवधि का विलम्ब किए जाने पर लाइसेंसधारी द्वारा डीओएस को भुगतान किए जाने वाले स्पेस सेगमेंट प्रभारों को तब तक डीओटी द्वारा वहन किया जाए जब तक डब्ल्यूपीसी / डीओटी / एनओसीसी द्वारा आवंटन / स्वीकृतियां पूर्ण न कर ली जाएं।
- कैप्टिव वीसेट लाइसेंसधारियों के लिए बैंडविड्थ में वृद्धि वाणिज्यिक वीसैट, एनएलडी, आईएलडी लाइसेंसधारियों के समकक्ष होगी। इस प्रकार की जाने वाली वृद्धि को केवल एनओसीसी तथा डब्ल्यूपीसी के स्तर पर (न की शीर्षतम समिति के स्तर पर) स्वीकृत किया जाना चाहिए।
- कैप्टिव वीसेट लाइसेंसधारियों के लिए डब्ल्यूओएल की वैधता वर्तमान में वार्षिक स्तर की बजाय एक समय में 5 वर्ष की अवधि के लिए होनी चाहिए।
- कैप्टिव वीसेट हेतु अधिकतम डाटा दर प्रति वीसैट सीमा / 512 किलोबाइट प्रति सैकिण्ड / 2 मेगाबाइट प्रति सैकिण्ड की सीमा को ऊपर की ओर संशोधित किया जाना चाहिए और तदनुसार डीओटी / टीईसी इसकी विनिर्दिष्टताओं में संशोधन कर सकता है।

### **मशीन- से- मशीन (एम 2 एम) संचार**

- “मशीन- से- मशीन (एम 2 एम) संचार में स्पेक्ट्रम, रोमिंग और सेवा गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाएं” विषय पर दिनांक 05 सितम्बर, 2017 की सिफारिशें

मशीन— से— मशीन (एम 2 एम) संचार, मशीनों के बीच स्वचालित सूचना एक्सचेंज हेतु आधार है और स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट पेयजल, स्मार्ट परिवहन, स्मार्ट स्वास्थ्य आदि जैसे विभिन्न इंडस्ट्री वर्टिकल्स को प्रभावित कर सकता है। भारत सरकार ने एम 2 एम की क्षमताओं को पहचाना है तथा राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 में इस पर बल दिया है।

दिनांक 05 जनवरी, 2016 को भादूविप्रा को दूरसंचार विभाग से एक संदर्भ पत्र प्राप्त हुआ। इस संदर्भ पत्र के माध्यम से दूरसंचार विभाग ने एम 2 एम संचार से संबंधित तीन पहलुओं पर भादूविप्रा की सिफारिश मांगी:

- (क) एम 2 एम स्पेक्ट्रम संबंधी अपेक्षाएं
- (ख) एम 2 एम रोमिंग संबंधी अपेक्षाएं
- (ग) एम 2 एम सेवाओं में सेवा की गुणवत्ता

विधिवत् परामर्श प्रक्रिया के उपरांत, भादूविप्रा ने दिनांक 05 सितम्बर, 2017 को “मशीन— से— मशीन (एम 2 एम) संचार के संबंध में स्पेक्ट्रम, रोमिंग तथा सेवा की गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं” विषय पर अपनी सिफारिशें जारी की। इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं :

## लाइसेंसिंग तथा स्पेक्ट्रम से संबंधित पहलू :

- सभी पहुंच सेवा प्रदाता अर्थात् सीएमटीएस, यूएसएल, यूएल(एएस) तथा यूएल धारक, जो लाइसेंस पहुंच स्पेक्ट्रम का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें अपने मौजूदा प्राधिकार के क्षेत्र के भीतर एम 2 एम कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की अनुमति होगी। साथ ही, सभी मूलभूत लाइसेंसधारियों तथा आईएसपी लाइसेंसधारियों को उनके मौजूदा प्राधिकारों के क्षेत्र के भीतर एम 2 एम सेल्यूलर सेवाओं के अलावा लाइसेंसरहित बैंड सहित एम 2 एम कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की अनुमति होगी। दूरसंचार विभाग संबंधित लाइसेंसों में लाइसेंस की शर्तों में उपर्युक्त संशोधन करेगा।
- सभी यूएल (वीएनओ) धारकों को उनके मौजूदा प्राधिकारों में यथा प्राधिकृत एम 2 एम कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की अनुमति दी जाएगी। दूरसंचार विभाग, यूएल नामतः यूएल (एम2एम) के तहत नए प्राधिकार के माध्यम से लाइसेंसरहित स्पेक्ट्रम में चल रही एलपीडब्ल्यूएन प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर यूएल (वीएनओ) कनेक्टिविटी प्रदाता की लाइसेंस की शर्तों को उपर्युक्त रूप से संशोधित करे। ऐसे लाइसेंसधारियों को विशिष्ट रूप से एम 2 एम सेवाएं मुहैया करवाने के लिए लाइसेंसशुदा स्पेक्ट्रम हेतु बोली लगाने की अनुमति दी जाएगी।
- यूएल (एम2एम) प्राधिकार में तीन श्रेणियां शामिल होंगी अर्थात् यूएल (एम2एम) श्रेणी –क–राष्ट्रीय क्षेत्र, यूएल (एम2एम) श्रेणी–ख–दूरसंचार सर्किल/महानगर क्षेत्र, यूएल (एम2एम) श्रेणी–ग–एसएसए/जिला क्षेत्र।
- राष्ट्रीय क्षेत्र हेतु यूएल (एम2एम) श्रेणी 'क', दूरसंचार सर्किल/महानगर क्षेत्र हेतु यूएल (एम2एम) श्रेणी 'ख' तथा एसएसए क्षेत्र हेतु यूएल (एम2एम) श्रेणी 'ग' के तहत प्राधिकार प्राप्त करने के लिए प्रवेश शुल्क, पीबीजी, एफबीजी के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि, आईएसपी श्रेणी के लिए यूएल में मौजूदा उपबंधों के समान होगी।
- डीओटी के माध्यम से सरकार को एम2एम क्षेत्र में महत्वपूर्ण सेवाओं की पहचान करनी चाहिए और इन सेवाओं को लाइसेंसशुदा स्पेक्ट्रम का उपयोग कर कनेक्टिविटी प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए जाने हेतु अधिदेशित किया जाना चाहिए।
- विनियामककारी प्राधिकरण, जिनके क्षेत्र एम2एम सम्प्रेषण से प्रभावित होंगे जैसे भाद्रविप्रा, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण आयोग आदि तथा विधि और न्याय मंत्रालय को भी दूरसंचार विभाग द्वारा गठित एम2एम शीर्ष निकाय में सदस्य बनाया जाना चाहिए।
- एम2एम सेवा प्रदाताओं (एमएसपी) को दूरसंचार विभाग के साथ एम2एम सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। यह पंजीकरण एमएसपी के लिए विशिष्ट होगा तथा मौजूदा ओएसपी पंजीकरण का भाग नहीं होगा।

- टीईसी के तत्वाधान में एम2एम उपकरणों तथा एप्लीकेशन (हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर) के प्रमाणन हेतु एक नेशनल ट्रस्ट सेंटर (एनटीसी) की स्थापना की जानी चाहिए।
- स्पेक्ट्रम आवंटन, प्रौद्योगिकी तथा सेवा निरपेक्ष होना चाहिए। विशेषरूप से एम2एम सेवाओं के लिए कोई पृथक् स्पेक्ट्रम बैंड का आवंटन नहीं किया जाएगा।
- एम2एम संचार के कारण जुड़े हुए उपकरणों की संख्या में अनुमानित वृद्धि को पूरा करने के लिए पहुंच सेवाओं हेतु अतिरिक्त लाइसेंसशुदा स्पेक्ट्रम की आवश्यकता की समीक्षा डब्ल्यूआरसी-19 के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा की जाएगी।
- लाइसेंस मुक्त स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए एम2एम सेवाओं को निर्बाध रूप से प्रारंभ किया जाएगा तथा 868 मोगाहर्टज में 1 मेगाहर्टज स्पेक्ट्रम (867–868) तथा 915–935 मेगाहर्टज में 6 मेगाहर्टज के भाग को लाइसेंसमुक्त किए जाने की सिफारिश की जाती है।
- प्राधिकरण द्वारा विभिन्न अवसरों पर यथा संस्तुत वी-बैंड (57–64 गीगाहर्टज) को प्राथमिकता के आधार पर लाइसेंसमुक्त किया जाए।

### **सिम तथा रोमिंग से संबंधित पहलू**

- केवल एम्बीडेड यूनीवर्सल इटीग्रेटेड सर्किट कार्ड (ईयूआईसीसी) के साथ पहले से ही फिट हुए उपकरणों को आयात करने की अनुमति होनी चाहिए यदि इन उपकरणों में स्थानीय सब्सक्रिप्शन के साथ 'ओवर द एयर' (ओटीए) में रीकान्फीगर होने की क्षमता हो। ओटीए प्रणाली के साथ नई प्रोफाइल को दूरस्थ तरीके से उपलब्ध कराने के लिए जीएसएमए अनुमोदित दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।
- ईयूआईसीसी से सुसज्जित उपकरणों को भारतीय टीएसपी के नेटवर्क में रोमिंग के सक्रिय होने की तिथि से अधिकतम तीन वर्षों तक रोमिंग में प्रचालन करने की अनुमति दी जानी चाहिए तथा विनिर्दिष्ट अवधि अथवा उपकरण के स्वामित्व में परिवर्तन होने पर, इनमें से जो भी पहले हो, के भीतर भारतीय टीएसपी के सिम में अनिवार्य रूप से परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए।
- एम2एम में अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग को जीएसएमए 'एम2एम एनेक्स' के सुमान्य ढांचे के भीतर अनुमति दी जानी चाहिए ताकि मानदण्ड और प्रक्रियाओं में एकरूपता बनाई रखी जा सके।
- देश में एम2एम आईओटी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार को देश विशेष के साथ द्विपक्षीय करारों के आधार पर उपर्युक्त ढांचे के साथ आईएसएसआई सीमाओं 'एक्सट्रा टेरेट्रियल' उपयोग हेतु अनुमति दिए जाने की व्यवहार्यता पर विचार कर सकती है।

### **सेवा की गुणवत्ता तथा निजता संबंधी पहलू :**

- सेवा की गुणवत्ता भादूविप्रा के विशिष्ट क्षेत्राधिकार के दायरे में आता है। इसलिए, एक बार एम2एम क्षेत्र विकसित हो जाए, तो प्राधिकरण एम2एम संचार में सेवा संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार सेवा की गुणवत्ता के मानदंडों पर वृहद विनियम तैयार करेगा।

- एम2एम उपकरणों तथा सेवाओं की तैनती के मौजूदा स्तर पर, उपकरण स्तर तथा नेटवर्क स्तर दोनों पर 10 प्रतिशत की ड्यूटी साइकिल, अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त होगी।
- एमजेडएम में डाटा सुरक्षा तथा निजता से संबंधित मुद्दों पर प्राधिकरण, दिनांक 9 अगस्त, 2017 को जारी “दूरसंचार क्षेत्र में निजता, सुरक्षा तथा डाटा का स्वामित्व” विषय पर परामर्श पत्र के माध्यम से उजागार किए गए मुद्दों पर विधिवत् रूप से विचार-विमर्श करने के उपरांत वृहद सिफारिशें जारी करेगा।

## टिकाऊ दूरसंचार के लिए पद्धति

- “टिकाऊ दूरसंचार के लिए पद्धति” विषय पर दिनांक 23 अक्तूबर, 2017 की सिफारिशें भादूविप्रा को दूरसंचार विभाग से (i) कार्बन उत्सर्जन के मापन की प्रविधि (ii) दूरसंचार विभाग द्वारा वर्ष 2012 में जारी निदेशों के अंशाकन तथा कार्यान्वयन हेतु प्रविधि संबंधी मुद्दों पर एक संदर्भ प्राप्त हुआ।

भादूविप्रा ने 23 अक्तूबर, 2017 को “टिकाऊ दूरसंचार के लिए पद्धति” विषय पर अपनी सिफारिशें दूरसंचार विभाग को भेज दी थी। सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं :

- कार्बन फूट प्रिंट का परिकलन करने हेतु सूत्र में संशोधन किया गया है।
- केवल समग्र कार्बन फूटप्रिंट में कमी हेतु लक्ष्यों की सिफारिश की गई है तथा नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों (आरईटी) को प्रारंभ किये जाने हेतु किन्हीं उप-लक्ष्यों की सिफारिश नहीं की गई है।
- दूरसंचार विभाग के दिनांक 04 जनवरी, 2012 के निदेशों का अशांकन किया गया है तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को और सीमित कर वर्ष 2019–20 तक 30 प्रतिशत तथा वर्ष 2022–23 तक 40 प्रतिशत किया गया है जिसके लिए वर्ष 2011–12 को बेस वर्ष माना गया है।

## इंटरनेट टेलीफोनों हेतु विनियामककारी ढांचा

- “इंटरनेट टेलीफोनी हेतु विनियामककारी ढांचे” के संबंध में दिनांक 24 अक्तूबर, 2017 की सिफारिशें

भादूविप्रा ने दिनांक 24 अक्तूबर, 2017 को “इंटरनेट टेलीफोनी हेतु विनियामककारी ढांचे” के संबंध में अपनी सिफारिशें जारी की थी। सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं :-

- जहां तक मौजूदा पहुंच सेवा लाइसेंसों के संबंध में प्राधिकरण की समझ है, इंटरनेट टेलीफोन सेवा, अंतर्रिहित पहुंच नेटवर्क से मुक्त है। दूसरे शब्दों में, पहुंच सेवा प्रदाताओं द्वारा अपने सब्सक्राइबरों को इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदान की जा सकती है जो अन्य पहुंच सेवा प्रदाताओं के इंटरनेट का उपयोग

कर रहे हों। दूरसंचार विभाग को इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। यदि दूरसंचार विभाग का इस संबंध में अलग मत है तो प्राधिकरण यह सिफारिश करता है कि दूरसंचार विभाग, पहुंच सेवा लाइसेंसों में संशोधन जारी कर सकता है ताकि इंटरनेट टेलीफोनी सेवा को अंतर्निहित पहुंच नेटवर्क से मुक्त रखा जा सके।

- पहुंच सेवा प्राधिकार सहित यूल (वीएनओ) लाइसेंस को भी विनिर्दिष्ट सेवा क्षेत्र में मुक्त इंटरनेट टेलीफोनी मुहैया करवाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- अंतर्राष्ट्रीय स्थानों से अंतर्राष्ट्रीय ऑउट रोमर्स द्वारा आरंभ की गई इंटरनेट टेलीफोनी कॉलों को लाइसेंस प्राप्त आईएलडीओ के अंतर्राष्ट्रीय गेटवे को हैंडओवर की जानी चाहिए तथा अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभार का भुगतान कॉल समापन करने वाले पहुंच सेवा प्रदाताओं को किया जाना चाहिए। यदि पहुंच प्रदाता यह सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं हो कि देश के बाहर से आरंभ हुई इंटरनेट टेलीफोनी कॉल आईएलडीओ गेटवे के माध्यम से आ रही है तो पहुंच प्रदाता के इंटरनेट टेलीफोनी सब्सक्राइबरों के अंतर्राष्ट्रीय ऑउट रोमिंग को अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए।
- सेवा प्रदाता द्वारा इंटरनेट टेलीफोनी मुहैया करवाने के लिए मोबाइल नम्बर सीरीज का उपयोग किया जाना चाहिए। टीएसपी को सेल्यूलर मोबाइल सेवा तथा इंटरनेट टेलीफोनी सेवा, दोनों के लिए एक ही नम्बर आवंटित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- किसी सेवा प्रदाता द्वारा इंटरनेट टेलीफोनी मुहैया करवाने के लिए एसडीसीए से संबद्ध नम्बर सीरीज का भी उपयोग किया जा सकता है। तथापि, इस मामले में, मोबिलिटी, उपभोक्ता के भवन तक सीमित होनी चाहिए।
- पहुंच सेवा लाइसेंसधारी को ई.164 से एसआईपी / एच.323 एड्रेसेज तक तथा अनुलोमत मैपिंग टेलीफोन नम्बर हेतु अपने नेटवर्क में निजी ईएनयूएम का उपयोग करना चाहिए।
- पहुंच सेवा प्राधिकार सहित वीएनओ द्वारा इंटरनेट टेलीफोनी उपलब्ध कराए जाने पर, नम्बर संसाधन आवंटन, मूल एनएसओ द्वारा किया जाना चाहिए।
- इंटरनेट टेलीफोनी सेवा उपलब्ध करवाने वाले पहुंच सेवा प्रदाताओं को लोकेशन सर्विसेज का उपयोग कर आपात नम्बर की कॉल तक पहुंच को सुकर बनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है; तथापि, उन्हें वर्तमान में ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु अधिदेशित नहीं किया जाए। सब्सक्राइबरों को असंदिग्धार्थी रूप से इंटरनेट टेलीफोनी सब्सक्राइबरों तक आपातकाल सेवाओं की पहुंच प्रदान करने संबंधी सीमाओं के बारे में जानकारी दी जाए।
- इंटरनेट टेलीफोनी में सेवा की गुणवत्ता को बाजार शक्तियों पर छोड़ दिया जाए। सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट टेलीफोनी के संबंध में उनके द्वारा समर्थित सेवा की गुणवत्ता मानदंडों के बारे में अवश्य जानकारी

देनी होगी ताकि सब्सक्राइबर जानकारीप्रद निर्णय ले सकें। प्राधिकरण, उपर्युक्त समय पर इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदाताओं के लिए सेवा की गुणवत्ता को अधिदेशित किए जाने के संबंध में निर्णय की समीक्षा करेगा।

## दूरसंचार व्यापार करने में सुगमता

- “दूरसंचार व्यापार करने में सुगमता” विषय पर दिनांक 30 नवम्बर, 2017 की सिफारिशें

दूरसंचार क्षेत्र के अबाधित विकास के लिए “व्यापार करने में सुगमता” को बढ़ावा देना अनिवार्य है और यह सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार द्वारा सामान्यतः भादूविप्रा की सिफारिशों पर दूरसंचार व्यापार करने में सुगमता हेतु पहले ही अनेक कदम उठाए गए हैं, समय के साथ नीतियों में परिवर्तन होने अथवा प्रौद्योगिकीय विकास के साथ, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हो सकती हैं जो अनावश्यक हो गई हों अथवा जिन्हें कुशल तथा पारदर्शी तरीके से निष्पादित किया जा सकता है।

इस पृष्ठभूमि में, भादूविप्रा ने दिनांक 14 मार्च, 2017 को स्वतः एक पत्र जारी कर हितधारकों से मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा करने तथा ऐसे अवरोध, बाधाएं अथवा रुकावटों की पहचान करने का अनुरोध किया जिनके लिए विनियामककारी हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है। विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों तथा आंतरिक विश्लेषण के आधार पर, प्रारूप सिफारिशों को तैयार कर दिनांक 19 सितम्बर, 2017 को भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड कर हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित की गई थी। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियां तथा और विश्लेषण करने के आधार पर, भादूविप्रा ने दिनांक 30 नवम्बर, 2017 को “दूरसंचार व्यापार करने में सुगमता” विषय पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया। कुछ मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं :–

- (क) एसएसीएफए अनुमति प्राप्ति की समग्र प्रक्रिया के साथ ही डब्ल्यूपीसी द्वारा जारी किए जाने वाले सभी लाइसेंसों / अनुमतियों को प्रदान किए जाने को कागज रहित बनाया जाना चाहिए तथा इसे एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ‘एंड-टू-एंड’ आधार पर निष्पादित किया जाना चाहिए।
- (ख) अधिकतम 30 दिनों की एक सुपरिभाषित समय-सीमा होनी चाहिए जिसके भीतर एक आयात लाइसेंस प्रदान किया जाना चाहिए तथा इसकी घोषणा पोर्टल के साथ-साथ नागरिक चार्टर में भी की जानी चाहिए।
- (ग) एनसीएलटी अनुमोदन के उपरांत दूरसंचार विभाग को लाइसेंस प्रदाता द्वारा लाइसेंसों के अंतरण / विलय के लिए लिखित अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकतम 30 दिनों की सुपरिभाषित समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए तथा इसे विलय तथा अधिग्रहण दिशानिर्देशों का भाग बनाया जाना चाहिए।

- (घ) यदि विलय के परिणामस्वरूप स्पेक्ट्रम की अनुमेय अधिकतम सीमा से अधिक स्पेक्ट्रम हो जाता है तो अंतरिती कंपनी/परिणामी कंपनी को एक वर्ष की विनिर्धारित अवधि के भीतर अपनी स्पेक्ट्रम धारित का अभ्यर्पण करने अथवा व्यापार करने का एक विकल्प दिया जाना चाहिए।
- (ङ.) सभी पहुंच स्पेक्ट्रम बैंडों, जिनमें नीलामी की गई थी, में स्पेक्ट्रम का व्यापार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। किसी बैंड में व्यापार हेतु अनुमेय ब्लॉक आकार, आयोजित की गई नवीनतम नीलामी के लिए इनआईए में यथा विनिर्दिष्ट ब्लॉक आकार के अनुरूप ही होना चाहिए।
- (च) टीएसपी को केवल डीएचक्यू/ बीएचक्यू/ एसडीसीए, जिनकी वास्तव में टीईआरएम प्रकोष्ठ द्वारा जांच की जाती है, 'सेवा प्रारंभ करने हेतु दायित्व जांच शुल्क' हेतु प्रभारित किया जाना चाहिए।
- (छ) सेवा आरंभ करने के दायित्व के किसी विशेष चरण को आरंभ करने के लिए निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) को टीईआरएम प्रकोष्ठ द्वारा सफलतापूर्वक प्रमाणन उपरांत जारी किया जाना चाहिए। यदि पेशकश की तिथि के 12 माह पश्चात् टीईआरएम प्रकोष्ठ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो जांच के लंबन के कारण पीबीजी को जारी किए जाने से रोका नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा, दूरसंचार विभाग को बैंक गारंटी के प्रतिदाय के लिए सीसीए द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए कि सीसीए बैंक गारंटी जारी करने के लिए 30 दिनों से अधिक का समय न ले।
- (ज) दूरसंचार विभाग को शास्ति को घटना की गंभीरता तथा उल्लंघन की पुनरावृत्ति से जोड़ते हुए वित्तीय शास्ति लगाने के लिए एक उपर्युक्त मेट्रिक्स तैयार करनी चाहिए।

## क्लॉउड सर्विस

### ➤ “क्लॉउड सर्विस” के संबंध में दिनांक 17 अगस्त, 2017 की सिफारिशें

भादूविप्रा ने दिनांक 17 अगस्त, 2017 को “क्लॉउड सर्विस” विषय पर सिफारिशें जारी की। सिफारिशों की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं :-

- क्लॉउड सर्विस को विनियमित करने के लिए ‘लाईट टच’ विनियामक पद्धति अपनाई गई है।
- दूरसंचार विभाग ऐसे क्लॉउड सेवा प्रदाताओं (सीएसपी) उद्योग निकायों के पंजीकरण के लिए ढांचा विहित करेगा जो लाभ अर्जन के लिए काम नहीं कर रहे हैं। एक न्यूनतम सीमा जिसका सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, उससे इतर सभी सीएसपी को ऐसे किसी एक औद्योगिक निकाय का सदस्य बनना होगा।
- औद्योगिक निकाय अपने कार्यक्रम के लिए आचरण संहिता (सीओसी) विहित करेगा जिसका पालन उनके सदस्यगण करेंगे। सीओसी के अलावा, औद्योगिक निकाय का शासकीय ढांचा होगा जिसका उद्देश्य सीओसी का प्रभावी तथा पारदर्शी कार्यान्वयन, प्रबंधन तथा प्रादुर्भाव सुनिश्चित करना है। लाभ नहीं अर्जित करने

वाला औद्योगिक निकाय अपने सदस्यों से शुल्क प्रभारित कर सकता है, जो कि न्यायसंगत, उचित तथा गैर- भेदभावपूर्ण होना चाहिए।

- औद्योगिक निकाय की एक उद्घटन की प्रणाली होगी ताकि अंतर्संयोजनता, बिलिंग, डॉटा सुरक्षा तथा अन्य संबंध मामलों के संबंध में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा सके।
- एक क्लॉउड सेवा परामर्शदाता समूह (सीएसएजी) का गठन किया जाएगा जो कि क्लॉउड सेवा की प्रगति की आवधिक रूप से समीक्षा करेगा तथा सरकार को कोई सुझाव, यदि हों तो, देगा।
- भारतीय दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी (टीएसडीएसआई) को क्लॉउड सेवाओं की अंतर्संयोजनता सुनिश्चित करने के लिए मानक विकसित करने का कार्य सौंपा गया है।
- सरकार सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए एक महत्वपूर्ण तथा वृहद डॉटा सुरक्षा कानून को अधिनियमित करने पर विचार कर सकती है।
- सरकार क्षेत्राधिकार से जुड़े मुद्दों तथा क्लॉउड पर मौजूद डॉटा को विधिपूर्ण तरीके से अंतरावरोधन करने तथा पहुंच बनाने के लिए मौजूदा एमएलएटी में संशोधन करने के लिए एक सुदृढ़ आपसी विधिक सहायता संघि (एमएलएटी) तैयार करेगी।
- सरकार क्लॉउड अवसंरचना परियोजनाओं के माध्यम से क्लॉउड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी नीति को जारी रखेगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, वर्तमान के अनुसार, राजसहायता मुहैया करवाने सहित इस क्षेत्र में आईसीटी को अंगीकार करने को बढ़ावा देने को भी जारी रख सकता है।

## दूरसंचार से संबंधित मुद्दों पर अन्य सिफारिशें

### ➤ “पहुंच सेवाओं को बंद करने से संबंधित मुद्दों“ पर 31 जुलाई, 2017 की सिफारिशें

बाजार आधारित स्पेक्ट्रम प्रबंधन को अपनाने की वजह से पहुंच सेवाओं को जारी रखना अब निश्चित नहीं है। बीते दिनों ऐसे कई मामले हुए हैं, जिनमें लाइसेंसधारी के लाइसेंस की वैधता अवधि के समाप्त होने पर, बैंड में इसकी स्पैक्ट्रम धारिता को पुनः प्राप्त करने में इसके विफल रहने; लाइसेंसधारी द्वारा लगाई गई प्रौद्योगिकी में परिवर्तन; स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के जरिये पूर्ण स्पेक्ट्रम धारिता की बिक्री; रोमिंग व्यवस्था का लगभग समाप्त होने; जैसे कारणों से लाइसेंसधारी द्वारा मुहैया कराई जा रही पहुंच सेवाएं बंद हुई हैं। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था।

पहुंच सेवाओं को बंद करने से उपभोक्ताओं को अनावश्यक समस्याओं का सामना न करना पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण ने स्वयं इस मुद्दे पर एक परामर्श प्रक्रिया आरंभ की। तदनुसार, “पहुंच सेवाएं बंद करने से संबंधित मुद्दों“ पर एक परामर्श पत्र दिनांक 30 नवंबर, 2016 को जारी किया गया, जिसमें हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गई थीं।

प्राप्त टिप्पणियों और विश्लेषण के आधार पर 31 जुलाई, 2017 को “पहुंच सेवाएं बंद करने से संबंधित मुद्दों” पर सिफारिशें जारी की गई। इनमें से कुछ सिफारिशें नीचे दी गई हैं:

- एकीकृत पहुंच सेवाएं (यूएएस) लाइसेंसधारी को लाइसेंस वापस किए बिना लाइसेंस के स्कोप के अंतर्गत अनुमति सेवाओं में से किसी भी सेवा को बंद करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- यदि यूएएस लाइसेंसधारी अपनी वायरलैस पहुंच सेवाएं बंद करने का निर्णय लेता है, जो प्रशासनिक रूप से सौंपे गए स्पेक्ट्रम के जरिये मुहैया कराई जा रही थी, उसे वायरलैस पहुंच सेवाएं बंद करने के तुरंत बाद ऐसे स्पेक्ट्रम वापस करने चाहिए।
- इसके पूरे सेवा क्षेत्र या किसी भाग में किसी प्रौद्योगिकी के जरिये पहुंच सेवा बंद करने के मामले में टीएसपी के लिए लाइसेंस प्रदाता और भादूविप्रा को 60 दिन का और उसके प्रभावित उपभोक्ताओं को 30 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होगा, जिसमें उपभोक्ताओं को एएनपी की सुविधा सहित उपलब्ध अन्य विकल्पों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।
- प्राधिकरण ने स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग प्रक्रिया में दूरसंचार विभाग/डब्ल्यूपीसी और लाइसेंसधारी द्वारा पालन की जाने वाली विभिन्न समय-सीमाओं की सिफारिश की है। इन समय-सीमाओं से स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग की पूरी प्रक्रिया में काफी पारदर्शिता और निश्चितता आएगी। यदि लाइसेंसधारी द्वारा सभी बैंड में पूरे स्पेक्ट्रम की बिक्री की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप, सेवाएं बंद हो जाएंगी, तो अनुसंशित समय-सीमाओं से अनिश्चितता समाप्त हो जाएगी और यह टीएसपी द्वारा दूरसंचार विभाग/भादूविप्रा को 60 दिन का और इसके उपभोक्ताओं को 30 दिन का नोटिस देने को सुगम बनाएगा।
- यदि उपभोक्ता एक ही टीएसपी के भीतर एक प्रौद्योगिकी की जगह दूसरी प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहता है तो यह मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आना चाहिए।

➤ “सेवा क्षेत्र के रूप में राज्य के जिलों के साथ श्रेणी ख लाइसेंस के लिए पहुंच सेवा प्राधिकार हेतु यूएल (वीएनओ) शुरू करना“ पर 8 सितंबर, 2017 की सिफारिशें

दूरसंचार विभाग ने अपने दिनांक 11 जुलाई, 2016 के अपने पत्र के माध्यम से भादूविप्रा से विचुअल नेटवर्क ऑपरेटरों (वीएनओ) हेतु सेवा क्षेत्र के रूप में राज्य के जिलों के साथ श्रेणी बी लाइसेंस के लिए पहुंच सेवा प्राधिकार के लिए सिफारिशों के मुद्दे पर सिफारिशें जारी करने का अनुरोध किया है।

वायरलाइन सेगमेंट में, दूरसंचार विभाग ने जनता को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के अपने प्रयास को बल प्रदान करने के लिए 1994 में डायरेक्ट इनवार्ड डायलिंग (डीआईडी) नामक योजना शुरू की थी, जिसका मकसद दूरसंचार विभाग की फ्रेंचाइजी के रूप में निजी कंपनियों द्वारा ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज (इपीएबीएक्स) की सुविधाएं मुहैया करना था।

“दूरसंचार क्षेत्र में विर्चुअल नेटवर्क आपरेटरर शुरू करना” पर भादूविप्रा की दिनांक 1 मई, 2015 की सिफारिशों के अनुसरण में दूरसंचार विभाग ने एकीकृत लाइसेंस (वीएनओ) प्रदान करने के लिए 31 मई, 2016 को दिशानिर्देश जारी किए। इसके अलावा, 5 जुलाई, 2016 की अपनी अधिसूचना के तहत दूरसंचार विभाग ने डायरेक्ट इनवार्ड डायलिंग (डीआईडी) फ्रेंचाइजी जैसे उद्यमियों के लिए सेवा क्षेत्र के रूप में राज्य के जिलों के साथ श्रेणी बी लाइसेंस हेतु प्राधिकार के लिए यूएल (वीएनओ) देने के लिए दिशानिर्देश अलग से जारी किए।

भादूविप्रा ने “सेवा क्षेत्र के रूप में राज्य के जिलों के साथ श्रेणी बी लाइसेंस के लिए पहुंच सेवा प्राधिकार हेतु यूएल (वीएनओ) शुरू करना” पर दिनांक 20 मार्च, 2017 को एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें हितधारकों से टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां मांगी गई।

शामिल मुद्दों का विश्लेषण करने और हितधारकों से लिखित में टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद और खुला मंच चर्चा, आंतरिक विश्लेषण एवं छानबीन के बाद, भादूविप्रा ने 8 सितंबर, 2017 को “सेवा क्षेत्र के रूप में राज्य के जिलों के साथ श्रेणी बी लाइसेंस के लिए पहुंच सेवा प्राधिकार हेतु यूएल (वीएनओ) शुरू करना” पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया। इन सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- गैर-विशिष्ट आधार पर सेवा क्षेत्र के रूप में जिलों के साथ श्रेणी बी, लाइसेंस के रूप में पहुंच सेवा के लिए एकीकृत लाइसेंस (वीएनओ) के तहत प्राधिकार की एक नई श्रेणी शुरू की जाए। उनकी सेवाएं जारी रखने के लिए मौजूदा डीआईडी फ्रेंचाइजी को यूएल (वीएनओ) श्रेणी बी को अपनाना चाहिए।
- नए लाइसेंस केवल मौजूदा डीआईडी फ्रेंचाइजी तक सीमित नहीं किए जाने चाहिए और ये ऐसी सेवाएं प्रदान करने की इच्छुक सभी कंपनियों के लिए खोल दिए जाने चाहिए।
- प्रस्तावित यूएन (वीएनओ) श्रेणी बी लाइसेंस का स्कोप केवल जिले के भीतर वायरलाइन पहुंच सेवाओं को मुहैया कराए जाए। वायरलैस पहुंच सेवाएं यूएल वीएनओ श्रेणी बी के स्कोप का भाग नहीं होंगी।
- यूएल(वीएनओ) श्रेणी बी लाइसेंस की अवधि यूएल (वीएनओ) नीति के अनुरूप बनी रहेगी।
- लाइसेंस की 10 वर्ष की अवधि के लिए 1,65,000 रुपये का प्रवेश शुल्क यूएल (वीएनओ) श्रेणी बी लाइसेंसधारी पर लागू होगा। 1,00,000 रुपये की वित्तीय बैंक गारंटी यूएल (वीएनओ) श्रेणी बी लाइसेंसधारी पर लागू होगी।
- यूएल (वीएनओ) श्रेणी बी लाइसेंसधारी की न्यूनतम निवल संपत्ति प्रति प्राधिकार 5 लाख रुपये से अधिक होनी चाहिए।
- फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार विभाग को ‘ब्रॉडबैंड शीघ्रता से प्रदान करना’ इसके लिए हमें क्या करना चाहिए?’ पर 17 अप्रैल, 2015 की भादूविप्रा की सिफारिशों को लागू करना चाहिए,

जिनमें फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड से अर्जित लाभ पर लाइसेंस शुल्क को कम से कम 5 वर्ष के लिए छूट दी जानी चाहिए।

- वीएनओ व्यवस्था शुरू होने से दोहरे कराधान की समस्या उत्पन्न हो गई है। दूरसंचार विभाग को एजीआर घटकों की समीक्षा करने पर विचार करना चाहिए और सेवाएं प्राप्त करने के लिए टीएसपी/एनएसओ को वीएनओ लाइसेंसधारी द्वारा अदा किए गए प्रभारों को आईयूसी, रोमिंग प्रभार आदि जैसे यूएल के तहत अनुमति अन्य पास थ्रू प्रभारों की भाँति एजीआर की गणना करने के लिए पास थ्रू प्रभारों के रूप में काटने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के अनुरूप भी होगा।
- यूएल (वीएनओ) श्रेणी बी लाइसेंसधारी पर अधिकतम जुर्माने की राशि यूएल (वीएनओ) नीति में आईएसपी श्रेणी सी के लिए निर्धारित राशि के समान होनी चाहिए। यूएल (वीएनओ) श्रेणी लाइसेंसधारी को भाद्रविप्रा द्वारा समय-समय पर जारी टैरिफ आदेशों/विनियमों/निदेशों के तहत दायित्वों का पालन करना होगा।
- कनेक्टीविटी यूएल (वीएनओ) श्रेणी बी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लाइसेंसधारी को केवल ईपीएबीएक्स के जरिये वायरलाइन पहुंच सेवाओं के प्रावधान के मामले में, अपने कार्यक्षेत्र के लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र अर्थात् जिले के भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न टीएसपी/एनएसओ के साथ विभिन्न लोकेशनों में कनेक्टीविटी के लिए मसझौता करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- यूएल (वीएनओ) (पहुंच सेवा) लाइसेंस में संशोधन किया जाए ताकि केवल ईपीएबीएक्स के जरिये वायरलाइन पहुंच सेवाओं के प्रावधान के मामले में, एलएसए की विभिन्न लोकेशनों पर वायरलाइन नेटवर्क के लिए वीएनओ द्वारा एक से अधिक एनएसओ के साथ पैरेंटिंग की अनुमति देने का प्रावधान किया जा सके।
- एक ही ईपीएबीएक्स पर एक से अधिक टीएसपी/एनएसओ से कनेक्टीविटी की अनुमति देने की व्यवस्था करने की अनुमति केवल टीईसी/दूरसंचार विभाग द्वारा वांछित विशिष्टियों के साथ उपयुक्त जांच और स्थीकृति के बाद ही दी जा सकती है। इसके अलावा, इस तरह की व्यवस्था को जारी रखना दूरसंचार विभाग/टीईसी के निर्णय पर निर्भर करेगा।
- प्रदाता टीएसपी/एनएसओ को यूएल (वीएनओ) श्रेणी बी लाइसेंसधारी के साथ सेवा स्तर समझौता (एसएलए) करना अनिवार्य होगा।

➤ “मुफ्त डेटा का प्रावधान करना“ पर 19 दिसंबर, 2016 के भाद्रविप्रा की सिफारिशों पर 25 सितंबर, 2017 के दूरसंचार विभाग के पत्र के लिए प्राधिकरण का उत्तर

दूरसंचार विभाग ने 25 सितंबर, 2017 के अपने पत्र के द्वारा कुछ सिफारिशों पुनर्विचार के लिए वापस भेजी थी, जिनमें भाद्रविप्रा ने ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 100 एमबी डेटा प्रतिमाह मुफ्त मुहैया कराने और कार्यान्वयन की लागत यूएसओएफ से पूरा करने की सिफारिश की थी। दूरसंचार विभाग ने समूहक के बिजनस मॉडल और

समूहक संबंधी शिकायतों के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली के संबंध में अधिक स्पष्टता की मांग की थी।

25 सितंबर, 2017 के पत्र की विषय—वस्तु पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, प्राधिकरण के उत्तर को अंतिम रूप दिया गया और 29 नवंबर, 2017 को इसे दूरसंचार विभाग को भेजा गया।

### **अंतर—मंत्रालय समूह रिपोर्ट की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में स्पेक्ट्रम सीमा से संबंधित मुद्दों पर भादूविप्रा का 21 नवंबर, 2017 का उत्तर**

सरकार ने हाल ही में, “चुनिंदा क्षेत्रों में तुलन—पत्र में दबाव” पर एक अंतर—मंत्रालय समूह (आईएमजी) का गठन किया। आईएमजी ने अन्य के साथ, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के लिए लागू स्पेक्ट्रम सीमा की समीक्षा की। आईएमजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि स्पेक्ट्रम सीमा का मुद्दा क्षेत्र के विनियामकों से विभिन्न सूचनाएं और विस्तृत जांच को सुगम बनाता है। आईएमजी की रिपोर्ट के आलोक में, दूरसंचार विभाग ने 29 सितंबर, 2017 के अपने पत्र द्वारा भादूविप्रा से स्पेक्ट्रम सीमा पर अपनी राय देने का अनुरोध किया था।

मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, 700/800/900/1800/2100/2300/2500 मेगाहर्ट्ज बैंड में दिए गए कुल स्पेक्ट्रम पर 25 प्रतिशत की सीमा और प्रत्येक सेवा क्षेत्र में दिए गए बैंड के भीतर 50 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की गई है।

भादूविप्रा ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से टिप्पणी मांगी और अन्य बातों के साथ—साथ निम्नलिखित पर गौर किया:

- एक समय पर 25 प्रतिशत की समग्र स्पेक्ट्रम सीमा लगाई गई, जब एलएसए में 6–10 टीएसपी थे। क्षेत्र में सतत् समेकन के बाद, एलएसए में टीएसपी की संख्या काफी कम हो सकती है।
- नीलामी के जरिये दिए जा रहे स्पेक्ट्रम उदारीकृत स्पेक्ट्रम हैं। वर्तमान में, विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा धारित 80 प्रतिशत से अधिक स्पेक्ट्रम उदारीकृत स्पेक्ट्रम हैं, जिसमें वे किसी बैंड में या एक से अधिक बैंड का इस्तेमाल करके अपनी पसंद की किसी भी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- चूंकि एलटीई डिवाइस इको सिस्टम प्रत्येक स्पेक्ट्रम बैंड में विकसित हो रहा है, इसलिए प्रत्येक स्पेक्ट्रम बैंड में स्पेक्ट्रम सीमा लगाने की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। बल्कि एक ही प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए विभिन्न बैंड में स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए टीएसपी को कहने से नेटवर्क की लागत तो बढ़ती है मगर वास्तव में कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- सब-1 GHz बैंड्स कम जनसंख्या घनत्व वाले बड़े क्षेत्रों में वायरलैस ब्रॉडबैंड सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक ऑप्टिमल बैंड माने जाते हैं। इसलिए सब-1 GHz रेंज यथा 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज, में स्पेक्ट्रम पर अलग से विचार किया जाना चाहिए और एकाधिकार को रोकने के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए।

भादूविप्रा ने दूरसंचार के लिए दिनांक 21 नवंबर, 2017 के अपने उत्तर में निम्नलिखित मत प्रकट किए हैं:

- समग्र स्पेक्ट्रम सीमा मौजूदा 25 प्रशित से बढ़ाकर 35 प्रतिशत की जानी चाहिए।
  - मौजूदा अंतर-बैंड सीमा को हटाया जाए। इसके स्थान पर, सब-1 बैंड्स (700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज बैंड) में संयुक्त स्पेक्ट्रम धारिता पर 50 प्रतिशत की सीमा होनी चाहिए।
- “वाणिज्यिक सेवाएं शुरू करने से पहले नेटवर्क परीक्षण“ पर 4 दिसंबर, 2017 की सिफारिशें

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को उपभोक्ताओं को मोबाइल सेवाएं देने के लिए लागू प्रणालियां संस्थापित करनी जरूरी होती है। एक टीएसपी को सुनिश्चित करना होता है कि उसकी सेवाएं दूरसंचार विभाग और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनिर्धारित सेवा की गुणवत्ता के मानकों को पूरा करती है। अतः वाणिज्यिक सेवाएं शुरू करने से पहले सभी लागू प्रणालियों का परीक्षण किया जाना बहुत जरूरी है।

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 9 सितंबर, 2016 के अपने पत्र के द्वारा सूचित किया था कि वर्तमान में लाइसेंसधारियों द्वारा पिछली कार्यपद्धतियों के आधार पर नेटवर्क परीक्षण किया जा रहा है, और इन लाइसेंसधारियों द्वारा सेवाओं को वाणिज्यिक रूप से शुरू करने से पहले नेटवर्क की गुणवत्ता की जांच करने के लिए टेस्ट सिम कार्ड जारी किए जाते हैं। दूरसंचार विभाग द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए जारी किए गए मौजूदा लाइसेंस में लाइसेंसधारियों द्वारा वाणिज्यिक सेवाएं शुरू करने से पहले नेटवर्क परीक्षण करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अतः दूरसंचार विभाग ने प्राधिकरण से वाणिज्यिक प्रारंभ, परीक्षण अवधि आदि से पहले परीक्षण के लिए ग्राहकों का नामांकन करने के साथ सेवाओं को वाणिज्यिक रूप से शुरू करने से पहले नेटवर्क का परीक्षण करने पर अपनी सिफारिशें देने का अनुरोध किया था।

इस संबंध में, 1 मई, 2017 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया था, जिसमें विभिन्न मुद्दों और मामलों, जिन पर चर्चा हो चुकी है, पर स्पष्टता लाने के लिए संभावित फ्रेमवर्क शामिल किया गया था और हितधारकों से उनकी टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां मांगी गई थी। प्राप्त टिप्पणियों और आंतरिक विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने “वाणिज्यिक सेवाएं शुरू करने से पहले नेटवर्क परीक्षण” अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया और 4 दिसंबर, 2017 को सरकार को भेज दी। प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

- टीएसपी को अपनी सेवाएं वाणिज्यिक रूप से शुरू करने से पहले नेटवर्क परीक्षण करने के लिए परीक्षण के चरण में परीक्षण उपभोक्ताओं को शामिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- परीक्षण उपभोक्ताओं की संख्या, जो टीएसपी द्वारा एलएसए में शामिल किए जा सकते हैं, उक्त एलएसए के लिए इसकी संस्थापित नेटवर्क क्षमता के 5 प्रतिशत तक सीमित होनी चाहिए। सेवा प्रदाता नेटवर्क की

विस्तृत क्षमता आकलन, परीक्षण उपभोक्ताओं के नामांकन का काम शुरू करने से कम से कम 15 दिन पहले दूरसंचार विभाग और भाद्रविप्रा को प्रस्तुत करेगा।

- परीक्षण उपभोक्ताओं के परीक्षण चरण के लिए 90 दिनों की सीमा तय होनी चाहिए। बहरहाल, यदि टीएसपी विभिन्न उचित कारणों से नेटवर्क परीक्षण करने में विफल रहता है तो वह लाइसेंस प्रदाता को एक अभ्यावेदन देगा, जिसमें वह विस्तृत औचित्य देकर नेटवर्क परीक्षण लिए अतिरिक्त समय की मांग करेगा, इसका निर्धारण लाइसेंस प्रदाता द्वारा मामले-मामले के आधार पर किया जाएगा।
- यदि टीएसपी परीक्षण उपभोक्ताओं का नामांकन करना चाहता है तो उसे परीक्षण उपभोक्ताओं का नामांकन शुरू करने से कम से कम 15 दिन पहले दूरसंचार विभाग और भाद्रविप्रा को इसकी सूचना देनी होगी।
- लाइसेंसधारी द्वारा सुरक्षा और निजता से जुड़े सभी लाइसेंसिंग प्रावधान जैसे उपभोक्ता के रूप में नामांकन करने से पहले प्रत्येक ग्राहक का पर्याप्त सत्यापन सुनिश्चित करना, संचार की सुरक्षा और निजता, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) / आईपी डिटेल रिकॉर्ड (आईपीडीआर) रखना, सूचना की गोपनीयता, कानूनी हस्तक्षेप और निगरानी आदि का पालन किया जाना चाहिए।
- परीक्षण के अधीन वाले नेटवर्क को एमएनपी की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए।
- यदि टीएसपी अपने नेटवर्क के परीक्षण के लिए परीक्षण उपभोक्ताओं का नामांकन करना चाहता है तो इन उपभोक्ताओं के नामांकन के समय उन्हें निम्नलिखित सूचना पारदर्शी ढंग से देनी चाहिए:-
  - परीक्षण चरण के दौरान, टीएसपी के लिए सेवा की गुणवत्ता के विनिर्दिष्ट स्तर का पालन करना अनिवार्य नहीं है। इसलिए नेटवर्क निष्पादन का स्तर कम हो सकता है।
  - परीक्षण अवधि के दौरान सेवाओं का स्कोप।
  - सेवाएं वाणिज्यिक तरीके से शुरू होने तक एमएनपी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
  - परीक्षण अवधि के दौरान, कोई प्रभार (नियत प्रभार या उपयोग आधारित प्रभार) नहीं होगा।
  - वाणिज्यिक रूप से शुरू करने की संभावित तिथि।

## प्रसारण क्षेत्र

- “भारत में डिजिटल टेरेस्टिरियल प्रसारण से संबंधित मुद्दों” पर 31 जनवरी, 2017 की सिफारिशें

प्राधिकरण ने 31 जनवरी, 2017 को “भारत में डिजिटल टेरेस्टिरियल प्रसारण से संबंधित मुद्दों” पर अपनी सिफारिशें भेजी थीं। इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार थीं:-

- टीवी चैनलों, मोबाइल टीवी सेवाएं और अन्य मूल्य संवर्धित सेवाएं प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को वैकल्पिक किफायती प्लेटफार्म मुहैया कराने के लिए पूरे देश में डीटीटी सेवाएं समयबद्ध तरीके से शुरू की जाए।
- सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसारकों (दूरदर्शन) के साथ निजी कंपनियों को भी डीटीटी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी जाए ताकि बाजार में बहुलता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सके। निजी क्षेत्र की भागीदारी से निवेश आने और डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है जिससे उपभोक्ताओं को अलग-अलग तरह के चैनल और मूल्य संवर्धित सेवाओं का लाभ मिलेगा।
- एसडीटीवी, एचडीटीवी चैनल, मोबाइल टीवी सेवाएं और मूल्य संवर्धित सेवाओं सहित अन्य सेवाओं का बेहतर बुके मुहैया कराने के लिए डीटीटी को एक प्रतिस्पर्धा प्लेटफार्म के रूप में बनाने के लिए विशिष्ट सेवा क्षेत्र में कुल सात डीटीटी ट्रांसमीटरों की अनुमति दी जाए।
- स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के अनुसार, विशेष स्थान में डीटीटी प्रदाताओं की अधिकतम संख्या पांच (एक सार्वजनिक प्रसारक और चार निजी प्रसारक) निर्धारित की जाए।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग के वायरलैस नियोजन एवं समन्वय विंग और ब्राउकॉस्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) जैसी अन्य तकनीकी एजेंसी से परामर्श करके डीटीटी सेवाएं समयबद्ध तरीके से शुरू करने के लिए विस्तृत आवृत्ति नियोजन कर सकता है।
- डिजिटल टेरेस्टिरियल ट्रांसमिशन को पूरे देश में दिसंबर 2023 तक पूर्ण माझग्रेशन एवं एनालॉग स्विच ऑफ के साथ निम्नलिखित तीन चरणों में कार्यान्वित किया जाए:

चरण	समय-सीमा
चरण-1 (मेट्रो शहर)	31 दिसंबर, 2019
चरण-2 (2011 की जनगणना के अनुसार, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर)	31 दिसंबर, 2021
चरण-3 (शेष भारत)	31 दिसंबर, 2023

- एनालॉग को बंद करने से पहले एनालॉग से डिजिटल प्लेटफार्म में जाने के लिए सिमुलकास्ट अवधि के रूप में कम से कम तीन माह का ओवरलैप दिया जाए।

- टेरेसटिरियल प्रसारण के डिजिटाइजेशन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और इसे समय पर पूरा करने के लिए डीटीटी को मिशन मोड परियोजना के रूप में कार्यान्वित करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को एक समन्वय समिति का गठन करना चाहिए।

➤ “टेलीविजन प्रसारण वितरण क्षेत्र में इन्क्रास्ट्रक्चर को साझा करना” पर 29 मार्च, 2017 की सिफारिशें

भादूविप्रा ने 29 मार्च, 2017 को “टेलीविजन प्रसारण वितरण क्षेत्र में इन्क्रास्ट्रक्चर को साझा करना” पर सिफारिशें भेजी थी। इन सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार थीं:

- केन्द्र सरकार को स्वैच्छिक आधार पर टेलीविजन प्रसारण वितरण नेटवर्क के क्षेत्र में जहां-कहीं व्यवहारिक हो, इन्क्रास्ट्रक्चर को साझा करने को बढ़ावा देना चाहिए।
- स्वैच्छिक आधार पर एमएसओ में केबल टीवी सेवाओं के लिए प्रयुक्त हेड एंड और टीवी चैनलों के ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम्स ट्रांसमिटिंग सिग्नलों को साझा करने की अनुमति दी जाए।
- केबल टीवी सेवाओं के लिए प्रयुक्त हेड-एंड को साझा करने को सुगम बनाने के लिए ‘अपना स्वतंत्र डिजिटल हेड-एंड और अपने हेड-एंड से डिजिटल एड्रेसेबल केबल सेवाएं मुहैया कराने’ से संबंधित एमएसओ पंजीकरण शर्त में उपयुक्त संशोधन किया जाए ताकि हेड-एंड को साझा किया जा सके।
- हिट्स (HITS) ऑपरेटर और एमएसओ को टीवी चैनलों के वितरण के लिए लचीले तरीके से स्वैच्छिक आधार पर हिट्स प्लेटफार्म को साझा करने की अनुमति दी जाए। हिट्स द्वारा हिट्स ऑपरेटरों और एमएसओ के बीच ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम्स ट्रांसमिटिड को साझा करने की अनुमति दी जाए।
- अल्प सेटेलाइट संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर डीटीएच प्लेटफार्म और टीवी चैनलों के ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम को साझा करने के इच्छुक डीटीएच ऑपरेटरों को एमआईबी और भादूविप्रा को लिखित में सूचित करने के बाद ऐसा करने की अनुमति दी जाए।
- टीवी चैनलों के वितरकों को अपने सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम एप्लिकेशन्स और कंडीशनल सिस्टम्स एप्लिकेशन्स के लिए कॉमन हार्डवेयर को साझा करने की अनुमति दी जाए।
- टीवी चैनलों के दूसरे वितरकों के साथ इन्क्रास्ट्रक्चर साझा करते समय, संबंधित अधिनियमों/नियमों/विनियमों/लाइसेंस/आदेशों/निदेशों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करने की जिम्मेदारी स्वतंत्र रूप से टीवी चैनलों के प्रत्येक वितरक की बनी रहेगी।

### III अन्य मुद्दे

#### विनियम

- **दिनांक 3 मार्च, 2017 के दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं, सेवाओं की गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम्स) विनियम 2017**

भाद्रविप्रा ने 3 मार्च, 2017 को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं, सेवाओं की गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम्स) विनियम 2017 जारी किए थे। इन विनियमों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार थीं:

- यह सभी डिजिटल एड्रेसेबल प्लेटफार्म यथा डीटीएच, केबल टीवी, आईपीटीवी, हिट्स के लिए सेवा की गुणवत्ता के मानकों और उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक साझा फ्रेमवर्क है।
- उपभोक्ताओं द्वारा अला-कार्ट चैनलों और चैनलों के बुके हेतु सब्सक्रिप्शन के विकल्प को आसान बनाया गया है।
- कस्टमर केयर प्रोग्रामिंग सर्विस के जरिये डीपीओ द्वारा प्रस्तुत सेवाओं से संबंधित सूचना के प्रसार का मानकीकरण।
- डीपीओ के बीच सेवाओं के प्रचार को डीपीओ की वेबसाइट पर ‘उपभोक्ता कोना’ नाम से एक निर्दिष्ट लिंक बना कर स्तरीय बनाया गया है।
- डीपीओ प्लेटफार्म पर उपलब्ध सभी चैनलों और बुके को मासिक सब्सक्रिप्शन के आधार पर प्रदान करने को अनिवार्य बनाया गया है।
- डीपीओ के प्लेटफार्म पर उपलब्ध सभी चैनलों और उनकी एमआरपी को इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना ताकि उपभोक्ता इन्हें आसानी से पहचान और प्राप्त कर सके।
- उपभोक्ता परिसर उपस्कर/सेट टॉप बॉक्स योजनाओं को सरल बनाना।
- उपभोक्ता आवेदन फार्म (सीएएफ) को आसान बनाना और इलेक्ट्रॉनिक सीएएफ के उपयोग को बढ़ावा देना।
- उपभोक्ता अस्थायी रूप से बंद सेवाओं को एक वर्ष में तीन माह तक प्राप्त कर सकते हैं।
- सब्सक्राइब किए गए पैकेज में किसी बदलाव के लिए उपभोक्ताओं की सहमति को दर्ज करने को अनिवार्य बनाना।

- सेवाओं के 72 घंटे से अधिक और निरंतर बाधित रहने के मामले में उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना।
- सेवाओं के सब्सक्रिप्शन और प्रबंधन के लिए आईसीटी का उपयोग करना।

➤ **3 मार्च, 2017 के दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) विनियम, 2017**

भादूविप्रा ने 3 मार्च, 2017 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) विनियम, 2017 जारी किए, जो एड्रेसेबल सिस्टम के जरिये मुहैया कराए गए टेलीविजन से संबंधित प्रसारण सेवाओं के लिए इंटरकनेक्शन व्यवस्था को नियंत्रित करेंगे। इन विनियमों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थीं:-

- एड्रेसेबल सिस्टम्स के जरिये सेवाएं मुहैया करा रहे सभी प्रकार के टीवी वितरण प्लेटफार्म के लिए साझा विनियामक फ्रेमवर्क।
- गैर-विशिष्ट और गैर-विभिन्न आधार पर सेवा प्रदाताओं के लिए सिगनलों की उपलब्धता।
- गैर-विशिष्ट और गैर-विभिन्न आधार पर सभी प्रकार के वितरण प्लेटफार्म पर टीवी चैनलों के पुनः प्रसारण के लिए वितरण नेटवर्क तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- प्रसारक और वितरक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों और टैरिफ आदेशों के अनुसार, क्रमशः टीवी चैनलों के सिगनल मुहैया कराने और नेटवर्क तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अपने संदर्भ इंटरकनेक्शन ऑफर्स (आरआईओ) को तैयार करेंगे और इसकी घोषणा करेंगे।
- पारदर्शी आरआईओ फ्रेमवर्क के आधार पर टीवी चैनलों के सिगनल और नेटवर्क तक पहुंच को समयबद्ध तरीके से मुहैया कराना।
- आरआईओ के आधार पर प्रसारकों और वितरकों के बीच इंटरकनेक्शन समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- अधिकतम छूट की सीमा निर्धारित करना, जो प्रसारक द्वारा वितरकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए ऑफर किए जाए कि प्रसारकों द्वारा उपभोक्ताओं के लिए अला-कार्ट चैनलों और बुके के अवास्तविक मूल्य घोषित न किए जाए।
- अधिकतम छूट, जो समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए कैरेज फीस की दर पर प्रसारकों को सुनिश्चित करने के लिए ऑफर किए जा सकते हैं, की सीमा तय करना और यह सुनिश्चित करना कि वितरकों द्वारा प्रसारकों के लिए कैरेज फीस के अवास्तविक मूल्य घोषित न किए जाए, के साथ डीपीओ द्वारा घोषित कैरेज फीस की दर की सीमा तय करना।

- टीवी चैनलों को इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी) में रखने के लिए फ्रेमवर्क निर्धारित करना।
- सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट और लेखापरीक्षा के लिए फ्रेमवर्क निर्धारित करना।

प्राधिकरण का यह मत था कि ये विनियम पूरी वैल्यु चेन में पारदर्शिता, कुशलता और समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे सभी सेवा प्रदाताओं को समान अवसर प्राप्त होंगे और यह नए सेवा प्रदाताओं के प्रवेश संबंधी बाधाओं को कम करने और इस क्षेत्र में अधिक प्रतिस्पर्धा लाने में सहायक होंगे, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।

#### ➤ **18 अगस्त, 2017 के बेसिक टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की गुणवत्ता के मानक (पांचवा संशोधन) विनियम, 2017**

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 18 अगस्त, 2017 के बेसिक टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की गुणवत्ता के मानक (पांचवा संशोधन) विनियम, 2017 जारी किए थे। इन विनियमों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

- सेवा क्षेत्र के लिए कॉल ड्रॉप पर प्रदर्शन का आकलन एक माह के लिए सेवा क्षेत्र में सभी सेल्स के प्रदर्शन के औसत के आधार पर पूर्णरूपेण किया जा रहा है।
- वास्तव में औसत कुछ क्षेत्रों में सेल्स के खराब प्रदर्शन को छिपा रहे हैं।
- हालांकि सभी सेवा प्रदाता कॉल ड्रॉप के मापदंडों का पालन कर रहे हैं, फिर भी ग्राहक सेवा की खराब गुणवत्ता की शिकायत कर रहे थे।
- इस आधार पर, भादूविप्रा ने मोबाइल सेवाओं के नेटवर्क पैरामीटरों की समीक्षा की और 18 अगस्त, 2017 को विनियमों के लिए संशोधन जारी किया।
- ड्रॉप कॉल रेट (डीसीआर) के आकलन की संशोधित कार्यपद्धति, सभी बीटीएस के कॉल ड्रॉप के औसत की मौजूदा कार्यपद्धति के स्थान पर प्रतिशतक आधारित होगी, जो औसत की विसंगितयों को दूर कर देगी।
- डीसीआर का संशोधित दृष्टिकोण सेवा प्रदाता के नेटवर्क प्रदर्शन की बेहतर जानकारी देगा और उन स्थानीय क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेगा, जिसमें सेल्स कई दिनों से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं और यह उन दिनों की पहचान करने में भी मदद करेगा, जिनमें नेटवर्क में कई सेल्स सही प्रदर्शन नहीं कर रहे थे।
- संशोधित विनियमों में कॉल ड्रॉप के दो मौजूदा पैरामीटरों को दो नए पैरामीटरों से बदल दिया गया है।

- नए पैरामीटर डीसीआर स्पेटियल वितरण उपाय या डीसीआर नेटवर्क  $Q_{SD}(90,90)$  (मापदंड 2%) का आशय है कि नेटवर्क में कम से कम 90 प्रतिशत सेल्स को कम से कम 90 प्रतिशत दिनों पर निर्दिष्ट 2 प्रतिशत मापदंड से बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए।
- इसी प्रकार, एक और नया पैरामीटर डीसीआर टेंपोरल वितरण उपाय या डीसीआर नेटवर्क  $Q_{TD}(97,90)$  यह विश्वास देगा कि कम से 90 प्रतिशत दिनों पर नेटवर्क ने सेल्स के कम से कम 97 प्रतिशत दिनों के लिए निर्दिष्ट 3 प्रतिशत मापदंड से बेहतर प्रदर्शन किया।
- अधिकतम आर्थिक दंड के साथ, कॉल झूँप पर नए पैरामीटरों के मापदंडों का पालन नहीं करने पर श्रेणीबद्ध आर्थिक दंड की अधिकतम सीमा दोनों पैरामीटरों के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये है।
- संशोधित विनियमों की एक और खूबी यह है कि नेटवर्क पैरामीटर तकनीकी रूप से निष्पक्ष बनाए गए हैं और ये 2जी, 3जी और 4जी नेटवर्क के लिए लागू होंगा।

संशोधित विनियम 1 अक्टूबर, 2017 से लागू होंगे।

➤ **19 सितंबर, 2017 के दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2017**

भादूविप्रा ने दिनांक 19 सितंबर, 2017 को दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2017 जारी किए। इन विनियमों के जरिये वायरलैस से वालरलैस लोकल और राष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉल्स के लिए पिछले समाप्त प्रभार 14 पैसे प्रति मिनट से निमानुसार कमी की गई:

- 0.06 रु. (छह पैसे) प्रति मिनट, 1 अक्टूबर, 2017 से 31 दिसंबर, 2019 तक; और
- 0 (शून्य), 01 जनवरी, 2020 से प्रभावी।

## **निदेश**

### **गैर-विभेदक टैरिफ और तत्संबंधी रिपोर्टिंग के प्रावधान पर 25 मई, 2017 का निदेश**

टैरिफ ऑफर भरने और उपभोक्ताओं को ऑफर किए गए सभी टैरिफ दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के प्रावधानों के अनुसार होंगे, और एक ही श्रेणी के उपभोक्ताओं के बीच अंतर नहीं किया जाएगा यह सुनिश्चित करने और उपभोक्ता को ऑफर किया गया प्रत्येक टैरिफ की सूचना बिना किसी चूक के प्राधिकरण को फॉरवियरेंस रिजिम के तहत रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार दी जाएगी, बशर्ते कि दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999

(समय–समय पर यथा संशोधित) में स्पष्ट छूट न दी गई हों, सुनिश्चित करने के लिए 25 मई, 2017 को निदेश जारी किया गया था।

➤ **प्रतिभूति बाजार में निवेश के संबंध में अवांछित बल्क एसएमएस के संबंध में सेवा प्रदाताओं के लिए 10 अगस्त, 2017 का निदेश**

भादूविप्रा ने 10 अगस्त, 2017 को प्रतिभूति बाजार में निवेश के संबंध में अवांछित बल्क एसएमएस के बारे में सेवा प्रदाताओं को निदेश जारी किया था। यह निदेश सेलुलर टेलीफोन सेवा प्रदाताओं के लिए प्रतिभूतियों से संबंधित बल्क संदेशों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का अधिदेश देता है:

- केवल सेबी में पंजीकृत निवेश परामर्शदाताओं, शेयर दलालों, उप-दलालों, पोर्टफोलियो मैनेजरों और मर्चेंट बैंकरों से निवेश सलाह/स्टॉक टिप्स से संबंधित एसएमएस केवल पंजीकृत टेलीकार्मटर्स के जरिये संव्यवहार संदेश के रूप में भेजे जाएंगे या भेजने की अनुमति होगी;
- प्रतिभूतियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों जैसे बॉय, सेल, होल्ड, एक्युमलेट, टार्गेट जिनके बाद स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यताप्राप्त किसी के द्वारा मुहैया स्क्रिप कोड/स्क्रिप नाम हों, वाले बल्क एसएमएस चैनल के जरिये टेलीमार्केटर्स द्वारा भेजे गए एसएमएस को फ़िल्टर या ब्लॉक करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे; और
- टेलीमार्केटर के रूप में पंजीकृत सेवा प्रदाता द्वारा भेजने वाले की पहचान का सत्यापन करना, जैसा भी मामना हो, और पहचान वाले दस्तावेज प्राप्त करना और एक वर्ष तक अपने पास रखना

➤ **दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित कार्यपद्धति के अनुसार वायरलैस उपभोक्ता आधार पर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 अगस्त, 2017 का निदेश**

दूरसंचार विभाग ने एकीकृत उपभोक्ता आधार रिपोर्टिंग करने के लिए 29 अगस्त, 2005 के पत्र, जिसे 7 सितंबर, 2005 के पत्र द्वारा संशोधित किया गया था, द्वारा सभी लाइसेंसधारियों को निदेश जारी किए थे, जिसमें उपभोक्ता आधार की सूचना देने के लिए नई कार्यपद्धति निर्धारित की गई थी। बरहाल, यह देखा गया था कि कुछ सेवा प्रदाता उपभोक्ता आधार की सूचना देने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित उपरोक्त कार्यपद्धति का कठोरता के साथ पालन नहीं कर रहे थे। इसलिए 18 अगस्त, 2017 को निदेश जारी करके सभी टीएसपी को दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित कार्यपद्धति के अनुसार वायरलैस उपभोक्ता आधार पर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।

- गुजरात सेवा क्षेत्र में मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि. द्वारा वाणिज्यिक सेवाएं बंद करने के संबंध में 19 सितंबर, 2017 का निदेश

भादूविप्रा ने मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को सुगम बनाने के दृष्टिगत, 30 सितंबर, 2017 से उक्त सेवा क्षेत्र में एकीकृत लाइसेंस के अंतर्गत पहुंच सेवाएं मुहैया कराने के प्राधिकार के तहत 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में एलटीई/4जी के लिए नेटवर्क को अपग्रेड करने और इसकी एकीकृत पहुंच सेवा (यूएस) लाइसेंस के समाप्त होने के परिणामस्वरूप, गुजरात में लाइसेंस वाले सेवा क्षेत्र में मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड द्वारा जीएसएम सेवाएं बंद करने के संबंध में 19 सितंबर, 2017 को मैसर्स आरसीएल; एमएनपीएसपी; और टीएसपी को निदेश जारी किया था।

- 2जी सेवाओं में बाधा के संबंध में मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड/मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के लिए दिनांक 1 नवंबर, 2017 का निदेश

सभी लाइसेंस प्राप्त क्षेत्रों में मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड/मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड की 2जी सेवाओं में बाधा के बारे में भादूविप्रा को भीड़िया रिपोर्ट से पता चला था। अतः भादूविप्रा ने 1 नवंबर, 2017 को मैसर्स आरसीएल/आरटीएल को अन्य बातों के साथ निम्नलिखित के संबंध में निदेश जारी किया था:

- (i) लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में 2जी सेवाओं की बाधा के कारण प्रस्तुत करना;
- (ii) लाइसेंस प्रदाता और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित संपूर्ण नेटवर्क के सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना;
- (iii) जब-कभी भी इस तरह के अनुरोध प्राप्त हों तो एसएमएस के माध्यम से उपभोक्ताओं को विशिष्ट पोर्टिंग कोड जारी और सूचित करना और विनियमों के अनुसार, उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के सभी अनुरोधों का जवाब देना;
- (iv) प्राप्त नंबर पोर्टिंग अनुरोधों का व्यौरा लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र-वार, ऐसे अनुरोधों पर जनरेट किए गए विशिष्ट पोर्टिंग कोड का विवरण और पिछले दो सप्ताह (31 अक्टूबर, 2017 से) में पोर्ट किए गए उपभोक्ताओं के नंबर का विवरण प्रस्तुत करना।

- मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि. द्वारा विभिन्न लाइसेंस प्राप्त क्षेत्रों में 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में नेटवर्क को सीडीएमए से एलटीई/4जी में अपग्रेड करने और 2जी/जीएसएम सेवाओं को बंद करने के संबंध में सभी पहुंच सेवा प्रदाताओं (वायरलैस) और एमएनपीएसपी के लिए 3 नवंबर, 2017 का निदेश

मैसर्स सिस्टमा श्याम टेलीकम्युनिकेशन्स लिमिटेड के लाइसेंस का मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड में विलय होने के परिणामस्वरूप, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम), तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में मैसर्स आरसीएल द्वारा 2जी/जीएसएम सेवाओं को बंद करने और दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (पश्चिम), तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात और कोलकाता के सेवा क्षेत्रों में 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में नेटवर्क को सीडीएमए से एलटीई/4जी में अपग्रेड करने के संबंध में मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरसीएल) के उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को सुगम बनाने के लिए एमएनपीएसपी, टीएसपी को 3 नवंबर, 2017 को निदेश जारी किया गया था।

- **2जी/जीएसएम सेवाओं को बंद करने और विभिन्न एलएसए में सीडीएमए सेवाओं को बंद करने के परिणामस्वरूप अव्यायित पूर्वदत्त व्यय के संबंध में मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लि. के लिए 17 नवंबर, 2017 का निदेश।**

विभिन्न सेवा क्षेत्रों में मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि. (आरसीएल) द्वारा 800 मेगाहर्ट्ज में सीडीएमए से एलटीई/4जी में अपग्रेडेशन और 2जी/जीएसएम सेवाओं को बंद करने के अनुसरण में, बड़ी संख्या में पूर्वदत्त और पोस्टपेड, दोनों उपभोक्ताओं को असुविधा होगी और उन्हें उनकी पसंद के दूसरे सेवा प्रदाता के पास अपना मोबाइल नंबर पोर्ट करने के मजबूर किया जा सकता है और कुछ उपभोक्ता 31 दिसंबर, 2017 तक पोर्ट करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे या ऐसा करने के अनि�च्छुक हो सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में, शेष पूर्वदत्त राशि का उपयोग प्रीपेड उपभोक्ताओं द्वारा अपना मोबाइल नंबर पोर्ट करने से पहले किया जा सकता है; मगर सेवाओं के अचानक बंद होने के कारण अव्यायित पूर्वदत्त शेष राशि मैसर्स आरसीएल पर रिचार्ज कूपन/प्लान्स के रूप में बकाया है और उपभोक्ताओं द्वारा छोड़े गए अव्यायित शेष के रूप में भी होगा, जो 31 दिसंबर, 2017 तक पोर्ट करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे या हो सकता है कि वे अपने नंबर को दूसरे नेटवर्क में पोर्ट करने के इच्छुक न हों। अतः मैसर्स सिस्टमा श्याम टेलीकम्युनिकेशन्स लिमिटेड के लाइसेंस का मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड में विलय होने के परिणामस्वरूप, 17 नवंबर, 2017 के निदेश के जरिये मैसर्स आरसीएल को कुछ लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं द्वारा 2जी/जीएसएम सेवाओं को बंद करने; कुछ लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में नेटवर्क का सीडीएमए से एलटीई/4जी में अपग्रेड होने के कारण सीडीएमए सेवाओं को बंद करने के परिणामस्वरूप मैसर्स आरसीएल के साथ अव्यायित पूर्वदत्त शेष की सूचना देने का निदेश दिया गया था।

- **लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के लिए उपभोक्ताओं से प्रभारित की गई अधिक राशि को टीसीईपीएफ में जमा करने का निदेश।**

दूरसंचार विभाग ने 20 मई, 2005 को युग्मित सर्कारों अर्थात् महाराष्ट्र (मुंबई मेट्रो और महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र), तमिलनाडु (चेन्नई मेट्रो और तमिलनाडु दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र) और उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल

सहित) [उत्तर प्रदेश (पूर्व) और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार सेवा क्षेत्र] और पश्चिम बंगाल (कोलकाता मेट्रो और पश्चिम बंगाल दूरसंचार सेवा क्षेत्र) में पहुंच प्रदाताओं के बीच अंतर-सेवा क्षेत्र कनेक्टीविटी की अनुमति दी थी।

भादूविप्रा ने पाया कि कुछ मोबाइल सेवा प्रदाता बीएसएनएल और एमटीएनएल के नेटवर्कों के लिए उच्च विभेदक प्रभार ऑफर कर रहे थे। इसलिए, भादूविप्रा ने 27 फरवरी, 2006 को सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं को उपरोक्त चार राज्यों के सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं के लिए विभेदक टैरिफ तुरंत बंद करने और इसकी अनुपालन रिपोर्ट भादूविप्रा को भेजने का निदेश जारी किया था। अतः उक्त निदेश को विभिन्न अदालतों में विभिन्न याचिकाओं/अपीलों के जरिये चुनौती दी गई। इसलिए, भादूविप्रा ने 22 मार्च, 2007 के एक और निदेश के द्वारा सभी टीएसपी को उपभोक्ताओं से प्रभारित अधिक राशि को अगले निदेशों तक एक पृथक बैंक खाते में जमा करने का निदेश दिया था।

टीएसपी द्वारा दायर याचिकाओं को उच्चतम न्यायायल द्वारा खारिज किए जाने के परिणामस्वरूप, भादूविप्रा ने निम्नलिखित टीएसपी को लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए उपभोक्ताओं से प्रभारित की गई अधिक राशि को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं सुरक्षा कोष (टीसीईपीएफ) में जमा करने का निदेश जारी किया, जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड उपलब्ध न होने की वजह से उपभोक्ताओं को वापस नहीं किया जा सकता था:

- (i) 24 अगस्त, 2017 को मैसर्स आइडिया सेलुलर लि.;
- (ii) 30 नवंबर, 2017 को मैसर्स भारती एयरटेल लि.; और
- (iii) 30 नवंबर, 2017 को मैसर्स वोडाफोन इंडिया लि.।

- लाइसेंस प्राप्त विभिन्न सेवा क्षेत्रों में वॉइस सेवाओं को बंद करने के अनुसरण में उपभोक्ताओं के लिए एमएनपी को सुगम बनाने के संबंध में, मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि. और मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लि. के लिए 13 दिसंबर, 2017 का निदेश।

मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड द्वारा बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कोलकाता, मध्य प्रदेश, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में और मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड द्वारा असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कोलकाता, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में वॉइस सेवा बंद करने के अनुसरण में उपभोक्ताओं के लिए 31 जनवरी, 2018 से मोबाइल नंबर पोर्टविलिटी को सुगम बनाने के लिए 13 दिसंबर, 2017 को सभी पहुंच सेवा प्रदाताओं, एमएनपीएसपी और मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड और मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लि. को निदेश जारी किया गया था।

- सेवा के पैरामीटरों की गुणवत्ता के मापदंडों की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बेसिक टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की गुणवत्ता के मानक, विनियम 2017 (2009 का 7) पर 14 दिसंबर, 2017 का निदेश

यह निदेश सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं को वर्ष के क्रमशः 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को समाप्त प्रत्येक तिमाही के अंतिम 21 दिनों के भीतर इस निदेश के अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न फार्मेट में विनियमों के विनियम 5 के क्रमांक ए पर नेटवर्क सेवा गुणवत्ता पैरामीटरों के तहत क्रमांक (i), (ii), (iii) और (iv) पर सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के पैरामीटरों के संबंध में अपनी अनुपालन रिपोर्ट तिमाही आधार पर लिखित और माइक्रोसॉफ्ट एक्सल फार्मेट, जो सेवा प्रदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित हो, में इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में प्रस्तुत करने का अधिदेश देता है।

- सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर सेवा के मापदंडों के मानकों के संबंध में निष्पादन से जुड़ी सूचना प्रकाशित करने के लिए बेसिक टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की गुणवत्ता के मानक, विनियम 2017 (2009 का 7) पर 14 दिसंबर, 2017 का निदेश

यह निदेश सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं को प्रत्येक तिमाही समाप्त होने के बाद पैतालीस दिनों के भीतर इस निदेश के साथ संलग्न संशोधित फार्मेट में विनियमों के विनियम 5 में निर्दिष्ट सेवा पैरामीटरों की गुणवत्ता के मापदंडों के संबंध में निष्पादन को तिमाही आधार पर अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निदेश देता है।

- एमएनपी को सुगम बनाने के संबंध में मैसर्स एयरसेल लि. और मैसर्स डिशनेट वायरलैस लि. को 20 दिसंबर, 2017 का निदेश

मैसर्स एयरसेल लि. और मैसर्स डिशनेट वायरलैस लि. द्वारा गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) के लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में एकीकृत पहुंच सेवा के खंड 10.3 के तहत दिए गए लाइसेंस को जमा करने के नोटिस के अनुसरण में मैसर्स एयरसेल लि. के उपभोक्ताओं के लिए 30 जनवरी 2018 से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को सुगम बनाने के लिए सभी पहुंच सेवा प्रदाताओं, एमएनपीएसपी और मैसर्स एयरसेल लि. को निदेश जारी किया गया था।

## परामर्श

### ➤ “नेट न्यूट्रैलिटी” पर 4 जनवरी, 2017 का परामर्श पत्र

भादूविप्रा ने 4 जनवरी, 2017 को नेट न्यूट्रैलिटी पर एक परामर्श पत्र जारी किया था, जिसके तहत हितधारकों से उनकी टिप्पणियां मांगी गई थीं। विषय की जटिलता को देखते हुए भादूविप्रा ने नेट न्यूट्रैलिटी पर परामर्श प्रक्रिया दो चरणों में शुरू की।

पहले चरण में, पूर्व-परामर्श के तहत सभी क्षेत्रों में उन सभी प्रासंगिक मुद्दों की पहचान करने का प्रयास किया गया था, जिन पर दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से सिफारिशें मांगी थीं, इनके लिए पूर्व-परामर्श पत्र मई, 2016 में जारी किया गया था।

दूसरे चरण में, भादूविप्रा ने पूर्व-परामर्श प्रक्रिया के दौरान पहचाने गए सभी प्रासंगिक मुद्दों पर विचार किया, इन मुद्दों पर हितधारकों से प्रारंभिक सूचना एकत्रित की गई और एक विस्तृत परामर्श पत्र तैयार किया गया था। परामर्श के इस चरण का मकसद नीति या विनियामक हस्तक्षेपों पर अंतिम राय कायम करने की दिशा में आगे बढ़ना था, जो नेट न्यूट्रैलिटी के मुद्दे पर अपेक्षित थे। हितधारकों द्वारा लिखित टिप्पणियों प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 12 अप्रैल, 2017 रखी गई थी और प्रति-टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 26 अप्रैल, 2017 रखी गई थी। इस विषय पर खुला मंच चर्चा मुंबई में 26 मई, 2017 को आयोजित की गई थी।

### ➤ “दीर्घकालिक दूरसंचार के लिए दृष्टिकोण” पर 16 जनवरी, 2017 का परामर्श पत्र

भादूविप्रा को 23 नवंबर, 2015 को दूरसंचार विभाग से एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें कार्बन उत्सर्जन को मापने की पद्धति और 2012 में दूरसंचार विभाग द्वारा जारी निदेशों के कैलीब्रेशन के लिए ‘दूरसंचार क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी (आरईटी) के कार्यान्वयन’ और इसके कार्यान्वयन के दृष्टिकोण पर सिफारिशें मांगी गई थीं।

यह परामर्श पत्र आधुनिक दूरसंचार नेटवर्कों में ऊर्जा की कुशलता के महत्व को दर्शाता है और ऊर्जा की मांग के संदर्भ में नेटवर्क के प्रदर्शन को अधिकतम करने के निदेश के लिए सुझाव प्रस्तुत करता है। नेटवर्क के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने की पद्धति पर विस्तार से चर्चा की गई है। दूरसंचार नेटवर्कों में ऊर्जा कुशलता के विभिन्न पहलुओं को देखते हुए दूरसंचार क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पाने के लिए आगे की योजना पर चर्चा की गई है।

इस परामर्श पत्र के माध्यम से भादूविप्रा ने विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों यथा कार्बन फुटप्रिंट की आकलन करने की पद्धति, तृतीय पक्ष के लेखापरीक्षकों द्वारा दूरसंचार नेटवर्क के कार्बन फुटप्रिंट की लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता और इसकी व्यवस्था, ग्रिड सप्लाई और डीजी सेट से कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए उपयुक्त फार्मुले,

नवीकरणीय ऊर्जा समाधान के लिए उपलब्ध विकल्प, आरईटी/ऊर्जा कुशल समाधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उद्योग का समर्थन, दूरसंचार क्षेत्र में नए नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य तय करने की पद्धति और इन लक्ष्यों को हासिल करने की समय—सीमा आदि पर हितधारकों की राय मांगी है।

➤ “टैरिफ आकलन के विनियामक सिद्धांत” पर 17 मार्च, 2017 का परामर्श पत्र

प्राधिकरण ने 17 मार्च, 2017 को “टैरिफ आकलन के विनियामक सिद्धांत” पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। परामर्श पत्र में अन्य बातों के साथ टैरिफ आकलन के विनियामक सिद्धांतों से जुड़े नए मुद्दों और चुनौतियों जैसे पारदर्शिता, प्रोमोशनल ॲफर, प्रकटन और गैर—विभदेक, नॉन—प्रिडेटरी प्राइसिंग के सिद्धांतों का अनुपालन, संगत बाजार, प्रमुख स्थिति का आकलन आदि को शामिल किया गया था। परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ वैश्विक पद्धतियों के अनुसार, टीटीओ में निर्धारित विभिन्न विनियामक सिद्धांतों की व्याख्या में अधिक स्पष्टता लाना है।

“टैरिफ आकलन के विनियामक सिद्धांत” पर परामर्श पत्र को भादूविप्रा की वेबसाइट ([www.trai.gov.in](http://www.trai.gov.in)) पर अपलोड किया गया था और परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां 17 मार्च, 2017 तक मांगी गई थी और प्रति—टिप्पणियां 24 मार्च, 2017 तक मांगी गई थी। हितधारकों के अनुरोध पर लिखित टिप्पणियां भेजने की अंतिम तिथि 7 अप्रैल, 2017 तक और प्रति—टिप्पणियों भेजने की अंतिम तिथि 14 अप्रैल, 2017 तक बढ़ाई गई थी। टिप्पणियां और प्रति—टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं और इन्हें भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

➤ सेवा क्षेत्र के रूप में राज्य के जिलों के साथ श्रेणी ख लाइसेंस के लिए पहुंच सेवा प्राधिकार हेतु यूएल (वीएनओ) शुरू करने पर 20 मार्च, 2017 का परामर्श पत्र

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 11 जुलाई, 2016 के अपने पत्र के माध्यम से भादूविप्रा से विर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों (वीएनओ) हेतु सेवा क्षेत्र के रूप में राज्य के जिलों के साथ श्रेणी बी लाइसेंस के लिए पहुंच सेवा प्राधिकार के लिए सिफारिशें जारी करने का अनुरोध किया था। 1994 में, दूरसंचार विभाग की फ्रेंचाइजी के रूप में निजी कंपनियों द्वारा ग्रुप इपीएबीएक्स की सुविधाएं मुहैया करने के लिए डायरेक्ट इनवार्ड डायलिंग (डीआईडी) नामक योजना शुरू की गई थी।

“दूरसंचार क्षेत्र में विर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर शुरू करना” पर भादूविप्रा की दिनांक 1 मई, 2015 की सिफारिशों के अनुसरण में दूरसंचार विभाग ने एकीकृत लाइसेंस (वीएनओ) प्रदान करने के लिए 31 मई, 2016 को दिशानिर्देश जारी किए। इसके अलावा, 5 जुलाई, 2016 की अपनी अधिसूचना के तहत दूरसंचार विभाग ने डायरेक्ट इनवार्ड डायलिंग (डीआईडी) फ्रेंचाइजी जैसे उद्यमियों के लिए सेवा क्षेत्र के रूप में राज्य के जिलों

के साथ श्रेणी बी लाइसेंस हेतु प्राधिकार के लिए यूएल (वीएनओ) देने के लिए दिशानिर्देश अलग से जारी किए।

भादूविप्रा ने हितधारकों के विचारार्थ विशिष्ट मुद्दों को रखने के लिए यह परामर्श पत्र जारी किया। अतः यह परामर्श पत्र राज्य/यूटी के जिले के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र के लिए पहुंच सेवा प्राधिकार हेतु यूएल (वीएनओ) श्रेणी-बी शुरू करने के तौर-तरीकों से संबंधित मुद्दों तक सीमित है। यह परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट [www.trai.gov.in](http://www.trai.gov.in) पर भी अपलोड किया गया है।

#### ➤ “प्रसारण क्षेत्र में बिजनेस करने में आसानी” पर 19 अप्रैल, 2017 का पूर्व-परामर्श पत्र

भादूविप्रा ने 19 अप्रैल, 2017 को “प्रसारण क्षेत्र में बिजनेस करने में आसानी” पर एक पूर्व-पूरामर्श पत्र जारी किया था। जिसमें हितधारकों से उनकी टिप्पणियां मांगी गई थीं। पूर्व-परामर्श पत्र का उद्देश्य प्रसारण के क्षेत्र में व्यवसाय करने की सुविधा से संबंधित विभिन्न मुद्दों की पहचान करना है। हितधारकों से निम्नलिखित मुद्दों पर टिप्पणियां मांगी गई थीं:-

- प्रसारण सेवाओं के लिए अनुमति/लाइसेंस/पंजीकरण से संबंधित प्रक्रियाओं और कार्यविधियों से जुड़े मुद्दे और इन अनुमतियों के संबंध में उत्तरवर्ती अनुपालन।
- प्रसारण स्पेक्ट्रम का आबंटन।
- अन्य मुद्दे जैसे (i) डीटीएच ऑपरेटर के लिए आपदा रिकवरी साइट, (ii) डीटीएच प्लेटफार्म पर रेडियो सेवाओं का ट्रांसमिशन, (iii) केबल ऑपरेटरों के लिए राइट ऑफ वे, (iv) केबल टीवी के माध्यम से ब्रॉडबैंड, (v) केयू बैंड के लिए ओपन स्काई पॉलिसी (vi) प्रसारण क्षेत्र में एफडीआई पॉलिसी का यौक्तीकरण, (vii) टेलीपोर्ट के केन्द्र के रूप में विकास करता भारत, (viii) प्रसारण क्षेत्र में कुशल जनशक्ति और प्रसारण उपस्करणों का देश ही में निर्माण।

इनके अलावा, अन्य मुद्दे भी हो सकते हैं, जिनमें व्यवसाय को सुविधा देने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ सकती है। उपरोक्त के दृष्टिगत, हितधारकों से चिंता के ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने और समस्या की प्रकृति का पूरा विवरण देने और संभावित प्रणाली के साथ सुधार की गुंजाइश के बारे में बताने का अनुरोध किया गया है ताकि प्रसारण के क्षेत्र में कारोबार करने को सुगम बनाया जा सके।

#### • “वायरलैस ब्रॉडबैंड प्लान्स के अंतर्गत डेटा स्पीड” पर 1 जून, 2017 का परामर्श पत्र

भादूविप्रा ने 1 जून, 2017 को “वायरलैस ब्रॉडबैंड प्लान्स के अंतर्गत डेटा स्पीड” पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। इस परामर्श पत्र के माध्यम से प्राधिकरण ने वायरलैस ब्रॉडबैंड प्लान्स के अंतर्गत डेटा स्पीड के

संबंध में पारदर्शिता और ग्राहक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों से सूचना देने का अनुरोध किया था।

➤ “भारत में डिजिटल रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दे“ पर 10 जुलाई, 2017 का परामर्श पत्र

भादूविप्रा ने निजी एफएम रेडियो प्रसारकों द्वारा डिजिटल रेडियो के प्रसारण को शुरू करने के लिए ईको-सिस्टम का विकास करने से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए 10 जुलाई, 2017 को “भारत में डिजिटल रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दे“ पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। डिजिटल रेडियो के कुछ लाभ निम्नानुसार थे:-

- सिगनल की बेहतर क्वालिटी और हाई और स्थिर साउंड परफॉरमेंस के साथ स्पष्ट रिसेप्शन।
- आबंटित फ्रिक्वेंशी का कुशल उपयोग – एक ही फ्रिक्वेंशी पर कई रेडियो चैनलों का प्रसारण किया जा सकता है।
- बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करने के लिए फ्रिक्वेंशी का दुबारा उपयोग हो सकता है।
- ट्रांसमिशन पावर की कम आवश्यकता।
- उपलब्ध विभिन्न प्राइवेट और पब्लिक रेडियो स्टेशनों की ऑटोमैटिक टयूनिंग।
- स्थैतिक, पोर्टेबल और मोबाइल वातावरण जैसे चलती गाड़ियां, मोबाइल फोन में रेडियो चैनलों का कुशल रिसेप्शन।
- मूल्य संवर्धित सेवाएं जैसे इमरजेंसी प्रोग्राम गाइड, इमरजेंसी वॉर्निंग फीचर्स, ताजा खबरें और मौसम आदि प्रोग्राम रिले के साथ मुहैया कराए जा सकते हैं।
- सरकार को स्पेक्ट्रम प्राप्त करने और इसके कुशल उपयोग के लिए इन्हें पुनः आबंटित करने में समर्थ बनाती है।
- सिमुलकॉस्ट की संभावना, जो प्रसारकों को एनालॉग के साथ-साथ डिजिटल फॉर्मेट में सिगनल भेजने की लागत बचाने में मदद करती है।

➤ “प्रसारण क्षेत्र में बिजनेस करने में आसानी“ पर 31 जुलाई, 2017 का परामर्श पत्र

भादूविप्रा ने निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए 31 जुलाई, 2017 को “प्रसारण क्षेत्र में बिजनेस करने में आसानी“ पर परामर्श पत्र जारी किया था:-

- क्षेत्र में सहायक और बिजनेस अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए प्रसारण क्षेत्र से संबंधित विभिन्न नीतिगत मुद्दों की समीक्षा करना।

- कार्यविधि संबंधी बाधाओं की पहचान करना जो प्रसारण क्षेत्र में बिजनेस करने में आसानी को प्रभावित करते हैं और नियमों, विनियमों को सरल बनाने के उपाय बताना और प्रसारण क्षेत्र की नीतियों/फ्रेमवर्क में अधिक पारदर्शिता और स्पष्टता लाना।
- सुपरिभाषित और पारदर्शी कार्यविधियां और प्रक्रियाएं बनाकर प्रवेश संबंधी बाधाओं को दूर करना, जिससे क्षेत्र में समान अवसर और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सके।
- उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाएं देने के लिए क्षेत्र में इनोवेशन और प्रौद्योगिकी को अपनाने को सुगम बनाना।
- निवेशकों के अनुकूल नीतियों के जरिये निवेश आकर्षित करके क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना।
- प्रसारण उपस्कर्तों के देश में निर्माण को बढ़ावा देना।

➤ “दूरसंचार क्षेत्र में डेटा की निजता, सुरक्षा और स्वामित्व“ पर 9 अगस्त, 2017 का परामर्श पत्र

भादूविप्रा ने 9 अगस्त, 2017 को “दूरसंचार क्षेत्र में डेटा की निजता, सुरक्षा और स्वामित्व” एक परामर्श पत्र जारी किया था। इस परामर्श पत्र के माध्यम से प्राधिकरण ने निम्नलिखित मुद्दों पर हितधारकों से सूचना मांगने का निर्णय लिया था:

- दूरसंचार सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा, स्वामित्व और नियंत्रण के स्कोप और परिभाषा तय करना।
- डेटा नियंत्रकों के अधिकारों और दायित्वों की पहचान करना और समझना।
- दूरसंचार क्षेत्र में मौजूदा डेटा सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता और कुशलता का आकलन करना।
- डिजिटल सेवाओं की सुपुर्दगी के संबंध में डेटा की सुरक्षा से जुड़े प्रमुख मुद्दों की पहचान करना। इसमें दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा अन्य डिवाइस, नेटवर्क और एप्लिकेशन, जो टीएसपी द्वारा ऑफर की गई सेवाओं के जरिये उपयोगकर्ताओं से जोड़ते हैं, के साथ दूरसंचार और इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराना और उक्त प्रक्रियाओं में उपयोगकर्ता के डेटा कलेक्ट और नियंत्रित करना शामिल है।

➤ “टेक्नीकल इंटरऑपरेबल सेट टॉप बॉक्स के लिए समाधान आर्किटेक्चर“ पर 11 अगस्त, 2017 का परामर्श नोट

भादूविप्रा ने 11 अगस्त, 2017 को “टेक्नीकल इंटरऑपरेबल सेट टॉप बॉक्स के लिए समाधान आर्किटेक्चर“ पर एक परामर्श नोट जारी किया था, जिसमें सभी संबंधित हितधारकों के लिए तकनीकी रूप से इंटरऑपरेबल एसटीबी

के लिए समाधान प्रस्तुत किया गया था और प्रस्तावित समाधान पर उनकी टिप्पणियां मांगी गई थीं। समाधान आर्किटेक्चर दस्तावेज के साथ परामर्श नोट भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

➤ **16 अगस्त, 2017 के परामर्श के लिए ड्राफ्ट दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2017**

भादूविप्रा ने 23 सितंबर, 2009 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) विनियम 2009 जारी किया था जिसमें देश में एमएनपी का कार्यान्वयन करने के लिए बुनियादी बिजनस प्रक्रिया फ्रेमवर्क निर्धारित किया गया था। एमएनपी प्रक्रिया को उपभोक्ताओं के और अनुकूल बनाने के लिए, हितधारकों से प्राप्त फीडबैक और इसके विश्लेषण के आधार पर भादूविप्रा ने एमएनपी विनियमों के लिए विभिन्न निदेश और संशोधन जारी किए हैं। एमएनपी विनियमों के संशोधन पर मौजूदा परामर्श भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।

पोर्ट करने के अनुरोधों को निरस्त करने से उपभोक्ताओं में असंतोष और निराशा थी। यह देखा गया कि विशिष्ट पोर्टिंग कोड (यूपीसी) पर निर्भर अस्वीकरण के आधार, नामतः 'यूपीसी मिसमैच' और 'अमान्य/समाप्त यूपीसी' का पोर्ट के अनुरोध के कुल निरस्त अनुरोधों में 40 प्रतिशत हिस्सा था। इस संशोधन के जरिये भादूविप्रा ने एमएनपी क्लीयरिंग हाउस के साथ दाता ऑपरेटर द्वारा जनरेट किए गए यूपीसी को साझा करने की प्रणाली का प्रस्ताव किया, जिससे बाद में प्राप्तकर्ता ऑपरेटर द्वारा उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत यूपीसी की सत्यता और वैधता की पुष्टि करने के लिए संपर्क किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप, पोर्ट करने के अनुरोधों को निरस्त करने के मामलों में कमी आएगी और उपभोक्ताओं में संतुष्टि बढ़ेगी। ड्राफ्ट संशोधन में दाता ऑपरेटर द्वारा शुरू किए गए गैर-भुगतान डिस्कनेक्ट अनुरोधों के साथ एमएनपी क्लीरिंग हाउस के जरिए दाता ऑपरेटर द्वारा उपभोक्ता को दिए गए नोटिस की अवधि एवं तिथि, बिल की तिथि, बकाया राशि भुगतान की अंतिम तिथि जैसे जरूरी सूचना भेजने का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है। हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए ड्राफ्ट संशोधन विनियम 16 अगस्त, 2017 को जारी किया गया था।

➤ **“ 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300-3400 मेगाहर्ट्ज और 3400-3600 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी“ पर 28 अगस्त, 2017 का परामर्श पत्र**

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 19 अप्रैल, 2017 के अपने पत्र के जरिये 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300-3400 और 3400-3600 मेगाहर्ट्ज के बैंड में लागू आरक्षित मूल्य, नीलाम किए जाने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा और स्पेक्ट्रम की नीलामी की शर्तों के संबंध में भादूविप्रा से उसकी सिफारिशें मांगी थीं। उपलब्ध सूचना के आधार पर, हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए 28 अगस्त, 2017 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया था।

इस परामर्श पत्र में हितधारकों के विचारार्थ विशिष्ट मुद्दे उठाए गए थे। उठाए गए मुख्य मुद्दों में नीलाम किए जाने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा, इष्टतम ब्लॉक साइज, ड्यूप्लैकिसंग योजना, स्पेक्ट्रम सीमा, रोल-आउट की शर्त और स्पेक्ट्रम के आरक्षित मूल्य के आकलन एवं अनुमान के लिए प्रयुक्त होने वाली विधियां शामिल हैं।

➤ “स्थानीय दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण को बढ़ावा देना“ पर 18 सितंबर, 2017 का परामर्श पत्र

भादूविप्रा ने 18 सितंबर, 2017 को “स्थानीय दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण को बढ़ावा देना“ पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। यह परामर्श पत्र निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए जारी किया गया था:-

- भारत में स्थानीय दूरसंचार विनिर्माण के इनोवेशन और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित नीतिगत उपायों की पहचान करना।
- स्थानीय विनिर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा पेटेंट कानूनों की जांच करना।
- दूरसंचार उपस्करों के मानकीकरण, प्रमाणन और परीक्षण के मुद्दों की जांच करना और स्थानीय दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण को समर्थन देने के लिए सुधार के ढांचे का सुझाव देना।
- स्थानीय दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण उद्योग को प्रभावित करने वाले आईपीआर से संबंधित मुद्दों की जांच करना।
- स्थानीय दूरसंचार विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा आर्थिक प्रोत्साहनों की जांच करना और भविष्य में कार्यान्वयित करने उपायों का सुझाव देना।
- भारत में प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की पहचान करना।

➤ “इन फ्लाइट कनेक्टीविटी (आईएफसी)“ पर 29 सितंबर, 2017 का परामर्श पत्र

दूरसंचार विभाग ने 10 अगस्त, 2017 को अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया था कि भारतीय वायु क्षेत्र के ऊपर से उड़ने वाली घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए वॉइस, डेटा और वीडियो सेवाओं के लिए इन-फ्लाइट कनेक्टीविटी (आईएफसी) शुरू करने का प्रस्ताव है। दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से वॉइस, डेटा और वीडियो सेवाओं के लिए आईएफसी के प्रावधान के लिए लाइसेंसिंग की शर्तों एवं नियमों और संबंधित मुद्दों जैसे प्रवेश शुल्क, लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम संबंधी मुद्दों, उपयोग प्रभार और आबंटन की विधि और अन्य शर्तों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था।

इस संबंध में “इन–फ्लाइट कनेक्टीविटी” पर 29 सितंबर, 2017 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया, जिसमें हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गई थीं।

➤ **“अगली पीढ़ी की सार्वजनिक सुरक्षा एवं आपदा राहत (पीपीडीआर) संचार नेटवर्क“ पर 9 अक्टूबर, 2017 का परामर्श पत्र**

जन सुरक्षा और आपदा राहत (पीपीडीआर) संचार जनता के दिन–प्रतिदिन के जीवन से जुड़ी सेवाओं की विस्तृत रेंज जैसे कानून एवं व्यवस्था, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, आपदा राहत एवं आपात प्रत्युत्तर में सहायता करता है।

प्रौद्योगिकी के विकास से पीपीडीआर नेटवर्क को योग्यता, क्षमता और इंटरओपरेबिलिटी के संदर्भ में नवीनतम और संवर्धित फीचर मिले हैं। ब्रॉडबैंड पीपीडीआर एप्लिकेशनों की विस्तृत रेंज जैसे वाइँस कम्युनिकेशन के अलावा लाइव इमेज, वीडियो और टेक्स्ट भेजने में सहायता प्रदान करता है। देश में मौजूदा पीपीडीआर नेटवर्क एनालॉग है और डिजिटल सिस्टम नैरोबैंड वॉइस और डेटा कम्युनिकेशन को सहायता दे रहा है। उन्नत पीपीडीआर के शुरू होने से कम्युनिकेशन नेटवर्क शामिल कर्मियों और संगठनों के लिए पीपीडीआर ऑपरेशनों को संभालने और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम कर सकता है।

देश में एक उन्नत, भरोसेमंद, मजबूत और जिम्मेदार पीपीडीआर कम्युनिकेशन सिस्टम शुरू करने के लिए मजबूत नीति फ्रेमवर्क की आवश्यकता को देखते हुए, भाद्रविप्रा ने हितधारकों की टिप्पणियों के लिए “अगली पीढ़ी की जन सुरक्षा और आपदा राहत (पीपीडीआर) संचार नेटवर्क“ पर 9 अक्टूबर, 2017 को खुद एक परामर्श पत्र जारी किया था।

परामर्श पत्र में मौजूदा पीपीडीआर नेटवर्क के मुद्दों और कमियों, अगली पीढ़ी के पीपीडीआर नेटवर्क की खूबियों, तकनीकी विशिष्टियों और स्पेक्ट्रम उपलब्धता और भावी आवश्यकताओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। अगली पीढ़ी के पीपीडीआर नेटवर्क के लिए विभिन्न देशों में प्रचलित निष्पादन मॉडल्स पर चर्चा की गई है और अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के रूप में इस परामर्श पत्र में शामिल किया गया है।

➤ **“दिव्यांगों के लिए आईसीटी को सुगम्य बनाने“ पर 20 दिसंबर, 2017 का परामर्श पत्र**

प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए 20 दिसंबर, 2017 को “दिव्यांगों के लिए आईसीटी को सुगम्य बनाने“ पर एक पत्र जारी करके परामर्श प्रक्रिया शुरू की है। इस पत्र का उद्देश्य ऐसे प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करना था, जिनमें दिव्यांगों को दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं को प्राप्त करने में आ रही दिक्कतों को समझने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है ताकि सरकार को सिफारिशें देकर नीति स्तर पर सकारात्मक

कार्यवाही की जा सके या उपकरण/सेवा प्रदाताओं के लिए विनियम या परामर्श निर्धारित किए जा सके या ये दोनों कदम उठाए जा सके।

## अन्य मुद्दे (दूरसंचार क्षेत्र)

- “विचारावेश ब्रॉडबैंड: भारत के लिए रोडमैप तैयार करना” पर 18 जनवरी, 2017 को आयोजित सेमिनार

भादूविप्रा ने राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) के साथ मिलकर नई दिल्ली में 18 जनवरी, 2017 को “विचारावेश ब्रॉडबैंड: भारत के लिए रोडमैप तैयार करना” पर एक सेमिनार का आयोजन किया था।

इस सेमिनार का उद्घाटन श्री मनोज सिन्हा, माननीय संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने किया था।

यह सेमिनार भारत में ब्रॉडबैंड पहुंच का विस्तार करने के लिए भादूविप्रा के नीतिगत उद्देश्य के ढांचे के अंतर्गत किया गया था। इसका फोकस ब्रॉडबैंड के विस्तार की बाधाओं और संभावित समाधानों पर सर्वसम्मति बनाने पर था। चर्चा में शामिल मुद्दों में ग्रामीण ब्रॉडबैंड के लिए बिजनस केस: अपटेक को प्रोत्साहित करने पर केन्द्रित मांग पक्ष के दृष्टिकोण; स्पेक्ट्रम की उपलब्धता और आरओडब्ल्यू चुनौतियां शामिल थी। इस सेमिनार में संबंधित सरकारी मंत्रालयों के प्रतिनिधियों, उद्योग हितधारकों, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और उपभोक्ता समूहों ने भाग लिया।

- भादूविप्रा ने 14 मार्च, 2017 को “बिजनेस करने में आसानी“ पर हितधारकों की टिप्पणियां मांगी

दूरसंचार क्षेत्र के निर्बाध विकास के लिए “ईज ऑफ डूइंग बिजनस” को बढ़ावा देना प्राथमिक कार्यों में से एक है। ईज ऑफ डूइंग के लिए पहले ही कई कदम उठाए जा चुके हैं। बाजार आधारित स्पेक्ट्रम प्रबंधन जैसे नीलामी के जरिये स्पेक्ट्रम देना, स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग की अनुमति देना, स्पेक्ट्रम साझा करना और प्रशासनिक रूप से दिए गए स्पेक्ट्रम को उदारीकृत बनाना, एकीकृत लाइसेंसिंग व्यवस्था, दिशानिर्देशों का विलय और अधिग्रहण, विर्चुअल नेटवर्क परिचालन आदि को ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनस’ के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हैं। प्राधिकरण का यह मत है कि विभिन्न प्रक्रियाएं, जो आगे बढ़ने के लिए दूरसंचार लाइसेंसधारी के लिए अपेक्षित हैं, सरल बनाई जानी चाहिए और इन्हें सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) की ओर से किए जा रहे प्रयासों में शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए उन बाधाओं, रुकावटों या अड़चनों की पहचान करना जरूरी है जो भारत में दूरसंचार बिजनेस करने को मुश्किल बना रहे हैं, और इसीलिए विनियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अतः 14 मार्च, 2017 को हितधारकों से विस्तृत स्पष्टीकरण एवं

औचित्य के साथ सूचना देने का अनुरोध किया गया था। यह पत्र अधिकृत वेबसाइट [www.trai.gov.in](http://www.trai.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

## लेखापरीक्षा और सर्वेक्षण

भादूविप्रा ने सेवा की गुणवत्ता पर सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन की लेखापरीक्षा और आकलन करने तथा सर्वेक्षण के जरिये सेवा के प्रति ग्राहक के अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र एजेंसियां नियुक्त की हैं।

भादूविप्रा सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा निष्पादन की गुणवत्ता, स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा की गई सेवा की गुणवत्ता की लेखापरीक्षा और आकलन के परिणाम और सेवा के बारे में ग्राहकों अनुभव के बारे में सूचना को अपनी वेबसाइट पर हितधारकों की सूचना के लिए प्रकाशित करता है। सेवा की गुणवत्ता संबंधी सूचना प्रकाशित करने से सेवा प्रदाताओं को सेवा निष्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने और मापदंडों को पूरा करने में विसंगतियों को दूर करने पर विवश होना पड़ रहा है।

सभी जोनों में ड्राइव परीक्षण करने के लिए एक नई निविदा जारी की गई और इसका काम मैसर्स फिमट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया। आज तिथि तक ड्राइव परीक्षण की 15 रिपोर्ट भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड की गई है।

इसके अलावा, 30 मार्च, 2017 को लेखापरीक्षा एवं आकलन के लिए एक अलग निविदा जारी की गई। सभी चार जोन के लिए 26 वित्तीय बोलियां प्राप्त हुई, निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा इन्हें खोला गया और इनका मूल्यांकन किया गया।

पायलट परियोजना के रूप में दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में आईवीआर सर्वेक्षण का कार्य मैसर्स विवा कनेक्ट लि. द्वारा किया गया था। इसकी रिपोर्ट 8 अगस्त, 2017 को भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

**(सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करना और सुनिश्चित करना (टीएसपी की निष्पादन निगरानी रिपोर्टिंग, विभिन्न टीएसपी की सेवा की गुणवत्ता की लेखापरीक्षा और आकलन और टीएसपी द्वारा प्रस्तुत ग्राहक अनुभव का आकलन)**

भादूविप्रा तिमाही निष्पादन निगरानी रिपोर्टों के जरिये सेवा प्रदाताओं के निष्पादन, उनके द्वारा प्रस्तुत इंटरकनेक्शन कंजेशन रिपोर्टों के प्लाइअंट की निगरानी करता है।

सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, भादूविप्रा निष्पादन निगरानी रिपोर्टों के जरिये सेवा मापदंडों की गुणवत्ता की तुलना में सेवा प्रदाताओं के निष्पादन की करीब से निगरानी करता रहा है। भादूविप्रा सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सेवा प्रदाताओं से नियमित रूप से बात कर रहा है। इसके अलावा, भादूविप्रा ने सेवा की गुणवत्ता की लेखापरीक्षा और आकलन करने के लिए स्वतंत्र एजेंसियां नियुक्त की हैं और दिल्ली, कर्नाटक तथा

मध्य प्रदेश सेवा क्षेत्र में सेवा के प्रति ग्राहक के अनुभव का आकलन करने के लिए स्वतंत्र एजेंसी के जरिये पायलट परियोजना के रूप में किया जा रहा है। सेवा की गुणवत्ता की लेखापरीक्षा और आकलन के परिणाम और आईवीआर सर्वेक्षण हितधारकों की सूचना के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं। भादूविप्रा ने सेवा मापदंडों की गुणवत्ता का अनुपालन करने में विफलता के लिए सेवा प्रदाताओं पर आर्थिक दंड लगाए गए हैं।

#### **“केप्टिव वीसेट सीयूजी नीति संबंधी मुद्दों“ संबंधी परामर्श पत्र पर 19 जनवरी, 2017 को नई दिल्ली में खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन**

भादूविप्रा ने केप्टिव वीसेट सीयूजी नीति संबंधी मुद्दों“ संबंधी परामर्श पत्र पर 19 जनवरी, 2017 को नई दिल्ली में खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया था।

#### **“मशीन-से-मशीन संचार पर स्पेक्ट्रम, रोमिंग और सेवा की गुणवत्ता संबंधी मुद्दों“ संबंधी परामर्श पत्र पर 7 अप्रैल, 2017 को नई दिल्ली में खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन**

भादूविप्रा ने “मशीन-से-मशीन संचार पर स्पेक्ट्रम, रोमिंग और सेवा की गुणवत्ता संबंधी मुद्दों“ संबंधी परामर्श पत्र पर 7 अप्रैल, 2017 को नई दिल्ली में खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया था।

#### **“मशीन-से-मशीन संचार पर स्पेक्ट्रम, रोमिंग और सेवा की गुणवत्ता संबंधी मुद्दों“ संबंधी परामर्श पत्र पर 26 मई, 2017 को मुंबई में खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन**

भादूविप्रा ने 28 अप्रैल, 2017 को मुंबई में “पहुंच सेवाओं को बंद करने से संबंधित मुद्दों“ संबंधी परामर्श पत्र एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया था।

#### **“टैरिफ आकलन के विनियामक सिद्धांत“ संबंधी परामर्श पत्र पर 30 मई, 2017 को नई दिल्ली में खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन**

भादूविप्रा ने “टैरिफ आकलन के विनियामक सिद्धांत“ संबंधी परामर्श पत्र पर 30 मई, 2017 को नई दिल्ली में खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया था।

#### **“सेवा क्षेत्र के रूप में राज्य के जिलों के साथ श्रेणी ख लाइसेंस के लिए पहुंच सेवा प्राधिकार हेतु यूएल (वीएनओ) शुरू करना“ संबंधी परामर्श पत्र पर 6 जुलाई, 2017 को पुणे में खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन।**

भादूविप्रा ने “सेवा क्षेत्र के रूप में राज्य के जिलों के साथ श्रेणी ख लाइसेंस के लिए पहुंच सेवा प्राधिकार हेतु यूएल (वीएनओ) शुरू करना“ संबंधी परामर्श पत्र पर 6 जुलाई, 2017 को पुणे में खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया था।

## **“इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभारों की समीक्षा“ संबंधी परामर्श पत्र पर 20 जुलाई, 2017 को खुला मंच चर्चा का आयोजन**

भादूविप्रा ने “इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभारों की समीक्षा” संबंधी परामर्श पत्र पर 20 जुलाई, 2017 को नई दिल्ली में खुला मंच चर्चा का आयोजन किया, इस चर्चा में संसद सदस्यों, टीएसपी, दूरसंचार एसोसिएशनों, सरकारी अधिकारियों और व्यक्तियों ने भाग लिया था।

## **“वाणिज्यिक सेवाएं शुरू करने से पहले नेटवर्क परीक्षण“ संबंधी परामर्श पत्र पर नई 18 अगस्त, 2017 को दिल्ली में खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन**

भादूविप्रा ने “वाणिज्यिक सेवाएं शुरू करने से पहले नेटवर्क परीक्षण” संबंधी परामर्श पत्र पर 18 अगस्त, 2017 को नई दिल्ली में खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया था।

## **“वायरलैस ब्रॉडबैंड प्लान्स के अंतर्गत डेटा स्पीड“ पर 3 अक्टूबर, 2017 को खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन**

भादूविप्रा ने “वायरलैस ब्रॉडबैंड प्लान्स के अंतर्गत डेटा स्पीड” पर नई दिल्ली में 3 अक्टूबर, 2017 को खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया था। इस ओएचडी में विभिन्न हितधारकों यथा टीएसपी, दूरसंचार एसोसिएशनों, व्यक्तियों आदि ने भाग लिया था।

## **“इन-फ्लाइट कनेक्टीविटी“ संबंधी परामर्श पत्र पर 27 नवंबर, 2017 को नई दिल्ली में खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन**

भादूविप्रा ने “इन-फ्लाइट कनेक्टीविटी” संबंधी परामर्श पत्र पर 27 नवंबर, 2017 को नई दिल्ली में खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया था।

## **“इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभारों की समीक्षा“ पर 18 जुलाई, 2017 को कार्यशाला का आयोजन**

भादूविप्रा ने “इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभारों की समीक्षा” पर 18 जुलाई, 2017 को नई दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया था। इस एक-दिवसीय कार्यशाला में पहुंच सेवा प्रदाताओं (एएसपी) ने भाग लिया था। एएसपी ने समापन प्रभारों को निर्धारित करने में इस्तेमाल होने वाले दृष्टिकोण के संबंध में एक प्रजेटेशन प्रस्तुत किया था।

## **“पब्लिक ओपन वाई-फाई पायलट“ पर 25 जुलाई, 2017 को कार्यशाला का आयोजन**

भादूविप्रा ने “पब्लिक ओपन वाई-फाई पायलट” पर 25 जुलाई, 2017 को बैंगलुरु में एक कार्यशाला का आयोजन किया था। पायलट का उद्देश्य पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) के माध्यम से पब्लिक वाई-फाई सेवाएं देने के लिए फ्रेमवर्क और विशिष्टियां तैयार करना है। इस कार्यशाला में उद्योग के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया।

## **“अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभारों की समीक्षा“ पर 16 अक्टूबर, 2017 को कार्यशाला का आयोजन**

भादूविप्रा ने “अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभारों की समीक्षा” पर 16 अक्टूबर, 2017 को नई दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया था। इस कार्यशाला में अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटरों (आईएलडीओ), जो भारत से और भारत के लिए वॉइस ट्रेफिक को कैरी करते हैं, और पहुंच सेवा प्रदाताओं ने भाग लिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समापन प्रभारों को निर्धारित करने में इस्तेमाल होने वाले दृष्टिकोण के संबंध में एक प्रजेंटेशन प्रस्तुत किया था।

## **अन्य मुद्दे (प्रसारण क्षेत्र)**

### **“भारत में डिजिटल प्रसारण-आगे का मार्ग“ पर 4 और 5 मई, 2017 को सेमिनार का आयोजन**

“भारत में डिजिटल प्रसारण-आगे का मार्ग” पर 4 और 5 मई, 2017 को “द अशोक” होटल, 50-बी, डिप्लोमेटिक इनकलेव, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में दो-दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया था।

### **“टेक्नीकल इंटरऑपरेबल सेट टॉप बॉक्स के लिए समाधान आर्किटेक्चर“ पर 26 सितंबर, 2017 को कार्यशाला का आयोजन**

“टेक्नीकल इंटरऑपरेबल सेट टॉप बॉक्स के लिए समाधान आर्किटेक्चर” पर 26 सितंबर, 2017 को “गुलमोहर” हेबिटेट वर्ल्ड, इंडिया हेबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

### **“भारत में डिजिटल ऐडियो प्रसारण संबंधी मुद्दे“ संबंधी परामर्श पत्र पर 25 अक्टूबर, 2017 को एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन**

“भारत में डिजिटल रेडियो प्रसारण संबंधी मुद्दे“ संबंधी परामर्श पत्र पर 25 अक्टूबर, 2017 को “टैगोर चैंबर”, स्कोप कन्चेशन सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया गया था।

### **“प्रसारण क्षेत्र में बिजनेस करने में आसानी“ संबंधी परामर्श पत्र पर 1 नवंबर, 2017 को खुला मंच चर्चा का आयोजन**

“प्रसारण क्षेत्र में बिजनेस करने में आसानी“ संबंधी परामर्श पत्र पर 1 नवंबर, 2017 को ‘मिर्जा गालिब चैंबर, स्कोप कन्चेशन सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में एक खुला मंच चर्चा का आयोजन किया गया था।

**भादूविप्रा ने 7 नवंबर, 2017 को भीम/यूपीआई और भारत क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके ऑनलाइन भुगतान को सुकर बनाने के लिए सभी डीटीएच ऑपरेटरों को एडवाइजरी जारी की है।**

7 नवंबर, 2017 को भीम/यूपीआई और भारत क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके ऑनलाइन भुगतान

को सुगम बनाने के लिए सभी डीटीएच ऑपरेटरों को एडवाइजरी जारी की गई थी। यह एडवाइजरी उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं की सुविधा के लिए डिजिटल भुगतान को सुकर बनाने के लिए जारी की गई थी। एडवाइजरी की पूरा टेक्स्ट भादूविप्रा की वेबसाइट [www.trai.gov.in](http://www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

### “लैंडिंग पेज पर पंजीकृत सेटेलाइट टीवी चैनल प्रदर्शित करने“ के संबंध में 8 नवंबर, 2017 का निदेश

सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और क्षेत्र का सही विकास सुनिश्चित करने के लिए 8 नवंबर, 2017 को टेलीविजन चैनलों के सभी प्रसारकों और वितरकों को एक निदेश जारी किया गया था, जिसमें उन्हें लैंडिंग एलसीएन या लैंडिंग चैनल या बूट अप स्क्रीन पर कोई पंजीकृत सेटेलाइट टीवी चैनल, जिसकी टीवी रेटिंग टीवी रेटिंग एजेंसी द्वारा जारी की जाती है, को रखने से बचने का निदेश दिया गया था।

## अनुलेखनक

स्थानों की सूची, जहां 1 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 की अवधि के दौरान उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम / कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं।

क्रमांक	उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम का स्थान	तिथि
1	भुवनेश्वर (ओडिशा)	24.01.2017
2	जालना (महाराष्ट्र)	25.01.2017
3	धौलपुर (राजस्थान)	27.01.2017
4	खरगौन (मध्य प्रदेश)	30.01.2017
5	गिरिडीह (झारखण्ड)	30.01.2017
6	कोण्टल (कर्नाटक)	09.02.2017
7	पोर्ट ब्लेयर (अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह)	10.02.2017
8	अकोदरा (गुजरात)	15.02.2017
9	जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर)	16.02.2017
10	उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)	27.02.2017
11	बीड़ (महाराष्ट्र)	28.02.2017
12	पटना (बिहार)	28.02.2017
13	करौली (राजस्थान)	08.03.2017
14	ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश)	10.03.2017
15	रायबरेली (उत्तर प्रदेश)	16.03.2017
16	धेनकनाल (ओडिशा)	22.03.2017
17	इटारसी (मध्य प्रदेश)	27.03.2017
18	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	29.03.2017
19	श्रीकाकुलम (आन्ध्र प्रदेश)	30.03.2017
20	उन्नाव (उत्तर प्रदेश)	30.03.2017
21	फतहगढ़ साहिब (पंजाब)	30.03.2017
22	परवानू (हिमाचल प्रदेश)	31.03.2017
23	टोंक (राजस्थान)	17.05.2017
24	पन्ना (मध्य प्रदेश)	18.05.2017
25	मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)	25.05.2017
26	नवसारी (गुजरात)	25.05.2017
27	सूर्यपेटा (तेलंगाना)	30.05.2017

क्रमांक	उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम का स्थान	तिथि
28	दार्जलिंग (पश्चिम बंगाल)	30.05.2017
29	शिलांग (मेघालय)	08.06.2017
30	पलवल (हरियाणा)	08.06.2017
31	श्रीनगर (उत्तराखण्ड)	15.06.2017
32	तेनाली (आन्ध्र प्रदेश)	16.06.2017
33	फिरोजपुर (पंजाब)	20.06.2017
34	मंगलडई, दरांग (असम)	21.06.2017
35	अनूपपुर (मध्य प्रदेश)	22.06.2017
36	रामनगर (कर्नाटक)	22.06.2017
37	परभनी (महाराष्ट्र)	28.06.2017
38	हिंगोली (महाराष्ट्र)	29.06.2017
39	हजारीबाग (झारखण्ड)	30.06.2017
40	तेनाली (तमिलनाडु)	07.07.2017
41	लेह (जम्मू एवं कश्मीर)	12.07.2017
42	झारग्राम (पश्चिम बंगाल)	20.07.2017
43	सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)	20.07.2017
44	बूंदी (राजस्थान)	21.07.2017
45	बुरहानपुर (मध्य प्रदेश)	27.07.2017
46	शिवसागर (असम)	08.08.2017
47	हल्द्वानी (उत्तराखण्ड)	10.08.2017
48	तरन तारन (पंजाब)	10.08.2017
49	विजयनगरम (आन्ध्र प्रदेश)	30.08.2017
50	कसौली (हिमाचल प्रदेश)	31.08.2017
51	मंगलौर (कर्नाटक)	08.09.2017
52	बारासात (पश्चिम बंगाल)	14.09.2017
53	सोनीपत (हरियाणा)	14.09.2017
54	नागापट्टीनम (तमिलनाडु)	19.09.2017
55	तूतीकोरिन (तमिलनाडु)	21.09.2017
56	भंडारा (महाराष्ट्र)	21.09.2017
57	वडोदरा (गुजरात)	23.09.2017
58	निव्यातिनकारा (केरल)	11.10.2017

क्रमांक	उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम का स्थान	तिथि
59	रामपुर (उत्तर प्रदेश)	12.10.2017
60	कोरबा (छत्तीसगढ़)	26.10.2017
61	उज्जैन (मध्य प्रदेश)	06.11.2017
62	किशनगंज (बिहार)	08.11.2017
63	लातुर (महाराष्ट्र)	09.11.2017
64	उद्यमपुर (जम्मू एवं कश्मीर)	10.11.2017
65	चंबा (हिमाचल प्रदेश)	17.11.2017
66	हावेरी (कर्नाटक)	17.11.2017
67	कडपा (आन्ध्र प्रदेश)	22.11.2017
68	राज समंद (राजस्थान)	23.11.2017
69	दरभंगा (बिहार)	29.11.2017
70	हनुमानगढ़ (राजस्थान)	30.11.2017
71	टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)	07.12.2017
72	कोहिमा (नागालैंड)	09.12.2017
73	विल्लुपुरम (तमिलनाडु)	12.12.2017
74	मेरठ (उत्तर प्रदेश)	14.12.2017
75	अलीपुरद्वार (पश्चिम बंगाल)	14.12.2017
76	तिरुपुर (तमिलनाडु)	14.12.2017
77	बुलढाना (महाराष्ट्र)	21.12.2017
78	करीमगंज (असम)	27.12.2017
79	भावनगर (ગुजरात)	29.12.2017





सत्यमेव जयते

# भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण